लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[सातवा सत्र / Seventh Session]

Preservation Unit
21-5-97
Fumigated
On 19.12.93
Parliament Library

[खंड २९ में अंक ४१ से ५० तक है / Vol. XXIX contains Nos. 41—50]

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेज़ी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेज़ी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of LokSabha Debates and constains Hindi/English translation of speeches etc... in English/Hindi]

विषय-सूची

अंक ४९—सोमवार, १३ अप्रैल, १९६४/२४ चैत्र, १८८६ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर . . . ३७११—३६

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१००९	योजना प्रचार अध्ययन दल	३७११-१२
१०२४	योजना का प्रचार	३७१२-१४
१०१०	सी०-११९ परिवहन विमान	३७१४-१५
१०११	भारी पानी का विक्रय	३७१५-१६
१०१२	विमान दुर्घटना	३७१६-१७
१०१३	विमान उत्पादन	३७१७-१९
१०१४	जम्मू तथा काश्मीर सीमा पर पाकिस्तानी फौजों का जमाव	३७१९-२३
१०१५	भारतीय भाषाओं के समाचार-पत्र	३७२३-२६
१०१६	संयुक्त राष्ट्र के शान्ति स्थापना कार्य	३७२६-३०
१०१७	पाकिस्तानी रजाकारों द्वारा धावे	३७३०
१०२७	पाकिस्तानियों द्वारा युद्ध-विराम रेखा का उल्लंघन	३७३०-३६

प्रश्नों के लिखित उत्तर . . . ३७३६—५१

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१०१८	पूर्व पाकिस्तान में हिन्दू लड़कियों का अपहरण	३७३६
१०१९	पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड	३७३७
१०२०	निरस्त्रीकरण	३७३७
१०२१	केन्द्रीय चाय मजूरी बोर्ड	३७३७-३८
१०२२	उद्योगों की रोजगार क्षमता	३७३८
१०२३	पाकिस्तान को चीन की सशस्त्र सहायता	३७३८
१०२५	पश्चिमी जर्मनी से तकनीकी सहायता	३७३९
१०२६	तटस्थ राष्ट्रों का सम्मेलन	३७३९

*किसी नाम पर अंकित यह +चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

No. 49—*Monday, April* 13, 1964 / *Chaitra* 24, 1886 (*Saka*)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 3711—36

*Starred Questions Nos.	Subject	PAGE
1009	Plan Publicity Study Team	3711–12
1024.	Plan Publicity	3712–14
1010.	C—119 Transport Planes	3714–15
1011.	Sale of Heavy Water	3715–16
1012.	Air Crash	3716–17
1013.	Aircraft Production	3717–19
1014.	Concentration of Pak Forces on J. & K. Border	3719–23
1015.	Indian Language Newspapers	3723–26
1016.	Peace Keeping Operations of U.N.	3726–30
1017.	Raid by Pakistani Razakars	3730
1027.	Violation of Cease-fire Line by Pakistanis	3730–36

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS 3736—51

*Starred Questions Nos.		
1018.	Abduction of Hindu Girls in East Pakistan	3736
1019.	Wage Board for Port and Dock Workers	3737
1020.	Disarmament	3737
1021.	Central Tea Wage Board	3737–38
1022.	Employment Potential of Industries	3738
1023.	Chinese Arms Aid to Pakistan	3738
1025.	Technical Aid from West Germany	3739
1026.	Conference of Non-aligned Nations	3739

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

प्रश्नों के लिखित उत्तर (जारी)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
२०७१	भारतीय राष्ट्रजनों का अपहरण	३७३९–४०
२०७२	उत्तर प्रदेश में सैनिक, नाविक तथा वायु-सैनिक बोर्ड	३७४०
२०७३	गृह-निर्माण समिति, अम्बाला छावनी	३७४०
२०७४	अम्बाला छावनी के भंगी	३७४०–४१
२०७५	भारतीय वायु सेना के मरम्मत के लिये उतरे हुए विमान	३७४१
२०७६	पूर्व अफ्रीकी देशों में भारतीय व्यक्ति	३७४१
२०७७	उत्तर प्रदेश के काम दिलाऊ दफ्तरों के रजिस्टरों में दर्ज अनुसूचित जातियों के व्यक्ति	३७४२
२०७८	पाकिस्तानियों द्वारा अनधिकृत प्रवेश	३७४२
२०७९	चीनी दूतावास द्वारा "समाचार" का प्रकाशन	३७४३
२०८०	गोआ में गिरजाघरों की मरम्मत	३७४३
२०८१	ई० एम० ई० वर्कशाप, दिल्ली छावनी	३७४३–४४
२०८२	चीन और पाकिस्तान के बीच गुप्त समझौता	३७४४
२०८३	दिल्ली प्रशासन में रोजगार अधिकारी	३७४४–४५
२०८४	अपंग व्यक्तियों के लिये काम दिलाऊ दफ्तर	३७४५
२०८५	विदेश जाने वाले रोजगार अधिकारी	३७४५–४६
२०८६	काम दिलाऊ दफ्तर	३७४६
२०८७	लखनऊ हवाई अड्डा	३७४६–४७
२०८८	छावनी बोर्ड, अम्बाला	३७४७
२०८९	सैनिक नर्सिंग स्कूल	३७४७
२०९०	मोजाम्बिक में भारतीय	३७४८
२०९१	अस्पृश्यता निवारण संबंधी चलचित्र	३७४८
२०९२	दिल्ली के मेयर के भाषण के संबंध में पाकिस्तान का विरोध	३७४८–४९
२०९३	नेफा में असैनिक प्रशासन	३७४९
२०९४	इस्पात परिष्करण उद्योगों में रोजगार	३७४९
२०९५	सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजनायें	३७४९–५०
२०९६	बीकन परियोजना	३७५०
२०९७	परमवीर चक्र	३७५०–५१
२०९८	वृद्ध और दरिद्र व्यक्तियों को सामाजिक सहायता	३७५१
२०९९	प्रतिरक्षा मंत्रालय में हिन्दी अनुवाद	३७५१

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—contd.

Unstarred Questions Nos.	Subject	PAGE
2071.	Kidnapping of Indian Nationals	3739–40
2072.	Soldiers', Sailors' and Airmen's Borads in U.P.	3740
2073.	House Building Society, Ambala Cantt.	3740
2074.	Ambala Cantt. Sweepers	3740–41
2075.	I.A.F. grounded Aircraft	3741
2076.	Indians in East African Countries	3741
2077.	Scheduled Castes on Employment Exchange Registers of U.P.	3742
2078.	Trespassing by Pakistanis	3742
2079.	Publication of Bulletin by Chinese Embassy	3743
2080.	Repair of Churches in Goa	3743
2081.	505 E.M.E. Workshop, Delhi Cantt.	3743–44
2082.	China-Pakistan Secret Pact	3744
2083.	Employment Officers in Delhi Administration	3744–45
2084.	Employment Exchange for Handicapped Persons	3745
2085.	Employment Officers going abroad	3745–46
2086.	Employment Exchanges	3746
2087.	Lucknow Aerodrome	3746–47
2088.	Cantonment Board, Ambala	3747
2089.	Military Nursing Schools	3747
2090.	Indians in Mozambique	3748
2091.	Film on Removal of Untouchability	3748
2092.	Pak. Protest against Delhi Mayor's Speech	3748–49
2093.	Civil Administration in NEFA	3749
2094.	Employment in Steel Processing Industries	3749
2095.	Social Security Schemes	3749–50
2096.	Beacon Project	3750
2097.	Param Vir Chakras	3750–51
2098.	Social Assistance to Aged and the Destitute Persons	3751
2099.	Hindi Translation Work in Ministry of Defence	3751

विषय	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
जम्मू पर अज्ञात विमानों की कथित उड़ानें .	३७५२–५३
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी . .	३७५२
श्री यशवन्त राव चह्वाण . .	३७५२–५३
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३७५३–५४
संघ लोक सेवा आयोग में नियुक्तियों के बारे में सदस्य तथा मंत्री द्वारा वक्तव्य—	३७५४
भारत और पाकिस्तान के गृह-मंत्रियों के सम्मेलन के बारे में वक्तव्य	३७५४–५५
श्री नन्दा . . .	३७५४–५५
अनुदानों की मांगें	३७५६––६०
वैदेशिक-कार्य मंत्रालय	३७५६––६०
श्री जवाहर लाल नेहरू . .	३७५६––६०
गृह-कार्य मंत्रालय . . .	३७६०––८८
श्री उ० मू० त्रिवेदी . . .	३७६१––६२
श्रीमती गायत्री देवी	३७६२–६३
श्री हरिश्चन्द्र माथुर . . .	३७६३––६५
श्री सुबोध हंसदा . . .	३७६५–६६
श्री इलयापेरुमाल	३७७७–७८
डा० मा० श्री अणे	३७६८–६९
श्री अन्सार हरवानी	३७६९––७६
श्री शशि रंजन . . .	३७७६––७८
श्री व० क० रामस्वामी .	३७७८–७९
श्री राम सेवक यादव . . .	३७७९–८०
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह	३७८०––८२
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद . . .	३७८२–८३
श्री बाल्मीकी . .	३७८३–८४
श्री राम चन्द्र उलाका . . .	३७८४–८५
श्री स० मो० बनर्जी .	३७८५––८७
श्री बसवन्त	३७८७
श्री सुमत प्रसाद . . .	३७८७–८८

Subject	Page
Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	
Reported flights of unidentified planes over Jammu	3752-53
Dr. L.M. Singhvi	3752
Shri Y.B. Chavan	3752-53
Papers laid on the Table	3753-54
Statements by Member and Minister *re* : appointment to U.P.S.C.	3754
Statement *re.* Indo-Pakistan Home Ministers' Conference	3754-55
Shri Nanda	3754-55
Demands for Grants	3756—60
Ministry of External Affairs	3756—60
Shri Jawaharlal Nehru	3756—60
Ministry of Home Affairs	3760—88
Shri U.M. Trivedi	3761-62
Shrimati Gayatri Devi	3762-63
Shri Harish Chandra Mathur	3763—65
Shri Subodh Hansda	3765-66
Shri Elayaperumal	3767-68
Dr. M.S. Aney	3768-69
Shri Ansar Harvani	3769—76
Shri Shashi Ranjan	3776—78
Shri V.K. Ramaswamy	3778-79
Shri Ram Sewak Yadav	3779-80
Shri Surendra Pal Singh	3780—82
Shri Sidheshwar Prasad	3782-83
Shri Balmiki	3783-84
Shri Ramachandra Ulaka	3784-85
Shri S.M. Banerjee	3785—87
Shri Baswant	3787
Shri Sumat Prasad.	3787-88

लोक-सभा

LOK SABHA

सोमवार, १३ अप्रैल, १९६४/२४ चैत्र, १८८६ (शक)

Monday, April 13, 1964/Chaitra 24, 1886 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the clok

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. Speaker in the chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अध्यक्ष महोदय : श्री यशपाल सिंह ।

श्री यशपाल सिंह : प्रश्न संख्या नं० १००९

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमान्, मेरा यह सुझाव है कि प्रश्न संख्या १०२४ को भी ले लिया जाय ।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह इसी विषय से सम्बन्ध रखता है ? यदि हां, तो यदि मंत्री जी के लिये यह सुविधाजनक हो तो वे इसका उत्तर दे सकते हैं ।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : बहुत अच्छा, श्रीमान् ।

योजना प्रचार अध्ययन दल

*१००९ **श्री यशपाल सिंह :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री धवन :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री विशन चन्द्र सेठ :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना प्रचार अध्ययन दल ने कोई अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या दल ने बताया है कि वह कब तक अपना अन्तिम प्रतिवेदन दे देगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) : (क) जी, नहीं ।

(ख) अध्ययन दल को यह आशा है कि वह जून, १९६४ के अन्त तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगा ।

योजना का प्रचार

*१०२४. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञापन अभिकरण संस्था[1] ने योजना की जानकारी तथा राष्ट्रीय एकता बढ़ाने जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषयों सम्बन्धी प्रचार करने के लिये अपनी सेवायें पेश की हैं;

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख) जी, हां । नई दिल्ली में हाल में हुई एक बैठक में भारतीय विज्ञापन अभिकरण संस्था की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों ने उस सहयोग को देते रहने का प्रस्ताव किया था जो कि उन्हों ने आपातकाल की घोषणा के शीघ्र बाद सरकार को प्रदान किया । उन्होंने कहा कि इस सहयोग के अन्तर्गत राष्ट्रीय तैयारी योजना की जानकारी तथा राष्ट्रीय एकता जैसे अन्य राष्ट्रीय विषय भी आने चाहियें । ब्यौरा विचाराधीन है ।

(ग) विज्ञापन अभिकरणों द्वारा दान की गई सहायता मुख्य रूप से राष्ट्रीय अभियानों के लिये विज्ञापनों की रूप रेखा, डिज़ाइन आदि के बारे में दिये जाने वाले रचनात्मक सुझावों से सम्बन्ध रखती है । संस्था का सहयोग देते रहने का प्रस्ताव सरकार की दृष्टि में सराहनीय है ।

Shri Yashpal Singh : May I know the names of the Members of this Team and the amount being spent on them ?

Shri Sham Nath : The Study Team consists of five Members whose names are as follows :

1. Shri Amar Nath Vidyalankar.
2. Shri Radha Nath Rath
3. Shri P. Ranga Reddy
4. Shri Rohan Lal Chaturvedi
5. Shri S.N. Joshi

Besides these, Dr. A.R. Baji, Deputy Director of Research and Reference Division is the Member-Secretary.

Shri Yashpal Singh: Aimed at disrupting our national unity, Pakistan has been making venomous propaganda that the minorities in India are not safe. What steps are being taken by Government to counteract it ?

---

1 Advertising Agencies Association.

Shri Sham Nath : It is a different question. This Study Team was appointed to assess the impact of Plan Publicity on the people and the extent of its utility as also to suggest ways to make it more effective.

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि अध्ययन दल द्वारा देश के विभिन्न भागों के दौरे के दौरान विभिन्न प्रतिनिधियों द्वारा योजना की असफलतायें तथा खामियां उसके ध्यान में लाई गई थीं। और यदि हां, तो क्या दल प्रतिवेदन देते समय इन बातों को ध्यान में रखेगा ?

संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : निस्संदेह, सम्पूर्ण प्रतिवेदन पर विचार किया जायेगा ।

श्री स० मो० बनर्जी : मिसाल के तौर पर, क्या योजना की असफलता के बारे में कर्मचारियों की ओर से दल के सन्मुख प्रस्तुत क किये गये प्रमाण भी प्रतिवेदन में दिये जायेंगे ?

श्री सत्य नारायण सिंह : हमें अभी तक पूरा प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है । केवल एक अन्तरिम प्रतिवेदन मिला है । सम्पूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने पर ही हम यह कह सकेंगे कि हम इसके बारे में क्या कुछ करेंगे ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मेरे माननीय मित्र, श्री बनर्जी, दूसरे प्रश्न संख्या १०२४ से सम्बन्धित राष्ट्रीय एकीकरण के बारे में प्रश्न पूछ रहे थे। अतः यह नियमानुकूल है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसके लिये मना नहीं किया ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या राज्यों में केन्द्रीय अभिकरणों द्वारा विभिन्न स्तरों पर योजना के बारे में प्रचार किये जाने के साथ साथ राज्य सरकारें भी अपने स्वयं के स्वतंत्र अभिकरणों द्वारा यह कार्य करती हैं और क्या दोनों के बीच समन्वय का पूर्णतया अभाव है ? इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री सत्य नारायण सिंह : यह कहना गलत है कि समन्वय का पूर्णतया अभाव है । हां, समन्वय उतना संतोषजनक नहीं है जितना कि होना चाहिये । हम ने यह बात सम्बन्धित राज्यों के ध्यान में लाई है और हम इस सम्बन्ध में सुधार करने की चेष्टा कर रहे हैं।

श्री श्याम लाल सर्राफ : योजनाओं के बारे में प्रचार करने के अतिरिक्त, क्या इस योजना प्रचार व्यवस्था के द्वारा देश के सामने प्रस्तुत की जाने वाली योजना के रूप सम्बन्धी किन्हीं खामियों के बारे में भी सुझाव आमंत्रित किये जायेंगे ? क्या यह बात भी योजना सम्बन्धी प्रचार का अंग होगी ?

श्री सत्य नारायण सिंह : अवश्य । यह एक अच्छा सुझाव है ।

श्री दी० चं० शर्मा : जहां तक प्रचार का सम्बन्ध है, ससद्-सदस्यों , विधान सभा के सदस्यों, जिला परिषदों के विचार जानने के लिये इस दल ने क्या प्रयास किये हैं ? क्या दल को उन से कोई ठोस सुझाव प्राप्त हुए हैं ?

श्री सत्य नारायण सिंह : जिला परिषदों के साथ तो सम्पर्क कायम किया गया है । परन्तु संसद्-सदस्यों तथा विधान सभा के सदस्यों के बारे में हमें यह पता नहीं है कि अध्ययन दल ने, जिस के अध्यक्ष एक संसद्-सदस्य हैं, क्या किया है । मैं उनका ध्यान अवश्यमेव इस ओर

दिलाऊंगा ताकि वह इन लोगों से भी सम्पर्क स्थापित करें । यह एक बहुत अच्छी बात होगी ।

श्री दाजी : यदि अन्तरिम प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है, तो उस में की गई मुख्यत: सिफारिशें क्या हैं ?

श्री सत्य नारायण सिंह : अन्तरिम प्रतिवेदन लिखित रूप में नहीं है । चेयरमैन मुझ से मिले थे और उन्होंने अपने विचार व्यक्त किये थे ।

श्री दाजी : क्या हमें इतना बताया जा सकता है कि उन के विचार क्या हैं ?

श्री सत्य नारायण सिंह : मैं इस समय उन विचारों को नहीं बता सकता । पूरा प्रतिवेदन हमें मिल जाने पर ही, हम कुछ बता सकेंगे । उस से पहले कुछ कहना उचित नहीं है ।

श्री बासप्पा : क्या इस प्रकार की एक और भी मूल्यांकन समिति है ? यदि हां, तो उस में और इस समिति में क्या अन्तर है ?

श्री सत्य नारायण सिंह : वह समिति पूर्णतया अलग है, । इसने भी कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है ।

श्री बासप्पा : वह कार्य भी इस समिति को क्यों नहीं सौंपा जा सकता ?

श्री सत्य नारायण सिंह : यह सम्भव नहीं है ।

Shri Tan Singh : On what conditions this Advertising Agenies Association has offered its services or the purposes of advertisments and what is being paid to these agencies by the Government.

Shri Sham Nath : Except charging out of pocket expense, for the assistance rendered by them so far, these agencies contributed on a voluntary basis.

सी०–११९ परिवहन विमान

*१०१०. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सरकार से मिले सी०–११९ परिवहन विमान सफलतापूर्वक उड़ान कर रहे हैं ?

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे कुछ और विमान लेने का है, और

(ग) यदि हां, तो कब ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) इस समय ऐसा कोई विचार नहीं है ।

Shri Yashpal Singh : Would the hon. Minister of Defence, during his visit to U.S.A., have talks there to acquire these planes at a cheaper price ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण): मेरे विचार से हमें इस प्रकार के विमानों की आवश्यकता नहीं है ।

Shri Yashpal Singh : How much we have paid for one. Plane.

श्री यशवन्त राव चह्वाण : हमें ये विमान अमेरिका से सहायता कार्यक्रम के अधीन मिले हैं ।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : इस बात को देखते हुए कि सी–१३० विमानों ने, जो कि हमें अमेरिका की सरकार से उधार के रूप में प्राप्त हुये थे, लद्दाख में, हमारे सैनिकों, की बहुत अधिक संख्या में जानें बचाई, क्या इन्हें स्थायी तौर पर प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव है?

अध्यक्ष महोदय : वह किसी अन्य विमान के बारे में उल्लेख कर रहे थे ।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : सी–११९ और सी–१३० एक जैसे विमान हैं ।

श्री यशवन्त राव चह्वाण : वे एक जैसे विमान नहीं है ।

Shri Tulsidas Jadhav : How many planes of the type of C-119 have been given to us by America ?

Shri D.R. Chavan : 24.

भारी पानी का विक्रय

+
*१०११. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री महेश्वर नायक :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नंगल उर्वरक कारखाने में बनाये जाने वाले भारी पानी को बेचने की कोई व्यवस्था की गई है ;

(ख) हमारे देश में इस भारी पानी को खरीदने वाले कौन हैं ; और

(ग) क्या इस प्रयोजना के लिए कोई मूल्य निश्चित किया गया है या इस बारे में बातचीत की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) और (ख): जी हां । भारतीय उर्वरक निगम के नंगल कारखाने में बनाया जाने वाला भारी पानी अणुशक्ति संस्थापना, ट्राम्बे, को बेचा जा रहा है ।

(ग) मूल्य के बारे में बात चीत चल रही है ।

श्री सुबोध हंसदा : इस कारखाने में भारी पानी की कितनी मात्रा तैयार होती है । और उस में से कितनी मात्रा का उपयोग यह कारखाना स्वयं करता है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : हम प्रति सप्ताह २३५ किलोग्राम भारी पानी तैयार करते आ रहे हैं और अब तक कुल १६,६४५ किलोग्राम भारी पानी तैयार किया गया है ।

श्री सुबोध हंसदा : चूंकि इस कारखाने का भारी पानी अणुशक्ति संस्थापना को बेचा जाता है , अतः क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस से अणु शक्ति संथापना की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है अथवा यह संस्थापन कहीं और से भी पानी प्राप्त करती है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : यह पर्याप्त नहीं होता है । हमें इस से अधिक भारी पानी की आवश्यकता होगी और यदि राजस्थान का रिएक्टर चालू होना है, तो हमें २०० मीट्रिक टन भारी पानी की आवश्यकता पड़ेगी । इस समय हम आत्म-निर्भर नहीं हैं।

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि नंगल उर्वरक कारखाने में उपलब्ध भारी पानी निम्न स्तर का है, और अपनी अणु शिक्ति संस्थापना में छोटे पैमाने की "इलेक्ट्रो-लाइजर असेम्बली" के द्वारा हमें इसको उच्च स्तर का बनाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या "इलेक्ट्रोलाइजर असेम्बली" स्वयं नंगल कारखाने में नहीं स्थापित की जायेगी ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : नंगल कारखाने में तैयार किया जाने वाला भारी पानी अन्य कहीं कहीं तैयार किये जाने वाले भारी पानी की अपेक्षा कहीं अधिक अच्छा है । अतः माननीय सदस्य की धारणा गलत है ।

श्रीमती सावित्री निगम : यह कहां तक सच है कि जब मूल्यों के बारे में फैसला हो जायेगा तो नंगल, कारखाना अपनी क्षमता का विस्तार कर के अधिक मात्रा में भारी पानी तैयार कर सकेगा ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : भारी पानी के उत्पादन का एक क्रमबद्ध कार्यक्रम है । मूल्य के बारे में हम किसी के भी साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य मौजूद है । उदाहरणार्थ, अमेरिका २८ डालर प्रति पौंड के हिसाब से भारी पानी बेचता है । मूल्य गिरकर २४.१५ डालर प्रति पौंड हो गया है । नार्वे इस से अधिक मूल्य लेता है । हमारे द्वारा लिया जाने वाला मूल्य वर्तमान मूल्यों की तुलना में उचित ही होगा।

श्री काशीराम गुप्त : क्या इस भारी पानी की किस्म तथा कीमत आयात किये गये भारी पानी की किस्म तथा कीमत की तुलना में बिल्कुल ठीक है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : जैसा कि मैंने बताया , किस्म कहीं अधिक अच्छी है तथा मूल्य भी तुलनात्मक होगा ।

विमान दुर्घटना

\+

*१०१२. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राम हरख यादव :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १४ फरवरी, १९६४ को पूर्वी क्षेत्र में एक विमान दुर्घटना में तीन फ्लाइंग अफसर मर गये थे ;

(ख) क्या दुर्घटना के कारण की जांच करने के लिए कोई जांच अदालत नियुक्त की गई थी; और

(ग) अदालत की उपपत्तियां क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) भारतीय वायुसेना का एक विमान १० फरवरी १९६४ को दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, १४ फरवरी को नहीं। इस दुर्घटना में एक फ्लाइंग अफसर तथा भारतीय सर्वेक्षण संस्था के दो पोर्टर मारे गये थे ।

(ख) दुर्घटना के कारण की जांच करने के लिये एक जांच अदालत नियुक्त कर दी गई है और जांच अदालत की रिपोर्ट के प्राप्त होने पर हानि का पता चलेगा ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : पहले जो दुःखद घटनायें हुई हैं जिनमें बहुत से योग्य अधिकारियों की मृत्यु हुई है उनको ध्यान में रखते हुए, सरकार ने ऐसी विपत्तियों से बचने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : सामान्य सावधानियां हमेशा ही बरती जाती हैं, परन्तु जैसा कि मैं पहले सदन में बता चुका हूं, हमने इस पूरे मामले की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की है जिससे कि यह पता लग सके कि इस मामले में क्या त्रुटियां थीं ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : कुछ समय पहले डा० राजेन्द्रप्रसाद ने यह बात विशेषतः स्पष्ट रूप से बताई थी कि उच्च अधिकारियों को एक ही विमान में किसी स्थान पर नहीं भेजा जाना चाहिये; क्या सरकार अब पूर्णतः इस बात का पालन कर रही है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण: इस विमान में बहुत अधिकारी नहीं थे । इसमें केवल एक फ्लाइंग अफसर ही था ।

विमान उत्पादन

\+

*१०१३. **श्री राम चन्द्र उलाका** :
श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड" द्वारा बनाये जाने वाले विमान के लिये आवश्यक सभी पुर्जे इस समय देश में बनाये जाते हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो इस समय कितने प्रतिशत पुर्जों का आयात किया जाता है ;

(ग) इस समय 'हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड' में कितने प्रतिशत पुर्जों का निर्माण होता है ; और

(घ) पुर्जों के सम्भरण के सम्बन्ध में सहायक उद्योगों को किस रूप में प्रोत्साहित किया जा रहा है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) विमान की किस्म के अनुसार किसी विमान के लिये इस समय ५ प्रतिशत से २५ प्रतिशत तक पुर्जों का आयात किया जाता है । शेष ७५ से ९५ प्रतिशत हिस्से हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड में ही बनाये जाते हैं ।

(घ) विमान की गौण वस्तुओं, पकरणों, पुर्जों, हिस्सों और कच्चे माल की स्वदेश में निर्माण करने के हेतु सुविधाओं का विकास करने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

श्री राम चन्द्र उलाका: विभिन्न प्रकार के विमानों का निर्माण करने के लिये सहायक वस्तुओं की कुल कितनी आवश्यकता होती है और हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड इन आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरी करेगा ?

श्री रघुरामैया : मैंने इसकी प्रतिशतता बता दी है। यह समय समय पर भिन्न भिन्न होती है । कनाट, पुष्पक, एच० एल०-२४ और अन्य बहुत से विमानों का निर्माण किया जाता है ।

श्री रामचन्द्र उलाका : विमान उत्पादन के लिये अपेक्षित जिन पुर्जों का हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड द्वारा निर्माण किया जाता है उनकी उत्पादन लागत आयात किये जाने वाले पुर्जों की तुलना में अधिक है अथवा कम है ?

श्री रघुरमैया : मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड द्वारा निर्मित पुर्जों की उत्पादन लागत आयात किये जाने वाले पुर्जों की लागत की तुलना में कम है ।

श्री जोकीम आल्वा : हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड को आप लगभग २५ वर्षों से चला रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि विभिन्न पुर्जों के स्वदेश में उत्पादन को शीघ्र क्रियान्वित करने के लिये सरकार ने क्या विशेष प्रयत्न किये हैं ।

श्री रघुरामैया : जैसा कि मैं बता चुका हूं लगभग ७५ प्रतिशत पुर्जों का अब भी स्वदेश में निर्माण किया जा रहा है और शेष पुर्जों के मामले में, उदाहरणार्थ गढ़े हुए और ढले हुए पुर्जों के मामले में, हमने मैसर्स हाई ड्यूटी एलौयज लिमिटेड, इंग्लैण्ड के साथ एक अनुज्ञप्त करार किया है और एयर स्टार्टरस के मामले में हमने डिजाइन ले ली है और इसी प्रकार मैगनेसियम मिश्रधातु वस्तुओं के लिये हम मैसर्स मैगनेसियम इलैक्ट्रन लिमिटेड के साथ एक अनुज्ञप्त करार कर रहे हैं । अन्य विभिन्न उपकरणों के लिये भी हम विदेशी सहयोग प्राप्त करने के लिये करार कर रहे हैं ।

श्री दी० चं० शर्मा : माननीय मन्त्री ने बताया है कि विमान के निर्माण के सम्बन्ध में वे ५ प्रतिशत से लेकर २५ प्रतिशत तक पुर्जों के लिये विदेशों पर निर्भर करते हैं । क्या यह ५ प्रतिशत विमान के कुल मूल्य का भाग है और जिन उपकरणों की आवश्यकता होती है उनकी संख्या का ५ प्रतिशत है ?

श्री रघुरामैया : : अपने उत्तर में सावधानी बरतते हुए मैंने बताया था कि यह प्रतिशत पुर्जों की संख्या की है । परन्तु यदि आप पुर्जों के मूल्य को ध्यान में रखते हुए पूछें तो क्यों कि ये चीजें जैसे कि इलैक्ट्रानिक उपकरण और इंजन के पुर्जे, बहुत कीमती चीजें हैं, अत: ३५ प्रतिशत से लेकर ५५प्रतिशत तक मूल्य के पुर्जों का आयात किया जाता है ।

श्री स० मो० बनर्जी : आवाज की गति से भी तेज चलने वाले जेट विमानों का हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड में निर्माण करने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है और क्या इस योजना काल में ही उनका निर्माण किये जाने की सम्भावना है ?

श्री रघुरामैया: एच० एफ० २४ विमान आवाज की गति से तेज चलने वाला विमान है। यह यौधन-शक्ति परीक्षाओं में खरा उतरा है और यह बड़ी संभावना है कि अगले महीने वायुसेना स्काड्रन सर्विस मे चला जायेगा।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : हमारे गत कटु अनुभव को दृष्टिगत रखते हुए यह देखने के लिये क्या विशेष कार्यवाही की गई है कि इन आयात किये जाने वाले पुर्जों के अभाव में हमारा काम रुका न रहे ?

श्री रघुरामैया : ठीक यही तो बात है जिसके कारण हम इन अति महत्वपूर्ण पुर्जों का स्वदेश में निर्माण करने के लिये अनेकों विदेशी सहयोग सम्बन्धी करार कर रहे हैं।

श्री शिवनन्जप्पा : विमानों के इंजनों का निर्माण करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

श्री रघुरामैया : हम और घमु ७०३ के इंजनों का निर्माण तो कर ही रहे हैं। हम जैट प्रशिक्षक विमान आदि के इंजनों का भी विकास कर रहे हैं। हम अन्य प्रकार के इंजनों का निर्माण भी बड़ी प्रगति के साथ कर रहे हैं।

श्रीमती सवित्री निगम : क्या उत्पादन योजनायें निर्धारित अवधि में ही पूरी की जा रही हैं और निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किये जा रहे हैं ? इनमें से किस मामले में हम पीछे हैं ?

श्री रघुरामैया : कुछों का निर्माण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जा रहा है और विकास सम्बन्धी कुछ कठिनाइयों के कारण अन्य कुछ का नहीं।

Shri Sheo Narayan: Keeping in view the present emergency, by when will we be self sufficient in production of aircraft ?

श्री रघुरामैया : यदि मुझे ऐसा करने की इजाजत है तो मैं कहूंगा कि विश्व का कोई भी देश विमान निर्माण के मामले में पूर्णतः आत्म-निर्भर नहीं है। परन्तु जितनी भी अधिकतम सीमा तक यह सम्भव है उसके लिये हम यथासम्भव शीघ्र उस स्थिति में पहुंचने के लिये अपना भरसक प्रयत्न कर रहे हैं और यही कारण है कि विदेशी सहयोग प्राप्त करने के लिये हम विभिन्न करार कर रहे हैं।

जम्मू तथा काश्मीर सीमा पर पाकिस्तानी फौजों का जमाव

+

*१०१४. { **श्री हेम बरूआ** :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री कजरोलकर :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान हाल में समाचारपत्रों में प्रकाशित इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि जम्मू तथा काश्मीर की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा तथा युद्ध-विराम रेखा के साथ साथ पाकिस्तान की फौजों का फिर से जमाव हो रहा है और सैनिक गतिविधियां जोर पकड़ रही हैं जिनमें टैंकों और बख्तरबन्द गाड़ियों का आना जाना भी शामिल है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी, हां।

(ख) जम्मू तथा काश्मीर राज्य की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा तथा युद्ध-विराम रेखा पर हाल ही में पाकिस्तानी सैनिक कार्यवाहियां बढ़ गई हैं। सरकार ने इस सम्बन्ध में बहुत सी पूर्वोपायी कार्यवाइियां की हैं।

श्री हेम बरुआ : क्या भारत सरकार ने इस तथ्य को जानने और प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है कि युद्ध विराम रेखा के उस पार पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा प्रयोग किये जाने वाले हथियार और स्फोटास्त्र अमरीकी हैं, और यदि हां, तो क्या सरकार ने अमरीकी सरकार को उनके उस आश्वासन की याद दिलाने का प्रयत्न किया है जो कि उन्होंने अपने नई दिल्ली स्थित राजदूत द्वारा हमें दिया था, और यदि हमने उनको इसकी याद दिलाई है तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : हमारे पास इस बात का कोई निश्चित प्रमाण नहीं है कि वे हथियार और स्फोटास्त्र अमरीकी थे। यदि यह बात सिद्ध हो जाती है जो निश्चय ही हम अमरीकी सरकार का ध्यान उसकी ओर दिलायेंगे।

श्री हेम बरुआ : एक औचित्य प्रश्न पर। एक पिछले अवसर पर जब यही प्रश्न इस सदन में उठाया गया था तो हमें यह आश्वासन दिया गया था कि माननीय प्रतिरक्षा मन्त्री इस बात की जांच करेंगे, क्योंकि अमरीकी हथियारों और स्फोटास्त्रों के वहां उपयोग के बारे में मैं बहुत सुनिश्चित था। अब भी हम यह देखते हैं कि मन्त्री महोदय ने कोई जांच नहीं की है। क्या . . .

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस मामले में कोई राय तो नहीं देनी है। परन्तु क्या सरकार ने कोई जांच की है और उसे ऐसी किसी बात का पता चला है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जो कुछ थोड़ा बहुत सामान पीछे छूट जाये उसी के आधार पर कोई जांच की जा सकती है; उस सामग्री के निरीक्षण के आधार पर ही कोई जांच कर सकता है; और उससे कोई निश्चित जानकारी नहीं मिली है। यही मैंने कहा है।

श्री हेम बरुआ : हम इस उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हैं . . .

अध्यक्ष महोदय : तो फिर, माननीय सदस्य अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछें।

श्री हेम बरुआ : तथा कथित आजाद काश्मीर ने हमारे काश्मीर राज्य पर आक्रमण करने की धमकी दी है और ऐसी धमकियों में नवीनतम धमकी स्वयं श्री भुट्टो ने दी है। उस संदर्भ में, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार अथवा माननीय प्रधान मन्त्री इस सदन को दृढ़तापूर्वक यह आश्वासन देने की स्थिति में हैं कि वह मानसिक रूप से और हमारी सैनिक स्थिति के रूप में काश्मीर में होने वाली किसी भी घटना का सामना करने के लिये तैयार हैं, चाहे वह आन्तरिक गड़बड़ी हो अथवा पाकिस्तान द्वारा काश्मीर पर आक्रमण ?

श्री त्यागी : क्यों नहीं ? यह तो स्पष्ट ही है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल के दौरान कोई भी ऐसा आश्वासन नहीं दे सकता। परन्तु यदि माननीय सदस्य कोई जानकारी लेना चाहें, तो वह ऐसा कर सकते हैं।

श्री हेम बरुआ : मैं केवल यही जानना चाहता हूं कि क्या प्रधान मन्त्री महोदय मानसिक रूप से इस बात के लिये तैयार हैं कि . . .

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल के दौरान कोई आश्वासन देने के लिये नहीं कहा जा सकता । माननीय सदस्य केवल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।

श्री हेम बरुआ : क्या मैं जान सकता हूं कि सैनिक स्थिति के रूप में और मानसिक रूप से भी काश्मीर में इस स्थिति का सामना करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : काश्मीर घाटी में सेना द्वारा स्थिति का सामना करने के लिये हमने प्रत्येक सम्भव कार्यवाही की है । मैं इस बात को बहुत दृढ़तापूर्वक कह सकता हूं ।

श्री कपूर सिंह : क्या इस बात का संकेत मिलता है कि काश्मीर सम्बन्धी नवीनतम स्थिति के कारण पाकिस्तान की सेनाओं के इस जमाव का कोई नया महत्व पैदा हो गया है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण: मेरे उत्तर से कोई गलत धारणा न बनाई जाये, मैंने यह बताया था कि उनकी सैनिक कार्यवाहियां बढ़ रही हैं, परन्तु उसका यह अर्थ नहीं कि वहां पर उनका कोई भारी सैनिक जमाव है ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या सरकार को ऐसी कोई जानकारी है कि सैनिक तैयारियों के इस मामले में पाकिस्तान को चीन द्वारा परीक्ष और अपरोक्ष रूप से भड़काया जा रहा है और यह कि चीन और पाकिस्तान के बीच एक गुप्त सनिक सैन्धि हो गई है ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : ऐसा हो सकता है कि कोई गुप्त सन्धि हो, परन्तु इस सम्बन्ध में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : भारतीय राज्य क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा छुप कर आक्रमण करने और लूट-खसोट की यह जो घटनायें बार बार की जा रही हैं उनको ध्यान में रखते हुए, क्या मैं जान सकता हूं कि काश्मीर स्थिति संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक उस एक घटना को छोड़ कर जिसमें कि पाकिस्तान दोषी पाया गया था, ऐसे कितने और मामले की जांच कर रहे हैं ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण: मैं समझता हूं कि ऐसी बहुत सारी शिकायतें हम निरन्तर करते रहे हैं और वे निरन्तर उनकी जांच कर रहे हैं, इस प्रकार की बहुत सी घटनायें हैं ।

श्री नाथ पाई : क्या माननीय प्रतिरक्षा मन्त्री और माननीय प्रधान मन्त्री इस बात से सहमत हैं अथवा अब भी इस सम्बन्ध में उन्हें कोई भ्रम है कि युद्ध विराम रेखा पर पाकिस्तान को इस नई सैनिक तैयारी, जम्मू पर तथा कथित न पहचाने गये विमानों का बार बार उड़ना—जिनके बारे में हम जानते हैं कि वे पाकिस्तानी विमान हैं और दोनों देशों के बीच तनाव के सम्बन्ध में गृह मन्त्रियों द्वारा किसी समझौते पर न पहुंचने से इस बात का संकेत मिलता है कि सुरक्षा परिषद् के आगामी अधिवेशन के लिये पाकिस्तान एक निर्विवाद तथ्य तैयार करने का प्रयत्न कर रहा है ? और यदि ऐसी बात है तो, क्योंकि यह शान्ति के विरुद्ध एक धमकी है, इस बात को कहने के अतिरिक्त कि हम सतर्क हैं इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : यह एक बहुत ही पेचीदा सवाल है ।

अध्यक्ष महोदय : यह पेचीदा तो है, परन्तु यदि वह इसका उत्तर दे सकते हैं तो दे दें ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जहां तक हमारा सम्बन्ध है, वे वहां पर जो कुछ भी कार्यवाहियां कर रहे हैं हम उन सबको ध्यान में रख रहे हैं और उनके सम्बन्ध में पूर्वोपायी कार्यवाहियां कर रहे हैं। बस इतना ही मैं कह सकता हूं।

श्री नाथ पाई : मेरे प्रश्न का एक भाग यह है कि यह नियमित सैनिक तैयारी किसी योजना के आधार पर हो रही प्रतीत होती है; विमानों का इस प्रकार आना . . .

अध्यक्ष महोदय : यदि जानकारी लेने के लिये कोई सीधा सवाल पूछा जाये तो वास्तव में, मैं माननीय मन्त्री से यह कह सकता हूं कि यदि जानकारी दी जा सकती है,तो वह सीधे रूप में दी जाये।

श्री नाथ पाई : इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला अन्तर्ग्रस्त है, क्या हम आश्वासन नहीं मांग सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला तो इसमें अन्तर्ग्रस्त हो सकता है परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि माननीय सदस्य कोई राय सम्बन्धी और नीति सम्बन्धी आदि बातें कहें।

श्री नाथ पाई : हमें उन बातों को आपस में जोड़ना होता है क्योंकि नहीं तो वे इन सबके आपस के सम्बन्ध को नहीं देखते।

अध्यक्ष महोदय : यदि प्रश्न सीधे नहीं होते हैं तो उत्तर भी स्पष्ट नहीं होते हैं।

श्री हेम बरुआ : श्री नाथ पाई का प्रश्न तो बहुत सीधा था। क्या मैं यह निवेदन कर सकता हूं कि . . .

अध्यक्ष महोदय : श्री नाथ पाई स्वयं ही अपना पक्षपोषण कर सकते हैं। अब, श्री आर० एस० पाण्डेय।

श्री हेम बरुआ : एक पिछले अवसर पर मैंने एक ऐसा ही प्रश्न पूछा था . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री आर० एस० पाण्डेय को पुकार चुका हूं।

श्री राम सहाय पाण्डेय: क्या हमारे प्रतिरक्षा मंत्रालय ने हमारे सैनिक गुप्तचर विभाग द्वारा यह जानने का कोई प्रयत्न किया है कि वे अमरीकी हथियार किस प्रकार के थे ?

अध्यक्ष महोदय : फिर वही बात।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : हमारे पास कुछ जानकारी, परन्तु मैं यह नहीं समझता कि उस सब जानकारी को प्रगट करना हमारे लिये आवश्यक है।

Shri M.L. Dwivedi : Some strange type of aeroplanes have been seen flying over Jammu and Kashmir..if our defence arrangements are adequate, why is it so that we have not been able to identify those planes as to whether they belong to Pakistan or some other country ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मैं इसके तुरन्त पश्चात् ही अथवा जब कभी भी मुझे इसके लिये कहा जाये, इसी प्रश्न के सम्बन्ध में इस सदन में एक वक्तव्य दूंगा।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : इस बात को देखते हुए कि यह एक बहुत ही गम्भीर प्रश्न दें और इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री का केवल यह कह देना ही पर्याप्त नहीं है कि 'मेरे पास कोई जानकारी नहीं

है क्योंकि कोई शस्त्रास्त्र पीछे नहीं छूटे हैं जिनसे यह पता किया जा सके कि वे अमरीका में बनाये हुए हैं अथवा नहीं', क्या हमारी सरकार के लिये यह सम्भव नहीं है कि वे अपने सैनिक गुप्तचर विभाग द्वारा जानकारी प्राप्त करें? या वे इस जानकारी को प्राप्त करने में असफल रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अभी तो उत्तर दिया है कि उनके पास कुछ जानकारी है परन्तु उसे प्रगट नहीं किया जाना है ।

Shri Bade : While replying to Shri Hem Barua's question, the hon. Minister has stated that they have not got any definite information regarding those arms, but a few days ago some Pakistanis were killed at Jammu-Kashmir border and some arms were seized. Has any enquiry been conducted to know as to whom those arms originally belonged to and where were they manufactured ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मैं समझता हूं कि मैंने इसी सम्बन्ध में यह जानकारी दी थी कि कुछ हथियार और विस्फोटास्त्र हमें पड़े हुए तो अवश्य मिले थे परन्तु उनकी जांच करने पर उनसे कोई निश्चित जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकी ।

श्री त्यागी : जैसे कि समाचारपत्रों में हाल ही में समाचार प्रकाशित हुए हैं, क्या यह सच है कि पाकिस्तानी सेनाओं ने युद्ध-विराम समझौता और युद्ध विराम रेखा का उल्लंघन किया था और संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षकों ने अपना निर्णय निश्चित रूप से पाकिस्तानी सेनाओं के विरुद्ध दिया है ? हाल ही में हमारे पुलिस अधिकारियों पर हुए घातपूर्ण आक्रमण में हमारे कितने पुलिस अधिकारी मारे गये थे ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : कारेन के घातपूर्ण हमले के बारे में, निर्णय हमारे पक्ष में और.. पाकिस्तान के विरुद्ध है ।

Indian Language News papers

1015. **Shri Sidheshwar Prasad :**
Shri P. R. Chakraverti :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a committee has been constituted under the chairmanship of Shri Diwakar to consider the problems of Indian language newspapers ; and

(b) if so, the composition of the Committee and its terms of reference ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Sham Nath) : (a) and (b) It has been decided to constitute an Advisory Committee under the Chairmanship of Shri R. R. Diwakar, M.P., to enquire into the present conditions of small and language newspapers and periodicals in the country, and to make recommendations on the steps to be taken by Government for the development of such newspapers. The composition of the Committee is being finalised.

Shri Sidheshwar Prasad : May I know whether it would be a Standing Committee or a provisional one ? If rpovisional, what other matters it will consider ?

Shri Sham Nath : This Committee will be dissolved after it has made recommendations regarding the work entrusted to it. So far as the work to be done by this Committee is concerned, it would enquire into the difficulties being experienced by small newspapers and make recommendations on the steps to be taken by Government to afford assistance to them.

Shri Sidheshwar Prasad : The greatest difficulty being experienced by the small newspapers is that the big newspapers do not let them prosper. Has this Committee been directed to consider this aspect also ?

The Minister of Parliamentary Affairs (Shri Satya Narayan Sinha): We will consider over this matter when the Committee makes recommendations with regard to it. I do'not think that the small newspapers can prosper by restrictions being imposed on big newspapers. We have asked the Committee to make recommendations as to how the difficulties of small and language newspapers can be removed and their condition ameliorated. If the Committee thinks that the small newspapers can develop only by imposing restrictions on the big newspapers, it can make recommendations to this effect.

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इस बात को देखते हुए कि भारतीय भाषाओं के समाचारपत्र ही सब से अधिक पढ़े जाते हैं, इनको उन बड़े अखबारों का मुकाबला करने के लिये, जो कि इन पर छा जाने की स्थिति में हैं, क्या विशेष सुविधायें उपलब्ध की जा रही हैं ?

श्री सत्य नारायण सिंह : हमने अनेक कदम उठाये हैं । हाल में ही हमने एक कदम अखबारी कागज के बारे में उठाया है जिसकी माननीय सदस्य को जानकारी होगी । कटौती की घोषणा करते समय, हमने उन अखबारों को इस बारे में पूरी छूट दी है जो कि केवल ५०० टन की खपत कर रहे हैं । विज्ञापन तथा अन्य बातों के बारे में भी हमने कुछ अन्य कदम उठाये हैं और हमने यथासम्भव उनकी सहायता करने की कोशिश की है । परन्तु इन कदमों से भी पूर्णतया सन्तुष्ट न होने के कारण, हमने यह समिति नियुक्त की है जो कि विस्तृत रूप से सुझाव देगी कि क्या सुधार किये जा सकते है ताकि इन छोटे तथा भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों की स्थिति में सुधार किया जा सके ।

श्री लीलाधर कटकी : प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में माननीय उपमंत्री जी ने बताया कि समिति के गठन को अन्तिम रूप दिया जा रहा है परन्तु निर्देश पद के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा है । यदि निर्देश पद को अन्तिम रूप दिया जा चुका है, तो वे क्या हैं ?

श्री सत्य नारायण सिंह : निदश-पद तो स्वयं उत्तर में स्पष्ट रूप से बता दिये गये हैं और क्या चाहते हैं ?

Shri R. S. Pandey : Is it not a fact that Government has been adopting an indifferent attitude towards Dailies, Weeklies and Fortnightly Magazines published in Indian languages as compared to those published in English ? If so, what is being done by Government to remove this grievance ?

Shri Satya Narayan Sinha : I do not agree with it. In fact, we are not indifferent towards them. But since one cannot be a better judge of oneself we have appointed this Committee to point out the difficulties, if there are any. If the Committee feels that we are really indifferent towards them, we would consider over it.

Shri Sarjoo Pandey : Newspapers are published in Indian languages. Other than those enumerated in our Constitution, such as Bhojpuri. Will the Committee consider the difficulties of such newspapers as well ?

Shri Satya Narayan Sinha: If there are any such newspapers, attention would be paid to their difficulties also. But I am not aware whether some newspapers are being published in dialects or not. In case, these papers fall under the category of language newspapers and the Committee wants to consider over their difficulties, we would not stand in its way.

Shri Yashpal Singh : For the last so many years we are being told about the appointment of a committee. In view of the inordinate delay taken in arriving at a decision to appoint this committee, I would like to know whether Government is in a position to indicate how much time this Committee would take to start functioning ?

Shri Satya Narayan Sinha : The decision to constitute a Committee has been taken. Certain formalities have to be carried out. Letters have been addressed to those who have been appointed as Members of the Committee.

We are waiting for their consent. It is a matter of only few days now.

Shri Ram Sewak Yadav : Is it a fact that the Indian language newspapers, either published in Hindi or in other Indian languages are not prospering due to want of Teleprinters in Indian languages ? So long as English Teleprinters are not abolished and the teleprinters in Indian languages are not manufactured to take their place, no encouragement can be given to Indian language newspapers. Is the Ministry considering this aspect also ?

Shri Satya Narayan Sinha : What is '*Purnanudrak*' ?

Shri Ram Sewak Yadav : Teleprinter.

श्री कपूरसिंह : क्या उनको 'दूरमुद्रक' जैसे आसान शब्द का भी पता नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : इस शब्द को प्रत्येक व्यक्ति नहीं जानता । मैं भी इसको नहीं समझा था ।

Shri Satya Narayan Sinha : Some times it is easier to understand English terms ; their Hindi equivalents are rather ....

Dr. Ram Manohar Lohia : Mr. Speaker, I would submit that the word in question is very simple, irrespective of the fact that the hon. Minister could not understand it.

Mr. Speaker : I am not saying that it is not simple. I only said that I did not know it.

Dr. Ram Manohar Lohia : I can understand the inability of the part of the Minister to understand the word. But I fail to understand how the hon. Speaker could not understand it.

Mr. Speaker : Then, I am prepared to quit. What else can I say. Dr. Sarojini Mahishi.

Shri Ram Sewak Yadav : Sir, I have not received the reply.

Mr. Speaker : The answer is there in the question itself.

डा० सरोजिनी महिषी: अखबारी कागज की कमी तथा विभिन्न राज्यों को अखबारी कागज के कोटे का आवंटन करने के मामले में एक समान नीति न होने के कारण भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों को जो कठिनाई उठानी पड़ रही है, क्या यह समिति उस पर भी विचार करेगी ?

श्री सत्य नारायण सिंह : उसके बारे में भी समिति से प्रतिवेदन देने के लिये कहा गया है।

Shri M.L. Dwivedi : All the communiques and handouts are issued to the small newspapers in English by the Ministry of Information and as such the translated news do not represent the facts as effectively as they should. May I know whether the hon. Minister would see that the news etc. are given to the newspapers in Hindi and other Indian languages by the Ministry of information.

Shri Satya Narayan Sinha : We will see what can be done in this regard.

Shri Tulsidas Jadhav : What facilities have so far been afforded by the Government to ensure smooth functioning of newspapers published at district level ?

Mr. Speaker : This question relates to the committee only.

संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना कार्य

*१०१६. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **प्रधान मंत्री** २३ मार्च, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या ७०४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कांगो तथा गाजा में संयुक्त राष्ट्र के शान्ति स्थापना कार्यों के लिये भारत ने दोनों के अलग अलग आंकड़े बताते हुए--कितना वित्तीय अंशदान किया ;

(ख) संयुक्त राष्ट्र के किन सदस्य राज्यों ने अब तक यह बकाया रकम नहीं दी है ; और

(ग) क्या संयुक्त राष्ट्र ने स्थायी शान्ति स्थापना सेना बनाने के सम्बन्ध में वार्षिक व्यय का अनुमान लगाया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन): (क) और (ख). तीन विवरण सभा पटल पर रखे जाते हैं। [**पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०--२६९९/६४।**]

(ग) जी नहीं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अभी तक न तो स्थायी शान्ति स्थापना सेना बनाई गई है और न ही इस प्रकार की सेना में सैनिकों की संख्या के बारे में कोई पक्के और स्वीकृत प्रस्ताव हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : विवरण में भारत का योगदान डालरों में दिखाया गया है, रुपयों में नहीं। गाजा पट्टी में संयुक्त राष्ट्र आपात सेना के लिये भारत ने लगभग २० लाख डालर दिये हैं और कांगो के लिये लगभग ३० लाख डालर। गाजा पट्टी के बारे में योगदान न देने वाले राज्यों की संख्या ६३ है और कांगो के सम्बन्ध में ७२। क्या मैं जान सकता हूं कि किस आधार पर इस योगदान की गणना की जाती है और क्या यह सच है कि कांगों तथा गाजा में शान्ति स्थापना के कार्यों के लिये योगदान का यह मामला एक बार हेग के विश्व न्यायालय में लाया गया था और उस न्यायालय के फैसले के बावजूद, जिसमें शान्ति स्थापना के कार्यों के लिए योगदान देने के सदस्यों के

दायित्व को माना गया था, अनेक देशों ने, जिनमें रूस तथा फ्रांस जैसे बड़े बड़े देश भी हैं, अपना योगदान देने से इन्कार कर दिया है और यदि हां, तो संयुक्त राष्ट्र में यह मामला कब उठाया गया था, उन देशों की सरकारों ने, रूस तथा फ्रांस सहित, योगदान न देने के क्या कारण बताये हैं ? क्या वे संसार में शान्ति नहीं चाहतीं ?

अध्यक्ष महोदय : यदि सब का जवाब देना हो तो कम से कम तीन मिनट लग जायेंगे ।

श्री हरि विष्णु कामत : प्रश्न बड़ा सीधा है, श्रीमान् । क्या यह मामला हेग कोर्ट को सौंपा गया था तथा उसके फैसले के बावजूद कुछ देशों ने देने से इन्कार कर दिया है और न देने के कारण क्या हैं ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : कारण बहुत से हैं । उदाहरणार्थ, रूस ने इस आधार पर देने से इन्कार कर दिया कि इस बारे में कोई भी निर्णय सुरक्षा परिषद् की सहमति से होना चाहिये और जैसाकि आप जानते हैं, श्रीमान, सुरक्षा परिषद् के निर्णयों के मान्य होने के लिये सभी पांच स्थायी सदस्यों की सहमति आवश्यक है । फ्रांस ने इस आधार पर देने से इन्कार कर दिया कि जब तक सम्बन्धित सदस्य राजी न हो, कोई चीज लागू नहीं होती । फ्रांस ने क्योंकि व्यक्तिगत रूप से फैसले को नहीं माना है, वह दे नहीं रहा है । संयुक्त अरब गणराज्य ने यह कह कर देने से इन्कार कर दिया कि गाजा पट्टी में कार्यों का खर्चा आक्रमणकारियों द्वारा दिया जाना चाहिये । अन्य देशों ने वित्तीय कठिनाइयों के कारण भुगतान नहीं किया ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या हमारा देश ऐसे थोड़े से देशों में है जिन्होंने दायित्व को पूरी तरह माना है और पूरा योगदान दे दिया है और कुछ बकाया नहीं रह गया है । प्रश्न के भाग (ग) के सम्बन्ध में क्या यह सच नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र में एक स्थायी शान्ति स्थापना सेना बनाने का प्रस्ताव है जिसके लिये स्कैंडेनेविया के देशों ने पहले ही एक दल बना लिया है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : उनका प्रश्न क्या है ? उन्होंने तो एक वक्तव्य दे दिया है ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच है . . . .

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : यह सच है कि स्कैंडेनेविया के कुछ देशों के पास, नीदरलैंड तथा कनाडा, फालतू सेना है जो जरूरत पड़ने पर संयुक्त राष्ट्र को दी जा सकती है ।

श्री हरि विष्णु कामत : हम पूरा योगदान क्यों देते रहें जब कि हम से धनी देश बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : अब वह तर्क कर रहे हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या कारण हैं कि जब बहुत से धनी और अधिक शक्तिशाली देशों ने योगदान नहीं दिया है, केवल हम भी पूरा भुगतान क्यों करें जबकि हमारा देश गरीब है !

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद १७(२) के अधीन इस संगठन का व्यय इसके सदस्यों द्वारा वहन किया जाएगा । हम समझते हैं कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा किये जाने वाले शान्ति स्थापना के कार्य सभी सदस्यों का सांझा उत्तरदायित्व है और इसलिये हम अपना हिस्सा देते हैं ।

श्री दाजी : क्या मैं जान सकता हूं कि कितने देशों ने देने से इन्कार कर दिया है या नहीं दिया है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : यह विवरण में दिया हुआ है । ६३ देशों ने नहीं दिया है ।

श्री नाथ पाई : संयुक्त राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों को हमने पूरी निष्ठा से निभाया है जिनमें इस राशि का भुगतान भी है जिसे हम दे नहीं सकते । क्या मैं जान सकता हूं कि हम क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के शान्ति स्थापना के इस प्रयास में योगदान देते रहे हैं, इस बात को देखते हुये कि संयुक्त राष्ट्र कश्मीर से पाकिस्तानी आक्रमणकारियों को निकालने में असफल रहा है तथा सुरक्षा परिषद् को पाकिस्तान द्वारा भारत पर छींटे उछालने के लिये इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या सरकार सुरक्षा परिषद् को यह बता देने को सोच रही है कि जब तक वह काश्मीर से आक्रमणकारियों को निकालने को हमारी प्रमुख शिकायत को दूर नहीं करेगी तथा परिषद् को भारत विरोधी प्रचार के लिये बरते जाने से नहीं रोकेगी, हमें अपने भुगतान के बारे में शायद सोचना पड़ेगा ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक लम्बा वक्तव्य है

श्री नाथ पाई : यह प्रश्न है, श्रीमान ।

अध्यक्ष महोदय : यह लम्बा वक्तव्य है और श्री नाथ पाई महसूस करेंगे कि .....

श्री नाथ पाई : जब हम एक ऐसी संस्था को रुपया देते जाते हैं जो हमारी शिकायतों को दूर नहीं करती .....

अध्यक्ष महोदय : लेकिन इतनी बातें एक साथ नहीं रखी जा सकतीं ।

श्री नाथ पाई : तब शान्ति स्थापना का काम है क्या ?

अध्यक्ष महोदय : उस पर बहस हो सकती है परन्तु एक अनुपूरक के रूप में नहीं ।

श्री जोकीम आल्वा : काश्मीर के मोर्चे पर संयुक्त राष्ट्र के अवलोककों का दल है । क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र से यह मनवाने की कोशिश की है कि उस दल को हम यहां रुपये में भुगतान करें और इस तरह दूसरी तरफ डालर बचायें ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : श्रीमान्, मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती, जब मैं समझी नहीं कि प्रश्न क्या . . . .

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि क्या इस बात की कोई संभावना है कि हम डालरों की बजाय रुपयों में भुगतान कर सकें ।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : एक समझौता है जिसके अनुसार कुछ भुगतान रुपयों में होता है ।

श्री हेम बरुआ : पीछे एक बार बताया गया था कि वित्तीय वीटो से संयुक्त राष्ट्र संघ को ठप्प करने की कोशिश से रूस एक राजनैतिक सौदा करने तथा संयुक्त राष्ट्र में कम्युनिस्ट चीन के प्रवेश पर बल देने का प्रयत्न कर रहा था । अब क्योंकि वे परिस्थितियां नहीं रहीं और रूस की कम्युनिस्ट चीन में कोई दिलचस्पी नहीं रही, क्या हमारी सरकार ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से या सीधे रूस से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि उसने अब तक अपनी पुरानी बात को क्यों नहीं छोड़ा है ?

अध्यक्ष महोदय : इसका इस प्रश्न से क्या सम्बन्ध है ?

श्री हेम बरुआ : यह इसी से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं; इस सम्बन्ध को इतनी दूर तक नहीं ले जाना चाहिये । मुझे खेद है कि मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या संयुक्त राष्ट्र सचिवालय भुगतान न करने वाले देशों को भुगतान करने पर प्रेरित करने के लिये कोई कार्यवाही कर रहा है और इस सम्बन्ध में उसने हमारी सरकार को भी लिखा है; यदि हां, तो प्रस्ताव क्या हैं और हमारी प्रतिक्रिया क्या है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : जैसा मैंने पहले बताया, हम सदा यही समझते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के शान्ति स्थापना के काम एक सामूहिक उत्तरदायित्व हैं और अब भी हमारा यही मत है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उन्हें इस सम्बन्ध में भुगतान न करने वाले देशों पर प्रभाव डालने या उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये संयुक्त राष्ट्र सचिवालय से कोई पत्र मिला है; यदि हां, तो हमारी प्रतिक्रिया क्या है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : यह मामला लगातार संयुक्त राष्ट्र महासभा के सामने है और महा-सचिव इसे जानते हैं । इन देशों को लगातार कहा जाता है कि वे बकाया राशि दे दें ।

श्री रंगा : इस बात को देखते हुए कि विदेशी मुद्रा पाने में हमें बड़ी कठिनाइयां हो रही हैं, सरकार ने संयुक्त राष्ट्र से इस बात की अनुमति लेना उचित क्यों नहीं समझा है कि ५० लाख डालर तक यह भुगतान रुपयों मे किया जाये तथा उस विशेष खंड से मुक्ति पा ली जाये जो कुछ भाग के विदेशी मुद्रा में दिये जाने पर आग्रह करती है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : इसका उत्तर मैं दे चुकी हूं ।

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि क्या डालरों में इतना बड़ा भुगतान करने में अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए हम ने रुपये में भुगतान करने के लिये कोई प्रयत्न किये हैं ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : भुगतान केवल डालरों में ही नहीं किया जाता बल्कि अनेक अन्य मुद्राओं में भी होता है। संयुक्त राष्ट्र की जरूरतों तथा देने की अपनी क्षमता के अनुसार हम देते हैं ।

प्रश्न संख्या १०२७ के बारे में

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न । श्री रा० गि० दुबे ।

श्री रा० गि० दुबे : प्रश्न संख्या १०१७ ।

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमान्, क्या मैं सुझाव दे सकता हूं कि प्रश्न संख्या १०२७ का भी इसके साथ ही उत्तर दे दिया जाये ?

अध्यक्ष महोदय : क्या यह उसी विषय पर है ? क्या माननीय मंत्री दोनों का एक साथ उत्तर देने को तैयार हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : जी हां; उनका एक साथ उत्तर दिया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है । प्रश्न संख्या १०१७ तथा १०२७ का इकट्ठा उत्तर दे दिया जाये ।

पाकिस्तानी रजाकारों द्वारा धावे

\+

*१०१७. **श्री रा० गि० दुबे:**
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री यश पाल सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान २५ मार्च, १९६४ के "टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि उरी के निकट युद्ध-विराम रेखा को पार करके पाकिस्तानी सशस्त्र रजाकार काश्मीर में घुस आये थे और बताया जाता है कि उनकी भारतीय गश्ती दस्ते के साथ मुठभेड़ हो गई थी; और

(ख) यदि हां, तो घटना की मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी हां ।

(ख) २३/२४ मार्च, १९६४ की रात को पाकिस्तानी रजाकारों का एक बहुत बड़ा दल उरी के लगभग ४ मील दक्षिण-पूर्व में युद्ध-विराम रेखा को पार कर के हमारे इलाके में लगभग २००० गज तक अन्दर घुस आया था । एक सैनिक गश्ती दल ने कोई आधे घंटे तक इस दल का सामना किया । उसके बाद पाकिस्तानी धावामार युद्ध-विराम रेखा के उस पार भाग गये और २४ व्यक्तियों को मरा हुआ छोड़ गये । घटना स्थल से कुछ हथियार गोला-बारूद तथा एक हरा झंडा बरामद हुए जिस पर निशान थे । हमारी ओर का कोई व्यक्ति नहीं मरा । संयुक्त राष्ट्र के सैनिक अवलोककों के पास युद्ध-विराम रेखा के उल्लंघन की शिकायत भेज दी गई है; उनके निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है ।

पाकिस्तानियों द्वारा युद्ध विराम रेखा का उल्लंघन

*१०२७. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी सशस्त्र सैनिकों ने जम्मू में युद्ध-विराम रेखा के निकट देओंग नामक एक भारतीय गांव में अनधिकृत रूप से प्रवेश किया था;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने कुछ भारतीय नागरिकों को मार डाला तथा उनके सिर काट दिये थे; और

(ग) घटना की मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) से (ग). २४ मार्च, १९६४ की सुबह को सेहरी, पुलिस स्टेशन नौशेरा, के रहने वाले एक व्यक्ति को पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर के शरारती लोगों ने डिंग गांव के पास, जहां वह घास काटने गया था, मार डाला था। शरारती लोग उसका सिर ले गये। जिस स्थान पर घटना हुई वह युद्ध-विराम रेखा के लगभग एक मील अन्दर और पुलिस स्टेशन नौशेरा के ८ मील दक्षिण-पूर्व में है। स्थानीय पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

श्री रा० गि० दुबे : उरी युद्ध-विराम रेखा से कितनी दूर है, क्या किन्हीं रजाकारों को पकड़ा गया था तथा क्या पूछताछ के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी ?

श्री दा० रा० चह्वाण : यह युद्ध-विराम रेखा के हमारी तरफ है। दूरी ५ से ६ मील तक हो सकती है। घटना के बारे में उत्तर में बता दिया गया है तथा स्थान के बारे में भी।

श्री रा०गि० दुबे : मैं जानना चाहता था कि क्या किन्हीं रजाकारों को जिन्दा पकड़ा गया था, क्या उनसे पूछताछ की गई थी और क्या उन्होंने कोई उपयोगी जानकारी दी थी ?

श्री दा० रा० चह्वाण : कोई रजाकार नहीं पकड़ा गया था।

श्री रा०गि० दुबे : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या हमारी प्रतिरक्षा की कमजोरियों का पता लगाने के लिये रजाकारों के गिरोह भेजना पाकिस्तान के सैनिक प्राधिकारियों की एक नियमित चाल है; यदि हां, तो क्या इस पर सरकार ने समुचित कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : [लगता है कि उस तरफ से वे ऐसी कार्यवाहियां करते हैं और उन्हें हमारी तरफ से जवाब भी ऐसा ही दिया जाता है।

श्री हरि विष्णु कामत : युद्ध-विराम रेखा पर संयुक्त राष्ट्र के सैनिक प्रेक्षकों की संख्या बढ़ाने के हमारे अनुरोध का क्या उत्तर मिला है और उन क्षेत्रों में क्या हुआ है जहां अवलोककों ने हमारे पक्ष में फैसला दिया और पाकिस्तान को दोषी ठहराया था ? मैं जानना चाहता हूं कि उन मामलों में और क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : प्रेक्षकों की अतिरिक्त संख्या के सम्बन्ध में हमारे अनुरोध के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। वैदेशिक-कार्य मंत्रालय इसे कर रहा है। सामान्यतः ये निर्णय संयुक्त राष्ट्र के अवलोकों को बताये जाते हैं और इन पर कार्यवाही करने की उनसे आशा रखी जाती है।]

अध्यक्ष महोदय : पिछली बार हम ने जो शिकायत की थी उसका क्या बना ?

श्री हरि विष्णु कामत : सैनिक प्रेक्षकों ने कतिपय मामलों में पाकिस्तान को दोषी पाया था। मैं जानना चाहता हूं कि उसके बाद क्या हुआ। क्या कागज फाइल में लगा दिये गये हैं या कोई कार्यवाही भी की गई है ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : प्रेक्षकों की संख्या बढ़ाने के लिए हम ने उन्हें कहा है और मुझे बताया गया है कि संख्या को बढ़ाने की बात उन्होंने मान ली है। यह था प्रश्न का एक भाग। निर्णय हो जाने के बाद क्या किया जाता है, इस बारे में मैं निजी रूप से कुछ नहीं कह सकता। परन्तु यह निश्चित है कि युद्ध-विराम रेखा के उल्लंघन का यह मामला हमारे पक्ष में है।

श्री नाथ पाई : इस प्रश्न का उत्तर वैदेशिक-कार्य मंत्रालय द्वारा दिया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : उत्तर पहले दिया जा चुका है । मंत्री महोदय ने पहले बताया था कि प्रत्येक दिन की घटनाओं का रिकार्ड है और अन्ततः उन्हें दर्ज कर दिया जाता है ।

श्री नाथ पाई : श्रीमान, आपको याद होगा कि पिछले समय में बार-बार ऐसा हुआ है । आज के अखबारों में भी छपा है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षकों ने पाकिस्तान को युद्ध-विराम रेखा के उल्लंघन का दोषी पाया है । जो तीन घटनायें हुई हैं उन में पाकिस्तान का दोष स्पष्टतः सिद्ध हो चुका है । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षकों की उपपत्तियां मिलने के बाद हम हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाते हैं और आक्रमण के बारे में कोई कार्यवाही नहीं की जाती है ? मैं प्रतिरक्षा मंत्री की कठिनाई को समझ सकता हूं । वैदेशिक-कार्य मंत्री इसका उत्तर दें ।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : मैं इस प्रश्न का उत्तर पहले ही यहां दे चुकी हूं । स्थिति यह है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षकों की रिपोर्टों को फाइल में दर्ज कर दिया जाता है और उन पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या किसी प्रयोजन के लिये कभी इसका प्रयोग किया गया था या नहीं ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : मैं तो नहीं जाती ।

श्री नाथ पाई : तो इसकी जरूरत क्या है ?

श्री हरि विष्णुकामत : क्या सरकार का ध्यान ऐसी सूचनाओं की ओर गया है कि पाकिस्तानी सैनिक अमरीका तथा चीन मे सैनिक प्रशिक्षण पा रहे हैं तथा पाकिस्तान और चीन के बीच एक गुप्त सैनिक समझौता है और यदि हां, तो क्या सरकार का, बल्कि प्रधान मंत्री का विचार इन तथ्यों को तथा युद्ध-विराम रेखा पर पाकिस्तान की बढ़ती हुई हठधर्मी को राष्ट्रमंडल के सदस्य-देशों के ध्यान में लाने का है जिसके भारत और पाकिस्तान दोनों सदस्य हैं ? क्या प्रधान मंत्री राष्ट्र-मंडल सम्मेलन में भाग ले रहे हैं ?

Dr. Ram Manohar Lohia : On a point of order, Sir, The Minister without fortfolio has no right to answer such questions. I would like to place before you a precedent because . . .

Mr. Speaker : I cannot agree to it because the President has allowed the Minister withour Port folio to perform such duties as assigned to him by the Prime Minister. Now if the Prime Minister directs him to answer it, he would do so. There is no point of order in it . . .

Dr. Ram Manohar Lohia: The point of order is . . .

Mr. Speaker : There is no point of order in it.

Dr. Ram Manohar Lohia : Sir, I would request you to give your decision after hearing me. There is after all a way to do these things . . .

Mr. Speaker : Doctor Sahib, certain things are so evident that the first two or three words reveal what argument you are going to adavnce. Howsoever you may develop, you will conclude by asking whether he has the right to answer the qustions addressed to the Prime Minister. Ultimatey, you will come to that. That is why I say that according to the notification issued he would discharge the duties assigned to him by the Prime Minister. So, this question does not arise.

Dr. Ram Manohar Lohia : Now, Sir, you know only my conclusion. I was mayself not aware of all these things till I read Jenning's book on Cabinet Governmet. We follow the British in all these things. I wish to submit that the British have presented certain precedents in this regard . . .

Mr Speaker : It is a very comprehensive question. The hon. Mentr can raise this matter when Demands of the Home Ministry or the Finance Bill are taken up but not during the Question Hour.

Dr. Ram Manohar Lohia : Can the Prime Minister assert his will ? Can he allot any department to any individual ?

Mr. Speaker : It cannot be decided during the Question Hour.

Dr. Ram Manohar Lohia : Sir, I.....(*Interuptions*)

Mr Speaker : Order, order.

Dr. Ram Manohar Lohia : I bow to your order but what is this going on on that side ? You say that I whould not use the word *jhund* (group) for them but I want to make one thing clear that I stop speaking at your Command but how discussion can go on if that group would continue to suppress.

Mr. Speaker : The hon. Member cannot raise this discussion during the Question Hour. If you want to discuss this point, look for another opportunity. Now Supplementaries are being put and therefore no matter of policy or discussion can be raised at this moment. This is not the occasion for it. Shri Lal Bahadur Shastri.

Dr. Ram Manohar Lohia : It is a point of order . . .

Mr. Speaker : There is no point of order. Let the House listen to the reply of the hon. Minister.

Dr. Ram Manohar Lohia: The Prime Minister cannot have his own way. He is to function according to some book on Cabinet Government . . .

Mr. Speaker : No, there is no point of order now.

श्री हरि विष्णु कामत : क्या मैं अपने प्रश्न को दोहरा दूं ?

बिना विभाग के मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : माननीय सदस्य द्वारा पूछी गई दो बातें मुझे याद हैं । पहले उन्होंने पूछा था कि क्या हमने युद्ध-विराम रेखा पर होने वाली गतिविधियों तथा इस बारे मे पाकिस्तान की हठधर्मी के सम्बन्ध में राष्ट्रमंडलीय तथा अन्य देशों को सूचित रखा है ।

श्री हरि विष्णु कामत : तथा चीन और अमरीका में पाकिस्तानी सैनिकों के प्रशिक्षण पाने और पाकिस्तान तथा चीन के बीच पता चले गुप्त सैनिक समझौते के बारे में ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री: जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, सरकार को इसका कुछ पता हो सकता है परन्तु अनुमान अथवा कुछ गोपनीय जानकारी के आधार पर ही अन्य सरकारों को जानकारी देना कठिन है। दूसरी बातों के बारे में हम ने अन्य देशों को बताया है। हमारे राजदूत देशों के नेताओं तथा उन सरकारों के अन्य मंत्रियों को इस बारे में निश्चित जानकारी देते हैं। रिपोर्टों का क्या उपयोग होता है, जहां तक मैं जानता हूं उन्हें रजिस्टर तथा रिकार्ड कर दिया जाता है। हो सकता है कि जब कभी संयुक्त राष्ट्र या सुरक्षा परिषद् में इस विषय पर चर्चा हो तो संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षकों की रिपोर्ट हमारी सहायता करेगी। मैं समझता हूं कि केवल यही प्रयोजन है उसके आगे और कुछ नहीं।

श्री हरि विष्णु कामत: राष्ट्रमंडल के अन्य सदस्य देशों की प्रतिक्रिया क्या है?

अध्यक्ष महोदय: श्री पी० आर० चक्रवर्ती:

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती: रजाकारों तथा सशस्त्र पाकिस्तानियों द्वारा युद्ध-विराम रेखा के बार-बार होने वाले उल्लंघनों को देखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि क्या काश्मीर में स्थित संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षकों ने इस तथ्य की ओर सुरक्षा परिषद् का ध्यान आकर्षित किया है?

श्री यशवन्त राव चह्वाण: मेरे विचार में उन्हें ऐसा करना होता है। मेरा अनुमान है कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को अवश्य बताया होगा।

श्री स० मो० बनर्जी: श्रीमान, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमें कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिलता है। किसी को तो स्थिति का ज्ञान होना चाहिए--वैदेशिक-कार्य मंत्री को या प्रतिरक्षा मंत्री को। अब प्रत्येक उत्तर अनुमान से दिया जाता है।

Shri Yashpal Singh: Razakar is a non-official organisation of Pakistan. Why should this Government take upon itself to confront such a private organisation? Why does it not entrust this work to RSS?

Shri Bade: We are ready.

अध्यक्ष महोदय: यह एक सुझाव है।

Shri Bade: The hon. Minister has just now stated that Razakars were sent by Pakistan. Has any attempt been made to find out whether the arms supplied to them are manufactured in Pakistan or in some other country?

श्री यशवन्त राव चह्वाण: जी हां। हमें जो शस्त्र और गोला-बारूद मिले हैं हमने उनके बारे में जानने की कोशिश की है। कुछ मामलों में पता चला है कि ये शस्त्र वे हैं जो विभाजन के समय पाकिस्तान को मिले थे। कुछ हथगोले आदि पाकिस्तान में निर्मित पाए गए थे।

श्री नाथ पाई उठे--

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि श्री नाथ पाई को मौका मिल चुका है। श्री पाण्डेय।

श्री राम सहाय पाण्डेय: क्या मैं जान सकता हूं कि जो शस्त्र और गोला-बारूद बरामद हुये थे क्या उनकी किस्म के बारे में कोई जांच की गई थी?

श्री यशवन्त राव चह्वाण: अभी अभी मैं ने यही बताया है।

श्री जोकीम आल्वा : सरकार के पास जो जानकारी है मैं उसे जानना चाहता हूं । १९४७ में पाकिस्तान से छापे मारे गए थे । अब रजाकार धावे बोलते हैं । क्या दोनों में कोई तालमेल है ? माननीय मंत्री ने कहा है कि केवल तरीके ही अलग अलग हैं ।

श्री यशवन्त राव चह्वाण : कभी वे हमलावर होते हैं; कभी रज़ाकार होते हैं; कभी स्थानीय लोग होते हैं और कभी पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर द्वारा प्रशिक्षित व्यक्ति ।

श्री त्यागी : जहां तक मैं जानता हूं और संसार को भी पता है, युद्ध-विराम रेखा पर आक्रमण के सम्बन्ध में बहुत से निर्णय पाकिस्तान के विरुद्ध हुए हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने यह सवाल सुरक्षा परिषद् में क्यों नहीं उठाया था यह चुनौती क्यों नहीं दी कि यदि ये चीज़ें चलती रहीं तो हम अपनी सेनायें भेज कर काश्मीर के अपने हिस्से पर कब्ज़ा कर लेंगे ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मुझे खेद है कि यह प्रश्न सीधे हमसे किया गया है क्योंकि मैं बड़ी नम्रता से सभा से निवेदन करूंगा कि इन मामलों पर दोनों ओर बहुत कुछ कहा जा सकता है । इस लिये मैं सभा से प्रार्थना करूंगा कि इस बात पर ज़ोर न डाला जाए । जो कुछ जरूरी समझा जायेगा और परिस्थितियां जैसी होंगी हम वैसी कार्यवाही अवश्य करेंगे ।

श्री हेम बरुआ : क्या मैं आपका ध्यान एक प्रश्न के उत्तर में माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये उस वक्तव्य की ओर दिला सकता हूं जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि आवश्यक हुआ तो हम युद्ध-विराम रेखा को भी पार करेंगे ? बिना विभाग के मंत्री अब उस वक्तव्य को और रूप देने की कोशिश कर रहे हैं .... **(अन्तर्बाधायें)**

श्री नाथ पाई : श्रीमान, उन्होंने कहा है कि दोनों ओर बहुत कुछ कहा जा सकता है । मैं समझता हूं कि यह कह कर वह आक्रान्त और आक्रान्ता को, भारत तथा पाकिस्तान को एक ही स्तर पर खड़ा करना नहीं चाहते । हम जानते हैं कि उनका यह अभिप्राय नहीं था हम एक स्तर पर नहीं है और पाकिस्तान काश्मीर के बारे में वह नहीं कह सकता जो हम कह सकते हैं . . . (अन्तर्बाधायें)

श्री लाल बहादुर शास्त्री : इस बारे में कोई सन्देह नहीं कि पकिस्तान अधिक आक्रामक है . . .

श्री नाथ पाई : अधिक आक्रामक ? .... **(अन्तर्बाधायें)**

श्री हरि विष्णु कामत : "अधिक" शब्द वापस लिया जाना चाहिए ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । माननीय सदस्य अपने अपने स्थान पर बैठ जायें ।

श्री हनुमन्तैया : पहले से अधिक आक्रामक रहा है ।

श्री रंगा : आप एक भूतपूर्व मुख्य मंत्री हैं; आपको इन चीज़ों को अधिक अच्छी तरह से समझना चाहिये ।

Dr. Ram Manohar Lohia : Sir, I submit that you have seen the result of having two Prime Ministers and at the same time you are being cruel to hon. Shri Shastriji by making him speak in English.

श्री लाल बहादुर शास्त्री : क्या मैं यह निवेदन कर सकता हूं कि मैं जो कुछ कहना चाहता हूं वह मुझे पूरा करने दिया जाए तथ्य यह है कि वह पहले से ही कहीं ज्यादा आक्रामक था . . . **अन्तर्बाधायें)**

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को उत्तर सुनना चाहिये । पहले से हम कैसे जान सकते हैं ? प्रश्नकाल समाप्त हुआ । अब हम आगे का कार्य लेंगे ।

प्रश्न संख्या १०१८ के बारे में

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमान, क्या मैं यह प्रार्थना कर सकता हूं कि प्रश्न संख्या १०१८ को ले लिया जाए ? तथ्य यह है कि पिछली बार प्रश्नकाल के बाद आपने इसी प्रश्न की अनुमति दी थी—पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यक ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं देता ।

श्री हरि विष्णु कामत: क्या आपका कहना यह है कि आपने उस दिन इसकी अनुमति नहीं दी थी या आज आप इसकी अनुमति नहीं दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं आज इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Abduction of Hindu Girls in East Pakistan

*1018. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Hari Vishnu Kamath :

Will the **Prime Minister** be pleased to refer to the reply given to starred Question No. 814 on the 30th March, 1964 regarding abduction of Hindu Girls in East Pakistan and state :

(a) whether any reply from the Indian Deputy High Commissioner in East Pakistan has been received :

(b) whether information in this connection has been collected from other sources as well ; and

(c) if so, the conclusions arrived at by Government ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs(Shrimati Lakshmi Menon) : (a) & (b) Yes Sir, the enquiries made by our Deputy High Commissioner at Dacca reveal that the news report is without any foundation.

Further more the Hindi Newspaper which carried the report has been contacted, but we have not been able to ascertain any further details.

(c) It appears that there is no truth in this news report.

पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड

*१०१९. श्री यशपाल सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २५ नवम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या १७१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्तन और गोदी कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय): (क) और (ख) मामला अभी विचाराधीन है ।

निरस्त्रीकरण

*१०२०. श्री हरि विष्णु कामत :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री कछवाय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन राष्ट्रों ने सामान्य तथा विश्व निरस्त्रीकरण में अन्य राज्यों से सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की है ;

(ख) किन राष्ट्रों ने निश्चित रूप से ऐसा करने से इन्कार कर दिया है; और

(ग) किन कारणों से ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री लक्ष्मी मेनन) : (क) सभी राष्ट्रों ने सामान्य तथा पूर्ण निरस्त्रीकरण के लक्ष्य के पक्ष में होने की घोषणा की है । तथापि राष्ट्रों के बीच शायद अधिक प्रभावी सहयोग हो सकता था यदि पूर्ण निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को पाने के मार्गोपायों के बारे में उनके विचारों में इतनी भिन्नता न होती ।

(ख) किसी ने नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केन्द्रीय चाय मजूरी बोर्ड

*१०२१. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २५ नवम्बर १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या १८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय चाय मजूरी बोर्ड ने इस बीच अपना अन्तिम प्रतिवेदन पेश कर दिया है ;

(ख) यदि हां तो बोर्ड की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो अध्ययन इस समय किस स्थिति में है और प्रतिवेदन के कब तक मिल जाने की आशा है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) बोर्ड ने सार्वजनिक सुनवाई का काम पूरा कर लिया है और अब अपने निष्कर्षों को अन्तिम रूप देने के लिये बैठकें कर रहा है । इस समय यह बताना संभव नहीं है कि बोर्ड द्वारा अन्तिम प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया जायेगा ।

उद्योगों की रोजगार क्षमता

*१०२२. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में काम दिलाऊ दफ्तरों के निदेशालय द्वारा देश में विभिन्न उद्योगों की रोजगार क्षमता का सर्वेक्षण किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पाकिस्तान को चीन की सशस्त्र सहायता

*१०२३. **श्री प्र० रं० चकवर्ती** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान पाकिस्तान के विदेश मंत्री श्री जैड० ए० भुट्टो, द्वारा २० मार्च, १९६४ को न्यूयार्क में दिए गए इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि काश्मीर युद्ध विराम रेखा के पार भारतीय आक्रमण को रोकने के लिये यदि आवश्यक हुआ तो पाकिस्तान सरकार चीन से शस्त्र सहायता स्वीकार कर लेगी ;

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या यह बात संयुक्त राष्ट्र के मुख्य सदस्यों विशेषत: 'नाटो' 'सीएटो' तथा 'सैंटो' के सदस्यों, को बता दी गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) और (ख). पाकिस्तान के विदेश मंत्री के वक्तव्य को भारत, पाकिस्तान तथा विदेशों के समाचारपत्रों ने अलग-अलग रूप में छापा है । यह वक्तव्य बड़े अस्पष्ट शब्दों में दिया गया था और शायद इरादा यह था कि अलग-अलग लोग इसका भिन्न-भिन्न अर्थ लगायें । तथापि इतना स्पष्ट है कि उन्होंने यह कहने से संकोच किया कि पाकिस्तान भारत के विरुद्ध चीन की सहायता को स्वीकार नहीं करेगा । सरकार ने वक्तव्य पर ध्यान दिया है ।

(ग) जी, नहीं ।

पश्चिम जर्मनी से तकनीकी सहायता

*१०२५. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विश्व नाथ पाण्डेय :
श्री गहमरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मन सरकार ने भारतीय उद्योगों तथा कृषि को तकनीकी सहायता देने के लिये भारत में 'अमरीकी शांति दल' के समान एक कार्यक्रम आरम्भ करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सहायता कार्यक्रम वस्तुतः क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) और (ख) अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

तटस्थ राष्ट्रों का सम्मेलन

*१०२६. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तटस्थ राष्ट्र शिखर सम्मेलन का आयोजन करने के लिये कोलम्बो में मार्च १९६४ में हुए २५ तटस्थ राष्ट्रों के राजदूतों के सम्मेलन में क्या निर्णय किये गये ; और

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २७०० / ६४]**

(ख) सरकार किये गये फैसलों का स्वागत करती है ।

Kidnapping of Indian Nationals

2071. Shri Tan Singh : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Pakistanis kidnapped two Indian nationals and lifted a few heads of cattle on the 16th December, 1963 from the border village, Diga, District Jaisalmer of Rajasthan ;

(b) the efforts made to recover those persons and the cattle ; and

(c) the steps being taken to check the recurrence of such incidents in future ?

The Prime Minister, Minister of External Affairs and Minister of Atomic Energy (Shri Jawaharlal Nehru) : (a) Yes, Sir ; the incident took place on the 10th December, 1963.

(b) The matter has been taken up with the concerned authorities in Pakistan.

(c) Precautionary measures have been taken to prevent recurrence of such incidents in future.

Soldiers' Sailors' and Airmen's Boards in U.P.

2072. Shri Ranajai Singh : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether any Soldiers', Sailors' and Airmen's boards in U.P. have been made permanent ;

(b) if so, the names of the respective districts ; and

(c) the names of boards which have been provided with telephones.

The Minister of Defence (Shri Y.B. Chavan) : (a) and (b). No, Sir

(c) None of the Boards has been provided with telephones. Presidents of District Soldiers', Sailors' Airmen's Boards who are also District Magistrates however, have telephones.

गृह-निर्माण समिति, अम्बाला छावनी

२०७३. **श्री चुनी लाल :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री २५ अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माता कस्तूरबा गृह-निर्माण सहकारी समिति, अंबाला छावनी को, छावनी के बोर्ड में सहकारी आंदोलनों के बढ़ाने के लिये, अपेक्षित भूमि दी गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो भूमि के कब दिये जाने की आशा है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख). समिति को पट्टे पर भूमि देने का निर्णय किया गया है और इस प्रश्न की जांच हो रही है कि पट्टा किस रूप में हो। भूमि समिति को शीघ्र ही दी जायेगी ।

अम्बाला छावनी के भंगी

२०७४. **श्री चुनी लाल :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को छावनी बोर्ड, अम्बाला के अन्तर्गत नियुक्त भंगियों से, वेतन-वृद्धि की बकाया राशि के भुगतान न किये जाने के बारे में, अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख) छावनी बोर्ड, अम्बाला के अधीन नियुक्त भंगियों से इस मामले में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, स्थानीय बालमीक सभा ने अभ्यावेदन दिया है कि अम्बाला छावनी बोर्ड के कर्मचारियों को १ अप्रैल, १९६१ से स्वीकार्य अतिरिक्त महंगाई भत्ता नकद दिया जाना चाहिये न कि राष्ट्रीय योजना बचत प्रमाणपत्रों के रूप में पंजाब सरकार के कर्मचारियों के मामले में विद्यमान स्थिति के आधार पर छावनी बोर्ड के कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ता राष्ट्रीय योजना बचत प्रमाण पत्रों के रूप में दिया जा रहा है। यह राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, के पंचाट के अनुसार भी है ।

भारतीय वायु सेना के मरम्मत के लिये उतरे हुए विमान

२०७५. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारतीय वायु सेना के पास कितने विमान मरम्मत के लिये पड़े हैं ;

(ख) वे कब से मरम्मत के लिये पड़े हैं ; और

(ग) उन में से कितनों की मरम्मत नहीं हो सकती ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण):(क) कोई नहीं। कुछ विमान सदैव ही सार्वाधिक संधारण अथवा अस्थायी रूप से खराब हो जाने पर मरम्मत के लिये जमीन पर रहते हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

पूर्व अफ्रीकी देशों में भारतीय व्यक्ति

२०७६. **श्री प्र० चं० बरुआ**: क्या **प्रधान मंत्री** २६ नवम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में मंत्री के पूर्व अफ्रीका के देशों के दौरे में उनको उन देशों में रहने वाले भारतीय उद्भव के लोगों (जिन में गोआनी भी शामिल हैं) द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू): सरकार ने प्राप्त हुए सभी अभ्यावेदनों पर ध्यानपूर्वक विचार कर लिया है और निम्नलिखित कार्यवाही की है :—

(१) सीमा शुल्क सुविधाओं, सामान सम्बन्धी नियमों और आयात व्यापार नियंत्रण को भारतीय उद्भव के ऐसे लोगों के हित में काफी उदार बनाया गया है जो पूर्व अफ्रीका से स्थायी रूप से बसने के लिए भारत में आना चाहते हैं ।

(२) आने वाले लोगों को भारत में उनके पुनर्वास और पुनःरोजगार दिलाने की सुविधायें देने के सम्बन्ध में वैदेशिक-कार्य मंत्रालय भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ बात-चीत कर रहा है ।

(३) भारतीय पारपत्रों के अर्जन के मामले में गोआनी सम्प्रदाय के सदस्यों द्वारा मांगा गया स्पष्टीकरण उन को दारेस्सलाम में स्थित उच्च आयोग द्वारा दे दिया गया था। गोआनियों को भारतीय पारपत्र उदारतापूर्वक जारी किये जा रहे हैं ।

उत्तर प्रदेश के काम दिलाऊ दफ्तरों में रजिस्टरों में दर्ज अनुसूचित जातियों के व्यक्ति

२०७७. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ दिसम्बर, १९६३ को उत्तर प्रदेश के विभिन्न काम दिलाऊ दफ्तरों में दर्ज अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों की क्या संख्या थी ; और

(ख) इन में से कितने अभ्यर्थियों को १९६२ में और जनवरी, १९६३ से दिसम्बर, १९६३ तक रोजगार दिलाया गया ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) : (क) ६३,१९९

(ख) जानकारी नीचे दी गई है ।

वर्ष	अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की संख्या जिनको रोजगार दिलाया गया
१९६२	१४,४२०
१९६३	१५,०८४

पाकिस्तानियों द्वारा अनधिकृत प्रवेश

२०७८. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ६ फरवरी, १९६४ को लगभग १०० सशस्त्र पाकिस्तानी त्रिपुरा के बेलोनिया सबडिवीजन में पूरन राजवाड़ी के समीप भारतीय प्रदेश में घुस आये और भारतीयों पर आक्रमण किया ;

(ख) क्या अनधिकार प्रवेश करने वालों को भारतीय गश्ती दल द्वारा चुनौती दी गई थी ;

(ग) यदि हां, तो कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ; और

(घ) क्या छापामारों द्वारा भारतीय प्रदेश में अनधिकार प्रवेश किये जाने की यह महीने में दूसरी घटना थी ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू): (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) कोई नहीं, श्रीमान ।

(घ) जी, हां ।

Publication of Bulletin by Chinese Embassy

2079. { **Shri Bibhuti Mishra :** / **Shri Kachhavaiya :**

Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Chinese Embassy in Delhi has started the publication of a bulletin called 'Chin Samachar' in Hindi ; and

(b) if so, since when and what is the frequency of the publication ?

The Prime Minister, Minister of External Affairs and Minister of Atomic Energy (Shri Jawaharlal Nehru) : (a) Yes, Sir.

(b) It is a weekly bulletin ; the first issue was published on the 16th January 1964.

Repair of Churches in Goa

2080. Shri Prakash Vir Shastri : Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) whether any financial assistance has been given for repairing old churches in Goa and other works connected therewith ;

(b) whether any direction or cooperation has been offered to the present administration in Goa for this purpose ; and

(c) the nature of co-operation offered and the conditions attached thereto ?

The Prime Minister, Minister of External Affairs and Minister of Atomic Energy (Shri Jawaharlal Nehru): (a) The Archaeological Survey of India provided a sum of Rs. 1 lakh for the repair of the seventeen selected monuments during 1963-64, and a total amount of Rs. 5·73 lakhs for the South-Western Circle during 1964-65 out of which the amount required for Goa monuments will be earmarked according to their requirements.

(b) & (c) : The Archaeological Survey of India give expert advice to the Archaeological Committee appointed by the Government of Goa, Daman & Diu and have also established a Sub-circle in Old Goa. When the selected monuments are declared as centrally protected, their upkeep will be the responsibility of the Archaeological Survey of India. No conditions are attached to the financial and technical assistance rendered by the Central Government.

ई० एम० ई० वर्कशाप, दिल्ली छावनी

२०८१. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कमांडेंट, ५०५ सेन्ट्रल वर्कशाप, दिल्ली छावनी की अध्यक्षता में एक निरीक्षण दल ने डब्लू ३ मशीनरी के निरीक्षण के लिये मशीनरी सब डिपो (सी० ओ० डी०), दिल्ली छावनी का दौरा किया ;

(ख) यदि हां, तो क्या ५०,००० रु० के मूल्य की इतेस्माल में लाने योग्य मशीनरी निकम्मी ठहराई गई थी और उसे 'साल्वेज डिपो' में भेज दिया गया है ; और

(ग) क्या सरकार देश को हुई इस हानि के कारण का पता लगाने के लिये कोई जांच समिति नियुक्त करने का विचार कर रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण): (क) जी, नहीं । कमांडेंट, ५०५ केन्द्रीय ई० एम० ई० वर्कशाप, दिल्ली छावनी की अध्यक्षता में, युद्ध-पूर्व डब्ल्यू ३ मशीनरी के स्टाक की जांच करने के लिये, जिसके बारे में उपयोक्ताओं की ओर से बहुत देर से कोई मांग नहीं आई, निम्नलिखित उद्देश्य से, सेना मुख्यालय द्वारा एक "फालतू मशीनरी जांच बोर्ड" बनाया गया है :—

(१) सेना की बकाया मांगों और भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये इस मशीनरी का उपयोग करने की संभाव्यता की जांच करना ;

(२) ऐसी मशीनरी के निबटान के लिये सिफारिशें करना जिसके लिये कोई आवश्यकता न हो ।

बोर्ड ने अभी अपना कार्य पूरा नहीं किया है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

चीन और पाकिस्तान के बीच गुप्त समझौता

२०८२. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बारे में कोई समाचार मिले हैं कि चीन और पाकिस्तान के बीच एक बिना लिखा अथवा गुप्त सैनिक समझौता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रभावों और परिणामों का अध्ययन कर लिया गया है अथवा किया जा रहा है ; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) : (क) यद्यपि चीन और पाकिस्तान के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सांठ-गांठ होने के अधिकाधिक प्रमाण मिलते हैं, तथापि इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि दो देशों के बीच कोई सैनिक समझौता हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

दिल्ली प्रशासन में रोजगार अधिकारी

२०८३. **श्री विश्राम प्रसाद** :
श्री य० ना० सिंह :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन में रोजगार अधिकारियों के स्थान पर बाहर से प्रतिनियुक्त किये गये व्यक्ति हैं ;

(ख) इन अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि क्या है ;

(ग) क्या निर्धारित अवधि के पश्चात् भी अधिकारियों को रहने दिया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय): (क) जी हां; रोजगार अधिकारियों के कुछ स्थानों पर राज्य रोज़गार सेवाओं की उन्हीं श्रेणियों के अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया जाता है और अन्य स्थानों पर प्रादेशिक असैनिक सेवाओं और अन्य सेवाओं के अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया जाता है ।

(ख) प्रतिनियुक्ति की सामान्य अवधि चार वर्ष है ।

(ग) और (घ). जी हा, प्रत्येक मामले पर योग्यता के आधार पर विचार किया जाता है।

अपंग व्यक्तियों के लिये काम दिलाऊ दफ्तर

२०८४. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री य० ना० सिंह :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में अपंग व्यक्तियों के लिए काम दिलाऊ दफ्तर कब खोला गया था ;

(ख) उस दफ्तर के लिए कितने कर्मचारी मंजूर किये गये ;

(ग) गत एक वर्ष से दफ्तर का औसत मासिक व्यय क्या है ; और

(घ) इस दफ्तर के द्वारा अब तक कितने अन्धे व्यक्तियों को रोजगार दिलाया गया है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) : (क) १-३-१९६१

(ख) उप-क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी . १
स्टेनोग्राफर १
अपर डिवीजन क्लर्क १
चपरासी १
भंगी १

(ग) २,७०० रु०

(घ) १०१

विदेश जाने वाले रोजगार अधिकारी

२०८५. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री य० ना० सिंह :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टी० सी० एम० के अन्तर्गत दिल्ली प्रशासन के रोज़गार अधिकारी अमेरिका भेजे गये थे ;

(ख) यदि हां, तो अधिकारियों को चुनने के लिये क्या कसौटी अपनाई गई ; और

(ग) क्या यह सच है कि केवल बाहर से प्रतिनियुक्त किये गये अधिकारी ही चुने गये ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) : (क) जी हां ।

(ख) विदेशों में प्रशिक्षण के लिए अधिकारियों के चुनने के लिए इन इन बातों का ख्याल रखा गया : उपयुक्तता एवं योग्यता, रोजगार सेवा में उनका अनुभव, वास्तव में जिन काम पर वे रहे और प्रशिक्षण का क्षेत्र ।

(ग) जी हां । तथापि, अधिकारियों के राज्यों का ख्याल न रख कर उनको ऊपर दी हुई कसौटी के आधार पर चुना जाता है ।

काम दिलाऊ दफ्तर

२०८६. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों (राज्यवार) में १९६४–६५में कितने काम दिलाऊ दफ्तर खोलने का विचार है; और

(ख) उन्हें किन स्थानों पर स्थापित किया जायेगा ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया [देखिये संख्या एल० टी० २७०१/६४]**

Lucknow Aerodrome

2087. Shri S. L. Verma : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the additional area of land Government propose to acquire in connection with the aerodrome construction at Bakshi-Ka-Talab, Lucknow ;

(b) the names of villages covered by the land proposed to be acquired ; and

(c) when the compensation will be paid to the farmers of those villages ?

The Minister of Defence: (Shri Y. B. Chavan): (a) the exact requirements have not yet been finally assessed but it is estimated that about 500 acres of land will be required for the works services at present proposed to be provided at the airfield. Against this requirement, land measuring 411 acres has already been requisitioned and is under acquisition.

(b) the villages affected are Bhauli, Pachim Gaon, Parbat Pur, Rudhar, Bishram Pur and Majhuria.

(c) Full and final compensation will be paid as soon as the amount has been assessed by the Land Acquisition Collector, Lucknow. In the meantime, an interim compensation amounting to Rs. 1,30,219/- has been paid for the requisitioned land.

छावनी बोर्ड, अम्बाला

२०८८. **श्री अ० ना० विद्यालंकार :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि छावनी बोर्ड, अम्बाला द्वारा लगभग ४००,००० रु० की गृह-**कर** (हाउस टैक्स) और जल कर (वाटर टैक्स) की बकाया राशि अभी भी वसूल की जानी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कर सुपरिन्टैन्डैन्ट का पद लगभग तीन वर्ष से खाली पड़ा है; और

(ग) बकाया राशि की वसूली के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी हां, बकाया राशि लगभग ५.५० लाख रु० है जिसमें १,९९,०७९ रु० की निष्क्रान्त सम्पत्ति की देय राशि भी शामिल है।

(ख) जी, हां।

(ग) छावनी अधिनियम, १९२४ के उपबन्धों के अन्तर्गत छावनी बोर्ड द्वारा सम्पत्तियों के मालिकों/धारकों से बकाया राशि की वसूली के लिए कार्यवाही की जा रही है। टैक्स सुपरिन्टैन्डैन्ट के पद को भरने के प्रश्न पर भी छावनी बोर्ड के साथ लिखा पढ़ी चल रही है।

सैनिक नर्सिंग स्कूल

२०८९. **श्री राम हरख यादव :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) देश में कितने सैनिक नर्सिंग स्कूल हैं तथा वे किन स्थानों पर हैं?

(ख) क्या सरकार का पूना मे एक नया स्कूल चलाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब और उसका अनुमानित व्यय क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण): (क) ऐसे पांच स्कूल हैं। वे दिल्ली छावनी, पूना, लखनऊ, जालन्धर और आई० एन० एच० एस० असविनी (बम्बई) के सैनिक अस्पतालों में स्थापित हैं।

(ख) जी नहीं; किन्तु पूना स्थित वर्तमान प्रोबेशनर नर्सेज़ स्कूल को नर्सिंग कालेज में परिणत कर नं० ८, एयर फोर्स अस्पताल, सिकन्दराबाद में एक और प्रोबेशनर नर्सेज़ स्कूल स्थापित करने का निर्णय किया गया है।

(ग) पूना में स्थापित किये जाने वाले नर्सिंग कालेज पर खर्च का अनुमान ५५,४७० रुपये (प्रारम्भिक) और ७७,५०० रुपये प्रति वर्ष (आवर्ती) है।

मोजाम्बिक में भारतीय

२०९०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मौजाम्बिक में भारतीयों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए सब से हाल में क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ख) उनसे क्या नतीजा निकला ?

प्रधान मंत्री-वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) और (ख). मेक्सिको सरकार से, जो पुर्तगाल में और उसकी समुद्रपार बस्तियों में हमारे हितों की देख-भाल करती रही है, प्रार्थना की गयी गयी है कि वह मोजाम्बिक में अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त करे जो वहां रहने वाले भारतीय राष्ट्रजनों के विरुद्ध पुर्तगाली अधिकारियों द्वारा की गयी कार्यवाही से उत्पन्न समस्याओं को हल करे। भारत सरकार को ज्ञात हुआ है कि मेक्सिको सरकार इस विषय पर सक्रिय विचार कर रही है और शीघ्र ही कोई अन्तिम निश्चय किया जायगा।

अस्पृश्यता निवारण संबंधी चलचित्र

२०९१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अस्पृश्यता निवारण सम्बन्धी चलचित्र तैयार करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) वह सम्भवत: कब दिखायी जायेगी ?

संसद् कार्य-मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह): (क) निर्माता ने मार्च, १९६४ में एक संशोधित कथानक प्रस्तुत किया था जिसकी छानबीन गृह-कार्य मंत्रालय के परामर्श से की जा रही है।

(ख) प्रदर्शन की तिथि का अनुमान इस दशा में नहीं लगाया जा सकता।

दिल्ली के मेयर के भाषण के सम्बन्ध में पाकिस्तान का विरोध

२०९२. **श्री हेम बरुआ :**
श्री प्र० चं० बरुआ ।
श्री कछवाय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में ईराकी राष्ट्रपति के सार्वजनिक स्वागत के समय दिल्ली के मेयर के भाषण के विरुद्ध पाकिस्तान ने भारत को एक विरोध-पत्र भेजा है;

(ख) यदि हां, तो उसने क्या आपत्तियां उठायी हैं; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या उत्तर दिया ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी हां ।

(ख) विरोध पत्र में यह कहा गया था कि मेयर ने एक ऐसे राज्य के जिसके साथ पाकिस्तान के मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हैं, सर्वोच्च व्यक्ति के सामने पाकिस्तान के विरुद्ध अनावश्यक और द्वेषपूर्ण बातें कही थीं । उसमें राजनयिक शिष्टाचार के उल्लंघन और दुर्व्यवहार की बात भी कही गयी है ।

(ग) पाकिस्तानी पत्र की छानबीन हो रही है और उचित उत्तर भेजा जायगा ।

नेफा में असैनिक प्रशासन

२०९३. **श्री हेम बरुआ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या नेफा के उन क्षेत्रों में जिन पर चीन ने १९६२ के आक्रमण के बाद कब्जा कर लिया था, हमारा असैनिक प्रशासन पूरी तरह से लागू कर दिया गया है ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जी हां । वे सभी प्रशासनिक केन्द्र जो १९६२ के चीनी आक्रमण से पहले नेफा में काम कर रहे थे, अब पुनः स्थापित कर दिये गये हैं ।

इस्पात परिष्करण उद्योगों में रोजगार

२०९४. **श्री शशि रंजन** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात परिष्करण और इस्पात तैयार करने वाले उद्योगों मे लगभग कितने मजदूर काम करते हैं ।

(ख) क्या पिछले छः महीनों में उपर्युक्त उद्योगों में रोजगार बढ़ा है या घटा है; और

(ग) इन उद्योगों में पूरा पूरा रोजगार दिलाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय): (क) से (ग). जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजनायें

२०९५. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी योजनाओं के प्रशासन के लिए स्वयंसेवी अभिकरणों की सेवाओं का उपयोग करने का निश्चय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो स्वयंसेवी अभिकरण का चुनाव करने के लिए क्या कसौटियां अपनायी गयी हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैय्या) : (क) और (ख). सुरक्षा और सहायता निधि योजनायें, जो प्रयोगात्मक आधार पर कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को भेजी गयी है, यह व्यवस्था है कि अपंग व्यक्तियों को स्थानीय निकायों द्वारा स्थापित किये जाने वाले सामाजिक सहायता कार्यालय की मार्फत सहायता दी जाये । इस योजना के अधीन राज्य सरकारें जो सर्वांगीण नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होंगी, स्थानीय निकायों के जरिये पुरानी स्वयंसेवक संगठनों

जैसे भारत सेवक समाज, रामकृष्ण मिशन और रेडक्रास सोसाइटी से कह सकती हैं कि वे उसी आधार पर सामाजिक सहायता का काम अपने हाथ में ले लें । अनुमान है कि केवल उन्हीं संस्थाओं को जो पुरानी हैं और संगठित हैं और जो देश में तथा किसी विशेष राज्य मे सर्वमान्य हैं, योजना को कार्यान्वित करने का काम सौंपा जायगा ।

बीकन परियोजना

२०९६. **श्री हरि विष्णु कामत:** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २५ नवम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ४४२ के उत्तर के सम्बन्ध मे यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीकन परियोजना में कुछ अनियमितताओं या कदाचारों के आरोप लगाये गये हैं और वे ठीक पाये गये हैं;

(ख) क्या कोई जांच चल रही है; और

(ग) यदि हां, तो किसके द्वारा ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ग). वेस्टर्न बेस वर्कशाप के कुछ अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के कुछ आरोप हैं जिनकी जांच स्पेशल पुलिस इस्टैब्लिशमेन्ट कर रहा है । जांच पड़ताल अभी जारी है ।

Param Vir Chakras

2097. Shri Tan Singh : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the total number of Param Vir Chakras awarded since Independence besides the three awarded recently ;

(b) the names of the persons to whom these were awarded and when ; and

(c) the nature of rewards in the form of loans or other financial assistance to their families ?

The Minister of Defence (Shri Y.B. Chavan) : (a) Six, Sir.

(b) The names of the persons to whom these were awarded and the dates on which the awards were notified are mentioned below :—

Name	Date on which the award was notified in gazette.
1. Major Somnath Sharma (IC-521), Kumaon (Posthumous) .	26-1-1950
2. No. 22356 L/Nk. Karam Singh, MM Sikh Regt. .	26-1-1950
3. 2/Lt. R.R. Rane (SS-14246), Engineers.	21-6-1950
4. No. 27373 Nk. Jadunath Singh, Rajput Regt. (Posthumous) .	11-12-1950
5. No. 2831592 CHM Piru Singh, Raj. Rif. (Posthumous) .	26-1-1952
6. Capt. G.S. Salaria (IC-8497J, Gorkha Rif. (Posthumous) .	24,-1-1962

(c) Detailed information about the actual rewards or financial assistance the awardees or their next-of-kin have actually received or are receiving, is not readily available. According to the existing orders, each recipient (other than a Commissioned Officer) of an award of Param Vir Chakra, or the next-of-kin in the case of posthumous award,is given a monetary allowance of Rs. 50/- p.m. by the Government of India. When a recipient of Param Vir Chakra gets the award for a second time, he is given a Bar to Param Vir Chakra instead of the original decoration. For each Bar, the recipient gets a sum of Rs. 20/- p.m.in addition. These allowances are admissible for two lives, *i.e.*, to the recipeint and on his death to his widow. In addition, each recipient of Param Vir Chakra, irrespective of rank, is given a lumpsum cash grant or some land by the Government of the State to which he belongs. The amount of lumpsum grant or land given by the State Governments vary from State to State.

वृद्ध और दरिद्र व्यक्तियों को सामाजिक सहायता

२०९८. **श्री गो० महन्ती :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६४–६५ में वृद्ध, दरिद्र और अपंग व्यक्तियों को सामाजिक सहायता पर कितनी रकम खर्च करने का सरकार का विचार है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया): तीसरी योजना की शेष अवधि में अपंग व्यक्तियों की सुरक्षा और सहायता के लिए २ करोड़ रुपये की रकम उपलब्ध है। राज्य सरकारों से प्रार्थना की गयी है कि वे प्रयोग के तौर पर यह योजना चालू करें। १९६४–६५ में होने वाला वास्तविक व्यय राज्य सरकारों द्वारा अग्रिम प्रायोजनाओं की स्थापना और उसके बाद योजना की कार्यान्विति की प्रगति पर निर्भर होगा।

Hindi Translation work in the Ministry of Defence

2099. **Shri Kachhavaiya :**
Shri Vishram Prasad :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether there is adequate staff in his Ministry for Hindi translation work ;

(b) if so, the reasons for non-publication of all notifications issued by his Ministry along with Hindi translation thereof in the Gazette of India, Part I ; and

(c) the nature of arrangements being made for printing all the notifictions in the Gazette of India Part I, Section 3 and 4 along with Hindi translation and the date from which this will be done ?

The Minister of Defence (Shri Y.B. Chavan) : (a) There is no special staff for doing Hindi Translations. The normal staff as it gets qualified in Hindi does the translation work. The number of such Hindi knowing staff is yet inadequate.

(b) Does not arise.

(c) Efforts are being made to publish as many notifications as possible along with their Hindi translations with the help of the few Hindi knowing staff available. Arrangements are being made to position more staff with adequate knowledge of Hindi for translation work and it is hoped that by stages it should be possible to publish more and more notifications in Part I-Sections 3 and 4 along with their Hindi translations.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

जम्मू पर अज्ञात विमानों की कथित उड़ानें

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : मैं प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उन से अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"९, ११ तथा १२ अप्रैल, १९६४ को जम्मू पर अज्ञात विमानों की कथित उड़ानें।"

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण): ९ अप्रैल, १९६४ को १० बजे जम्मू तथा काश्मीर के ऊधमपुर क्षेत्र में एक जैट विमान देखा गया जो ३२,५०० फुट की ऊंचाई पर ३०० नाट्स प्रति घंटा की गति से उड़ रहा था। उसी दिन १०.१३ बजे एक अन्य जैट जम्मू पर उड़ता हुआ देखा गया। वह विमान यकदम ७००० से ३०,००० फुट की ऊंचाई पर चला गया। यह पाकिस्तानी विमान थे और संयुक्त राष्ट्र सेना प्रेक्षकों के पास वायु-सीमा के उल्लंघन की शिकायत कर दी गयी है।

एक पाकिस्तानी विमान ने ११ अप्रैल को जम्मू के पश्चिमी क्षेत्र में २ से ३ मील तक हमारी वायु-सीमा का उल्लंघन किया। तुरन्त ही भारतीय वायु सेना के लड़ाकू विमान भेजे जाने पर वह विमान पाकिस्तान की ओर चला गया। इस घटना के सिलसिले में भी संयुक्त राष्ट्र सेना प्रेक्षकों के पास शिकायत दर्ज कराई जायगी। १२ अप्रैल को जिन विमानों की जम्मू पर उड़ान की खबर छपी है वह गलत है चूंकि वह विमान हमारे ही थे।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार ने ऐसी कोई कार्यवाही की है जिस से सीमा का उल्लंघन करने वाले विमानों का पीछा कर के उन्हें बलपूर्वक उतारा जा सके ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मैंने बताया है कि ११ अप्रैल को ऐसी ही कार्यवाही की गई जिस के कारण पाकिस्तान के विमान वापस चले गये।

श्री नाथ पाई (राजापुर): पाकिस्तान का विमान ३० नाटिकल मील तक हमारे राज्य-क्षेत्र में आ गया इस के बावजूद भी उसे नीचे क्यों नहीं उतारा जा सका ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : इसमें फासले का प्रश्न नहीं है। वास्तव में उन को नीचे उतारना तभी सम्भव है जब कि हमारे विमान तैयार खड़े हों। अब हम वैसा ही प्रबन्ध कर रहे हैं।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद): क्या प्रतिरक्षा मंत्री प्रधान मंत्री के इस कथन से सहमत थे कि पाकिस्तानी विमानों को हमारे राज्य क्षेत्र में आना केवल एक नज़र का धोखा भी हो सकता है ; और क्या माननीय मंत्री को विश्वास है कि यह विमान हमारे सेना संस्थानों के फोटो लेने नहीं आये थे ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री का कथन ठीक ही था। प्रश्न के दूसरे भाग के बारे में मुझे यह कहना है कि पाकिस्तानी विमान निश्चय ही किसी ऐसी विद्रोही कार्यवाही के लिए आया था। ९ तारीख को तो फोटो लेने ही आये थे।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती (धनबाद) : क्या सरकार यह नहीं समझती कि यह घटनायें किसी भावी खतरे की सूचक हैं ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : हमें समूची स्थिति का मूल्यांकन करना होता है। किसी एक विशेष घटना में यह नहीं कहा जा सकता।

Shri Bade (Khargon) : It is a fact that the Pakistani planes fly over these very areas where our armies have been concentrated.

Shri Y.B. Chavan : Naturally they will try to come there, but nothing can be said about their intentions.

श्री स० मो० बनर्जी : (कानपुर) : क्या हम ने अपनी सेना को ऐसे विमानों को मार गिराने के आदेश दे रखे हैं ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : जहां तक सैनिक विमानों का सम्बन्ध है हमारी हिदायतें यही हैं परन्तु असैनिक विमानों को ऐसे नहीं मार गिराया जा सकता . . . (**अन्तर्बाधायें**)

श्री हेम बरुआ (गौहाटी) : मैं समझता हूं कि ६ तारीख को जो विमान हमारे क्षेत्र में आया था वह सेना का ही था। तो उसे क्यो मार नहीं गिराया गया ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : ६ तारीख को कोई कार्यवाही इसलिए नहीं की जा सकी चूंकि विमान बहुत ऊंचे उड़ान कर रहा था।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर: हमारे जो लड़ाकू विमान हैं वह क्या शत्रु के राज्य क्षेत्र में भी उन का पीछा करते हैं ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : जी नहीं। वह अपने राज्य क्षेत्र में ही रहते हैं।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : क्या माननीय मंत्री सभा को आश्वासन दे सकते हैं कि पाकिस्तानी विमानों को इस क्षेत्र में अवैध प्रवेश से ऐसा खतरा नहीं है जिस का सामना न किया जा सके ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : इसके खतरनाक परिणाम भी हो सकते हैं। हम स्थिति को देख कर समय समय पर कार्यवाही कर सकते हैं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

लेख परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यक) १९६४

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): मैं संविधान के अनुच्छेद १५१(१) के अन्तर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) १९६४ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० २६९५ / ६४]**

नौसेना (निवृत्ति-वेतन) विनियम, १९६४

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं नौसेना अधिनियम, १९५७ की धारा १८५ के अन्तर्गत, ७ मार्च को अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ७४ में प्रकाशित, नौसेना) (निवृत्ति-वेतन) विनियम, १९६४ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३६९६/६४]

संघ लोक सेवा आयोग में नियुक्तियों के बारे में सदस्य तथा मंत्री द्वारा वक्तव्य

STATEMENT BY MEMBER AND MINISTER *RE* APPOINTMENT TO U.P.S.C.

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : I place on the table my statement regarding the appointment of a Member of the Public Service Commission by the Home Minister, Shri Nanda and about which Shri Bhagat made a statement in this House.

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २६९७/६४]

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : माननीय सदस्य द्वारा दिये गये वक्तव्य के उत्तर में, मैं एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २६९८/६४]

भारत और पाकिस्तान के गृहमंत्रियों के सम्मेलन के बारे में वक्तव्य

STATEMENT *RE* INDO-PAKISTAN HOME MINISTERS' CONFERENCE

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : जनवरी, १९६४ में पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम बंगाल में जो साम्प्रदायिक दंगे हुए उस से चिन्तित हो कर हमारे राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति को लिखा कि वह दोनों अपने अपने देश के लोगों को साम्प्रदायिक शांति बनाये रखने के लिये अपील करें । यह भी सुझाव दिया गया कि पाकिस्तान और भारत के गृह मंत्री साम्प्रदायिक शान्ति बनाये रखने के उपाय निकालने के लिये अवलिम्ब मिलें । हमारे राष्ट्रपति ने बताया कि इन दोनों कार्यवाहियों से दोनों देशों में साम्प्रदायिक सामंजस्य स्थापित होगा । २४ जनवरी को संयुक्त अपील के प्रस्ताव को रद्द करते हुए पाकिस्तान के विदेश कार्यालय द्वारा बताया गया कि विधि तथा व्यवस्था स्थापित कर के दोनों सरकारों के मंत्री दिल्ली या रावलपिंडी में मिल सकते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिये उपाय कर सकते हैं कि हाल के दंगों के परिणामस्वरूप जो लोग बेघर हुए हैं और वह लोग भी जिन को इन दंगों से दो वर्ष पूर्व आसाम, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल से निकाला गया है, अपने अपने घरों को लौट जायें ।

१९ मार्च को प्रधान मंत्री द्वारा फिर मंत्रियों के सम्मेलन संबंधी सुझाव दिया गया जिसे पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने २३ मार्च को स्वीकार किया ।

११ अप्रैल को दोनों देशों के गृह मंत्रियों तथा अन्य अधिकारियों की बैठक हुई और यह स्पष्ट हुआ कि समस्यायें तीन प्रकार की हैं :—

(i) दोनों देशों के अल्पसंख्यकों में विश्वास एवं सुरक्षा की भावना उत्पन्न करना ।

(ii) प्रव्रजन तथा एक से दूसरे देश को शरणार्थियों को लाने ले जाने की समस्या ।

(iii) आसाम तथा त्रिपुरा से उन मुसलमानों को निकालना जिन को भारत घुसपैठ करने वाले समझता है जबकि पाकिस्तान उन्हें भारतीय राष्ट्रजन समझता है ।

दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने सभी सम्बद्ध समस्याओं पर विचार किया । सुरक्षा की भावना पैदा करने और शरणार्थियों को पुनः बसाने के बारे में कई प्रस्तावों पर विचार हुआ । कई बातों पर दोनों पक्ष सहमत भी हुए । इस बारे में भी दोनों पक्षों में सहमति हुई कि किस प्रकार की सुविधायें एक देश से दूसरे देश को जाने वाले लोगों को दी जा सकती हैं । पाकिस्तान ने प्रस्ताव किया कि भारत, पाकिस्तान और एक तटस्थ देश के तीन जजों का एक न्यायाधिकरण नियुक्त कर के इस बात का फैसला किया जाय कि क्या भारत सरकार का मुसलमानों को आसाम तथा त्रिपुरा से निकालना उचित है । यह सुझाव भारत के लिये अस्वीकार्य था । भारत सरकार ने कहा कि वह दो मास तक किसी अवैध प्रवेश करने वाले को नहीं निकालेगी । इस दो मास की अवधि में अन्य वैधिक प्रक्रियायें जारी रहेंगी । चूंकि पाकिस्तान ने अपने न्यायाधिकरण स्थापित करने संबंधी सुझाव पर आग्रह किया और चूंकि बहुत सी अन्य समस्याओं के लिये समय की आवश्यकता थी इसलिये यह तय हुआ कि निकट भविष्य में दोनों देशों के गृह मंत्री फिर कराची या रावलपिंडी में मिलें ।

मैं भारत तथा पाकिस्तान के गृह मंत्रियों द्वारा जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति, भारत सरकार द्वारा पाकिस्तानी प्रतिनिधिमण्डल के सम्मुख प्रस्तुत प्रस्तावों तथा पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० २६९४/६४]

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : चूंकि पाकिस्तान के गृह मंत्री ने कराची पहुंच कर कहा था कि भारत का दृष्टिकोण बहुत नाजायज़ है इसलिये हम चाहते हैं कि इस बारे में सभा में चर्चा हो ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके ।

उपाध्यक्ष महोदय : आज इस बारे में चर्चा हो रही है । मैं सभी माननीय सदस्यों को वक्तव्य परिचालित करा देता हूं और वह इन का अध्ययन कर लें ।

अनुदानों की मांगें--जारी

DEMANDS FOR GRANTS—*Contd.*

वैदेशिक कार्य-मंत्रालय—जारी

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : आज हमारे सामने बहुत पेचीदा मामले हैं जिनको सुलझाने के लिये यह जरूरी है कि हम उन पर गैर जज़बाती ढंग से विचार करें। आचार्य कृपालानी ने तिब्बत का फिर जिक्र किया, मगर इस बारे में कई बार सदन में चर्चा हो चुकी है, और इसके अलावा हमें स्थिति में जो परिवर्तन आ चुके हैं उन्हीं के अनुसार विचार करना है, पुराने ढंग से नहीं ।

आचार्य कृपालानी का मुख्य प्रस्ताव यह था कि हम गुटों से अलग रहने की नीति को छोड़ दें । परन्तु गुटों से अलग रहने की नीति हमारी या किसी और देश की आधारभूत नीति नहीं है । इस नीति को हमने इसलिये अपनाया कि हम स्वतन्त्र रूप से सोच सकें और स्वतन्त्र रूप से काम कर सकें । संसार में दो बड़े गुट हैं : एक अमरीकी और दूसरा रूसी, जिनके एक दूसरे के प्रति रुख में काफी परिवर्तन आ चुका है । रूस और अमरीका एक दूसरे के करीब आ रहे हैं । चीन और रूस जो एक ही गुट के देश थे एक दूसरे से दूर होते चले जा रहे हैं । इसी तरह पश्चिमी देशों के गुट में भी पहले की सी एकता नहीं रही । इसके साथ ही साथ बहुत से अन्य देशों ने स्वतन्त्रता प्राप्त की है जो गुटों से अलग रहने की नीति का अनुसरण करते हैं । मैं तो यह समझता हूं कि गुटों से अलग रहने की नीति को अपनाना आज और भी जरूरी है। किसी एक गुट में शामिल हो जाने का मतलब यह होगा कि हम न चाहते हुए भी उस गुट के दृष्टिकोण और नीति को अपनी नीति, और दृष्टिकोण बनायें, जो हम कदापि नहीं चाहते । इसके अलावा आज संसार के नये स्वतन्त्र देशों की प्रवृत्ति गुटों से अलग रहने की है और हम नहीं चाहते कि किसी गुट में शामिल हो कर इन देशों के साथ सम्बन्ध तोड़े जायें । जैसा कि सभा को ज्ञात है इस वर्ष के अन्त में तटस्थ देशों का एक सम्मेलन हो रहा है जिसमें हम शामिल हो रहे हैं । चीन और रूस में आपसी मतभेद हैं और चीन के भारत पर आक्रमण की रूस की ओर से निन्दा की गयी है ।

हमारा जो हाकी खेलने वाला दल काबुल गया था उसके बारे में श्री नाथ पाई ने काफी आलोचना की है मगर मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारे दल के जशन के अवसर पर अफगानिस्तान जाने पर वहां के लोग बहुत खुश हुए हैं ।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि अपने पड़ोसी देशों, पाकिस्तान व चीन, के प्रति हमारी नीति उनको खुश करने की है और उनके सासने झुक जाने की है । मुझे यह सुन कर आश्चर्य हुआ । शक्ति का प्रदर्शन ऊंचे ऊंचे नारे लगा कर नहीं किया जाता । इसके अलावा हम चाहते हैं कि इन देशों से हमारे सम्बन्ध अच्छे हों । हम चाहते हैं कि जो समस्यायें हैं उनको शान्तिपूर्वक ढंग से बातचीत द्वारा सुलझाया जाय । चूंकि सिवाय इसके और कोई रास्ता नहीं है कि हम इन देशों के साथ शान्ति से रहें । आबादी के तबादले की समस्या को हल नहीं किया जा सकता । उससे दोनों देशों में शत्रुता बढ़ेगी । मैं समझता हूं कि पाकिस्तान और चीन दोनों के इरादे भारत के लिये बहुत खतरनाक हैं, मगर वह अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सकते । हमें स्थिति का मुकाबला करना होगा । शान्तिपूर्वक बातचीत द्वारा आपसी समस्याओं को हल करना चाहिये मगर जो फैसला किया जाय वह हमारे देश के सम्मान और अखण्डता के हित से ही होना चाहिये ।

चीन के बारे में हमारी स्थिति स्पष्ट है कि जब तक वह कोलम्बो प्रस्तावों को पूरे तौर पर स्वीकार नहीं करेंगे हम उनके साथ बातचीत नहीं करेंगे। श्रीमती भंडारनायके ने अपने पत्र में कहा था कि यदि चीन लद्दाख के विसैन्यीकृत क्षेत्र से अपनी सभी चौकियां हटा ले तो क्या उसे कोलम्बो प्रस्तावों को पूरे तौर पर मानना समझा जायेगा। कोलम्बो प्रस्तावों के अनुसार उस क्षेत्र में दोनों देश परस्पर समझौते द्वारा अपनी अपनी चौकियां स्थापित कर सकते हैं। परन्तु यदि दोनों देश इस पर सहमत हो जायें कि किसी की कोई चौकी वहां पर न हो तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसलिये हमने बता दिया था कि यदि चीन की ओर से कोई ऐसा प्रस्ताव रखा जाये तो हम उस पर विचार करेंगे। चूंकि चीन द्वारा ऐसी कार्यवाही नहीं की गयी, इसलिये स्थिति पहले के समान बनी हुई है।

आचार्य रंगा ने इस बारे में आपत्ति उठायी है कि हम जकार्ता सम्मेलन में भाग ले रहे हैं, चूंकि चीन भी उसमें भाग ले रहा है। परन्तु मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूं। चूंकि चीन किसी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेता है, इसलिये हम उस सम्मेलन का बाईकाट नहीं कर सकते। इसमें हमारा अन्य देशों के सामने अपने दृष्टिकोण के रखे जाने का सवाल है और अन्य देशों से अपने सम्बन्धों का भी सवाल है। इस सम्मेलन में भाग लेने के बारे में हमारी एक राय रही है। केवल यही सोचना था कि किस व्यक्ति को वहां पर भेजा जाय।

हमें बहुत दुःख है कि पाकिस्तान के साथ शत्रुता और घृणा बराबर बनी हुई है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ शान्ति से हम रहें, परन्तु कब ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं समझता हूं कि काश्मीर के मामले के हल हो जाने पर वातावरण में सुधार नहीं होगा। यह वातावरण घृणा और भय को दूर करने से ही ठीक हो सकता है।

चीन को पाकिस्तान के साथ मित्रता हो जाने से पाकिस्तान और भी बिगड़ गया है। उन दोनों के इरादे भारत के लिये अच्छे नहीं हो सकते। सब से असाधारण बात यह है कि कुछ पश्चिमी देश पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं काश्मीर के मामले में। यदि पश्चिमी देश हस्तक्षेप न करते तो यह मामला बहुत पहले हल हो चुका होता। परन्तु काश्मीर के बारे में हमारी नीति स्पष्ट है।

शेख अब्दुल्ला ने रिहाई के पश्चात् जो वक्तव्य दिये हैं वह दुर्भाग्यपूर्ण हैं। मुझे बताया गया है कि समाचार पत्रों की खबरें भी ठीक नहीं हैं। इसलिये मैं शेख अब्दुल्ला के मिलने पर ही इस बारे में चर्चा करूंगा। श्री मुकर्जी ने ईराक के राष्ट्रपति आरफ के भारत में पाकिस्तानी विमान द्वारा आने पर रोष प्रकट किया। परन्तु हमने अपने विमान का प्रस्ताव किया था जिस पर हमें यह बताया गया था कि वह पाकिस्तान का प्रस्ताव स्वीकार कर चुके हैं।

श्री कृपालानी समझते हैं कि कोलम्बो प्रस्ताव हमारे लिये हितकर नहीं हैं और कि हमें अपने देश की रक्षा एवं चीन से मुकाबला करने का काम विदेशियों के हाथों में सौंप कर अपनी स्वतन्त्रता का त्याग कर देना चाहिए। परन्तु यदि उन्होंने अमरीका तथा ब्रिटेन में प्रकाशित भारत चीन विवाद पर टिप्पण पढ़े हों तो उनकी विचार धारा भिन्न होगी।

अमरीकी नौसेना के सातवें बेड़े के हिन्द महासागर में प्रवेश के बारे में भी आलोचना की गयी। परन्तु जहां तक हमें मालूम है वह बेड़ा शायद अफ्रीका जायेगा और वह हिन्द महा सागर में हमारे समुद्रीय राज्य क्षेत्र के सैकड़ों मील तक भी पास न आये। इसलिये हम ने यह तो कह दिया है कि हम नहीं चाहते कि परमाणु अस्त्रों से लैस यह बेड़ा भारत के निकट आये, परन्तु इसके अलावा कोई कार्यवाही करना वांछनीय नहीं है।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

पूर्वी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक भारत आ रहे हैं मगर मैंने देखा है कि कई निराधार खबरें समाचार पत्रों में छपती हैं जिनके परिणाम बुरे होते हैं। एक खबर यह छपी थी कि पूर्वी बंगाल से कुछ स्त्रियां अरब देशों में ले जाकर बेची गई। यह खबर बिल्कुल गलत है। अरब देशों ने भी इस विषय में रोष प्रकट किया है कि भारत में ऐसी निराधार खबरें फैलती हैं। इसलिये यह आवश्यक है कि हम इन बातों में सावधानी बरतें।

श्री नाथ पाई (राजापुर): यह बात इस कारण फैली चूंकि सरकार द्वारा उसी समय इस खबर का खंडन नहीं किया गया।

श्री हेम बरुआ (गौहाटी): इस मामले की जांच करने में सरकार ने १६ दिन लगाये।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित आंग्लभारतीय): स्वयं सरकार के मंत्री ही ऐसी खबरों के लिये उत्तरदायी हैं। स्वयं सूचना तथा प्रसारण मंत्री ने मुझे ऐसी कहानी सुनाई थी।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद): पुनर्वास मंत्री ने कहा था कि पाकिस्तान में कोई भी बच्चा या स्त्री सुरक्षित नहीं है।

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): मैंने तो यह कहा था कि जब मैं गारो पहाड़ियों में और माना में गया तो मुझे ऐसी खबरें सुनाई गई थीं। (**अन्तर्बाधायें**)

श्री जवाहरलाल नेहरू: पूर्वी पाकिस्तान में जो कुछ हुआ उसका हमें दुःख है और हमें वहां से आने वालों की हर संभव तरीके से सहायता करनी है मगर जो कुछ कलकत्ता, उड़ीसा एवं बिहार में हुआ वह भी बहुत शर्मनाक था। हमें ऐसी घटनाओं को रोकना है अन्यथा हम वही करेंगे जो पाकिस्तान चाहता है। पाकिस्तान चाहता है कि हम धर्मनिरपेक्षता की नीति का त्याग करें ताकि वह अपनी नीति को ठीक साबित कर सके। यदि आज गांधी जी जीवित होते तो वह हमें कोई ऐसी कार्यवाही न करने देते जिससे मित्रता एवं शान्ति भंग हो। हमें इस अन्तिम उद्देश्य को सामने रखना है कि हमें पाकिस्तान के साथ शान्ति एवं मित्रता का वातावरण पैदा करना है। इसलिये हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिये जिससे इस उद्देश्य की पूर्ति में बाधा पड़े।

मैं तो यह आशा करता था कि पाकिस्तान और भारत सांवैधानिक दृष्टि से एक दूसरे के निकट आ जाएं परन्तु मैं ऐसी बात नहीं कह सकता चूंकि पाकिस्तान इस को पसन्द नहीं करता। इसके सिवाय और कोई चारा नहीं है कि भारत और पाकिस्तान मित्रता से रहें। हो सकता है ऐसा वातावरण पैदा होने में काफी समय लगे। जो नई सन्तान है पाकिस्तान की वह अलग दृष्टिकोण रखती है। उनकी विचारधारा पुरानी नहीं है। पूर्वी पाकिस्तान में पुराने तरीकों के विरुद्ध आन्दोलन भी हुए हैं। शायद इसी कारण पाकिस्तान ने पूर्वी बंगाल में ऐसी घटनाओं को प्रोत्साहन दिया है ताकि वहां पर जो नवीन विचारधारा है वह पनपने न पाये।

मुझे आशा है कि गृह मंत्रियों का जो सम्मेलन होगा उस में समस्या का हल निकाला जायगा और तनाव कम होगा। मेरी धारणा यह है कि पाकिस्तान के गृह मंत्री इस समस्या के हल करने के बारे में बहुत तत्पर हैं।

मुझे आशा है कि सभा महसूस करती है कि भारत और पाकिस्तान की समस्यायें गुस्से से नहीं वरन् मित्रतापूर्वक ही हल की जा सकती हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : किन्तु वह हमारे साथ सहयोग नहीं करता और हमारी मित्रता को भी नहीं मानता । यही कठिनाई है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : वह हमारे साथ सहयोग नहीं करता और वह हमारी पेशकश का ठीक उत्तर नहीं देता इसके बाद भी हम उन पर दबाव डाल रहे हैं कि वह ऐसा करें ।

श्री हेम बरुआ : उन पर आप कैसे दबाव डालेंगे ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मनोवैज्ञानिक दबाव डालते हैं, अपने अच्छे प्रभाव का दबाव डालते हैं । वहां के लोगों के सद्व्यवहार को भी उनके सामने रखते हैं ।

श्री हेम बरुआ : सद्व्यवहार का हम से तो उन्होंने कुछ सबक सीखा नहीं, बल्कि हमारी शराफत को वह हमारी कमजोरी समझ रहे हैं ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : पाकिस्तान के लोगों के लिये मेरे हृदय में आदर है । यही ठीक धार्मिक नारों से वे भड़क उठते हैं । वह तो कोई भी हो, हिन्दू हो, मुस्लिम हो भड़क उठेगा । वहां कुछ भी हो हमे यहां स्थिति ठीक रखनी है ।

चीन का मुकाबला हमें अपने को शक्तिशाली बना कर करना है । इस मामले में और कोई भी विदेशी शक्ति हमारी सहायता नहीं कर सकती । हमे किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए । साथ ही हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि केवल चीन और पाकिस्तान ही भूल नहीं करता हम भी कर सकते हैं । हमें जोश में नहीं आना चाहिए । संयुक्त राष्ट्र संघ को पाकिस्तानी घुसपैठ की शिकायतें वैसे ही मिली हैं । परन्तु बहुसंख्या में घुसपेट पाकिस्तान की ओर से ही हुए हैं और इस मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ वालों का निर्णय हमारे पक्ष में है और पाकिस्तान के विरुद्ध । कुछ ऐसे भी मामले हैं यहां पर निर्णय हमारे विरुद्ध गया है ।

श्री हेम बरुआ : तो उसके बारे में हमें विवरण मिलना चाहिए ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : कठिनाई यह है कि हम यह समझने लग गये हैं कि हम सच्चे हैं, और यह बात हमारे सबसे अधिक विरुद्ध जाती है ।

श्री नाथ पाई : मेरा कटौती प्रस्ताव संख्या ७७ अलग से प्रस्तुत किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या ७७ मतदान के लिए रखा गया ।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ : पक्ष में ३५: विपक्ष में १९३ ।

Lok Sabha divided

Ayes : 35 ; Noes 193

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुये।

अध्यक्ष महोदय द्वारा वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गईं तथा अस्वीकृत हुईं :—

The following demands in respect of Ministry of External Affairs were put and adopted :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
१५	आदिमजाति क्षेत्र	१४,५४,०१,०००
१६	वैदेशिक कार्य	१६,९९,९१,०००
१७	दादरा और नगरहवेली क्षेत्र	१७,२२,०००
१८	वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	७,१६,०६,०००
११५	वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	१,५१,२५,०००

गृह-कार्य मंत्रालय

वर्ष १९६४—६५ के लिए गृह-कार्य मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
४५	गृह-कार्य मंत्रालय	४,१५,६१,०००
४६	मंत्रिमंडल	४२,०१,०००
४७	क्षेत्रीय परिषदें	१,१६,०००
४८	न्याय प्रशासन	२,९१,०००
४९	पुलिस	१३,४१,८५,०००
५०	जनगणना	१,२५,१५,०००
५१	आंकड़े	२,१०,८८,०००
५२	भारतीय राजाओं को निजी थलियां व भत्ते	८६,०००
५३	दिल्ली	१९,६५,८७,०००
५४	अन्डमान व निकोबार द्वीप समूह	२,९९,१८,०००
५५	लक्कद्वीप, मिनिकोय व अमीनद्वीप द्वीप समूह	४३,५८,०००
५६	गृह-कार्य मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	२,५२,४३,०००
१२८	गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	६९,३८,०००

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : जब हम गृह-कार्य मंत्रालय का प्रतिवेदन पढ़ते हैं तो पता चलता है कि देश के लगभग सभी महत्वपूर्ण कार्य इस मंत्रालय के अन्तर्गत आ जाते हैं। यह मंत्रालय स्वयं ही शासन को चलाता है प्रत्युत विभिन्न राज्य सरकारों को आरम्भ से लेकर अन्त तक सहायता करता रहता है। बहुत से ऐसे संघ क्षेत्र हैं जिनका प्रशासन भी लगभग इसी मंत्रालय की देख-रेख में चलता है। इस मंत्रालय पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसे लाखों रुपये प्रति वर्ष खर्च करने पड़ते हैं। मैं गृह-कार्य मंत्री की अधिक प्रशंसा नहीं करना चाहता। उन्होंने यह प्रण किया है कि वह देश भर से दो वर्षों में भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे। मेरा निवेदन यह है कि आज जिस ढंग से सरकारी मशीनरी चल रही है उसे देख कर यह सन्देह होता है कि हमारे गृह-कार्य मंत्री दो वर्षों में देश भर से भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने में सफल हो सकेंगे। बहुत से उदाहरण दिये जा सकते हैं, एक उदाहरण यह है कि राजस्थान में उच्च पुलिस अधिकारियों में भारी भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। परन्तु जिन व्यक्तियों की शिकायतें हुई थीं उनके विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। उल्टा जिन लोगों ने शिकायतें की थीं उनको बहुत प्रकार से परेशान किया गया। बड़ी स्पष्ट बात है कि जब तक हमारा प्रशासन तंत्र पूरे दिल से सहयोग नहीं देगा तब तक भ्रष्टाचार के समाप्त किये जाने की आशा करना व्यर्थ ही रहेगा। केन्द्रीय आरक्षित पुलिस के ढांचे में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। पदोन्नतियों के लिये पर्याप्त व्यवस्था नहीं, नवागन्तुकों को उच्च पदों पर लगा दिया जाता है और छोटी सेवाओं के कर्मचारियों को पदोन्नति का कोई अवसर नहीं मिलता। देश के विविध भागों में जो बहुत सी बटालियन रखी गई है, उनके ऊपर कोई प्रभावपूर्ण नियंत्रण नहीं है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the chair*]

इसी संदर्भ में मुझे यह भी निवेदन करना है कि गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे कुछ राज्यों के अनुसूचित आदिम जाति लोग केन्द्रीय आरक्षित बल में भरती नहीं किये जाते क्योंकि वे इस बाल के लिये अपेक्षित ऊंचाई मानक पूरा नहीं करते। उस मानक में नर्मी लानी चाहिये। सरकारी रेलवे पुलिस सर्वथा क्रियाहीन है, रेलवे सम्पत्ति की चोरी तथा नाश पहले की तरह जारी है। वास्तव में सरकारी पुलिस के कर्मचारियों का उपद्रवी लोगों के साथ गठबंधन होता है। यह लोग बहुत से लोगों को बिना टिकट सफर करवाते हैं और किराया उनसे स्वयं ले लेते हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में बहुत से लोग ऐसा करते देखे गये हैं। इस बुराई को दूर किया जाना चाहिये। अगर कुछ ईमानदार लोग इस बुराई को दूर करना चाहते हैं तो उन्हें परेशान किया जाता है।

एक अन्य बात की ओर भी मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। सरकारी कर्मचारियों को शिकायत है कि मंत्रालय तथा उसका संगठन और तरीका प्रभाग द्वारा जो नियम तथा विनियम भारत सरकार के विविध मंत्रालय के लिये बनाता है, विभिन्न मंत्रालयों के विभाग उस पर अमल नहीं करते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि ३५ अथवा ५० ऐसे व्यक्ति हैं जो कि महा-लेखा परीक्षक के कार्यालय के कर्मचारी हैं। इन कर्मचारियों को १९६० की हड़ताल में भाग लेने के कारण पदच्युत कर दिया था। गृह-कार्य मंत्रालय के आदेशों के बावजूद इन लोगों को पुनः नौकरी पर नहीं लगाया गया।

भारत प्रतिरक्षा नियमों का प्रयोग भी बड़े कपटी ढंग से किया जाता है। इस आपातकाल में जिन लोगों के खिलाफ इन नियमों का प्रयोग होता है वह लोग खास खास हैं। यह आश्चर्य की बात है कि भारत प्रतिरक्षा नियमों का उपयोग उन राष्ट्र विरोधी तत्वों के विरुद्ध नहीं किया

[श्री उ० मू त्रिवेदी]

जाता, जो तोड़ फोड़ में मजा लेते हैं और हमारे राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल काम करते हैं, अपितु इन नियमों का प्रयोग उनके विरुद्ध किया जाता है ऐसी कार्रवाइयों के प्रति अपना रोष अभिव्यक्त करते हैं। जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, उससे संकटकाल को जारी रखना युक्ति संगत नहीं। इस प्रश्न पर सरकार को विचार करना चाहिये। सरकार को यह भी देखना चाहिये कि उसके कर्मचारियों को अनुच्छेद ३१० और ३११ के अन्तर्गत संरक्षण दिया जाय। आखिरकार सरकारी कर्मचारियों को न्याय तो प्राप्त होना ही चाहिये। बहुत से लोगों को बिना किसी कारण के ही नौकरी से अलग कर दिया जाता है। अतः मेरा निवेदन यह है कि हमें फ्रांस के ड्राइट ऐडमिनिस्ट्रिक के समान कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये ताकि विधि के नियम सरकारीकर्मचारियों पर भी लागू किये जायें। यदि ऐसा किया तो यह तीसरे दर्जे के कर्मचारियों के साथ भारी न्याय होगा। आशा है भ्रष्टाचार दूर करते हुए माननीय मंत्री महोदय इस बात की ओर भी ध्यान देंगे।

श्रीमती गायत्री देवी (जयपुर) : गृह-कार्य मंत्रालय सरकार का बड़ा महत्वपूर्ण मंत्रालय है। इसके नियंत्रण में बहुत से विभागों का कार्य चलता है। यदि इस मंत्रालय का कार्य योग्यता तथा धीरता से चलता रहे तो प्रशासन के कार्य में काफी मजबूती आ सकती है, भीतर और बाहर की बहुत सी समस्याओं का मुकाबला किया जा सकता है। देश को आन्तरिक तौर पर मज़बूत करने के लिये योग्य प्रशासन का होना बड़ा ज़रूरी है। वैसे भी प्रशासन शुद्ध तथा ईमानदार होना चाहिये। मैं सन्थानम् समिति की नियुक्ति का स्वागत करती हूं और इसके लिए मुबारकबाद देती हूं। पदासीन दल इस मामले को बड़े रोष के साथ लेता रहा है। इस नियुक्ति से कम से कम यह संकेत तो मिलता ही है कि सरकार भ्रष्टाचार को ईमानदारी से रोकने की इच्छुक है। समिति मंत्री स्तर पर भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में धन्यवाद की पात्र है। यह तो स्पष्ट ही है कि जब तक सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार समाप्त नहीं किया जाता नीचे के स्तर पर यह समाप्त नहीं हो सकता। आश्चर्य की बात केवल यह है कि सरकार और पदासीन दल ने अभी तक इस बारे में मौन धारण किया हुआ है। मेरा यह निवेदन है कि 'भ्रष्टाचार' की परिभाषा में इस बात को भी शामिल किया जाय कि शासक दल अपने दल के लाभ के लिए सरकारी साधनों का प्रयोग नहीं करेगा।

मेरा यह भी कहना है कि भारत सेवक समाज जैसी संस्थाओं को वह काम सौंपना जो कि सरकार द्वारा किये जाने की एक भ्रष्ट प्रथा है। इससे कुछ लोगों को काम देकर उनको मुआवजे के रूप में धन दिया जाता है, यह नहीं किया जाना चाहिये। राजस्थान में सड़कों और राजपथों के निर्माण का कार्य इस संस्था को सौंपे जाना बहुत बड़ा उदाहरण है। इसका स्पष्ट मतलब यह है कि शासक दल अपने सामाजिक संगठनों का समर्थन कर जनता को घाटे में रखता है। यह भी देखने में आया है कि समाज के गरीब तत्वों को सामान्य अधिकार भी प्राप्त नहीं होते। लाइसेंसों और परमिटों के देने का काम किसी स्वतंत्र निकाय को सौंपा जाना चाहिये क्योंकि वर्तमान प्रथा से बहुत भ्रष्टाचार फैलता है।

मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि मंत्रियों की सम्पत्ति आदि की जांच पड़ताल समय समय पर होती रहनी चाहिये। मंत्रियों को स्वयं ही इस बारे में जानकारी देनी चाहिये। यह सुझाव भी विचार के योग्य है कि मंत्रियों के विरुद्ध आरोपों की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की जाय। भ्रष्ट अधिकारियों से व्यवहार करने के लिये प्रक्रिया को सरल बनाया जाय। एक सुझाव मेरा यह

भी है कि केवल ऐसे ही लोगों को राज्यों में राज्यपाल नियुक्त किया जाना चाहिये जिनका किसी भी राजनीतिक दल से सम्बन्ध न हो । राज्यपाल की नियुक्ति राजनीति के आधार पर नहीं होनी चाहिये । एक बात मैं और कहना चाहती हूं वह यह कि यदि कोई मंत्री भ्रष्टाचार के लिये दोषी सिद्ध हो जाय तो उसे पदच्युत तो किया ही जाना चाहिये अपितु उसकी सारी सम्पत्ति भी जब्त कर लेनी चाहिये । खेद की बात है कि आज देश में समन्वय तथा एकता का अभाव है । २१ वर्ष पहले राजनीतिज्ञ वह होता था जो देश की आज़ादी के लिए निःस्वार्थ भाव से लड़ता था । महात्मा गांधी उनमें से एक थे परन्तु आज तो राजनीतिज्ञ को डाकू समझा जाता है । समय है कि हम इस दिशा में कुछ करें और देश के वातावरण को सुधारें ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर) : उपाध्यक्ष महोदय, गृह-कार्य का पद बड़ा ही महत्वपूर्ण पद है । चीन के आक्रमण और पाकिस्तानी समस्या से इसका महत्व विशेष हो गया है । हमें आगे और भी बुरे समय के लिये और चीन और पाकिस्तान की ओर से और भी बड़े संकट का मुकाबला करने के लिये तैयार रहना चाहिये । हमें एक ऐसा 'ब्लूप्रिंट' तैयार करना है जिसे फौरन देश में किसी भी स्थिति का सामना करने के लिये तैयार किया जा सके । गृह-कार्य मंत्री को सभा का और देश की जनता का पूरा समर्थन प्राप्त करना चाहिये । यह तभी हो सकता है जब वह जनता के प्रति सहानुभूतिपूर्वक रवैया अपनायें और इस सभा में किये गये फैसलों पर अमल करें । उनकी ईमानदारी पर कोई सन्देह नहीं है । लेकिन ईमानदारी ही काफी नहीं है । आवश्यकता तो स्पष्टता और दृढ़ निश्चय की है ताकि लोगों की इच्छा-पूर्ति हो सके ।

इस समय स्थिति बड़ी खराब है और प्रधान मंत्री जी ने ठीक ही कहा है कि हमें अपना घर ठीक रखना चाहिये । लेकिन इस झगड़े की जड़ तो पूर्व-पाकिस्तान में है । सारे प्रयत्नों के बावजूद हमें अपने प्रशासन को सुधारने और यहां पर अल्पसंख्यकों में एक सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिये प्रयत्न करने चाहिये लेकिन एक तरफ यह काम नहीं हो सकता । जब तक पाकिस्तानी लोगों और पाकिस्तान की सरकार को हम अक्ल नहीं दे सकेंगे, कड़ी कार्यवाही का कोई लाभ नहीं होगा । दुर्भाग्य की बात है कि गैर-जिम्मेवार पाकिस्तानी सरकार यह नहीं समझती कि सारे झगड़े की जड़ पिछले पन्द्रह वर्षों में पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ किया गया दुर्व्यवहार है । आसाम से अवैध रूप से घुस आये व्यक्तियों को निकालने में कोई ढील नहीं करनी चाहिये । मूल सिद्धान्त स्पष्ट कर दिये जाने चाहियें अन्यथा लोगों का समर्थन नहीं मिल सकेगा । एक बार ठीक निर्णय किये जाने पर उसे क्रियान्वित किया जाना चाहिये ।

शेख अब्दुल्ला को रिहा करने की जिम्मेवारी भारत सरकार को लेनी चाहिये । स्पष्टतः यह एक राजनीतिक निर्णय है । यह अच्छा होता यदि इस मुकद्दमे को शीघ्र निपटा दिया जाता । मुझे शेख अब्दुल्ला के छोड़ने पर आपत्ति नहीं है । लेकिन उसे भी समझदारी से काम लेना चाहिये । इस बारे में स्थिति स्पष्ट होनी चाहिये । उन्हें यह बताना चाहिये कि वह भारतीय है या नहीं । यह आश्चर्य की बात है कि उन्होंने पाकिस्तान के अत्याचारों और कथित आजाद काश्मीर के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है । मुझे आशा है कि उन्हें बुद्धि आ जायेगी ।

इस समय भी अनेक समस्यायें हमारे सामने हैं । पाकिस्तान द्वारा कभी भी साम्प्रदायिक उपद्रव भड़काये जा सकते हैं । देश में कभी भी श्रम-संकट पैदा हो सकता

[श्री हरिश्चन्द्र माथुर]

है । देश में कभी कुछ समाज-विरोधी तत्वों द्वारा बड़े पैमाने पर तोड़-फोड़ की कार्यवाही की जा सकती है । हमें इन सबके लिये तैयार रहना चाहिये ।

चीन और पाकिस्तान को ध्यान में रखते हुए हमें प्रशासन को सुव्यवस्थित बनाना चाहिये । सरकार को सतर्क रहना चाहिये । सुदृढ़ नियंत्रण और समन्वय के लिये एक उप-प्रधान मंत्री की नियुक्ति की जानी चाहिये ।

उद्योग मंत्रालय में बड़ी अव्यवस्था है । हमने एक ओर तो कृषि और दूसरी ओर उद्योग तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में क्या करा? यदि पूरा पूरा लाभ उठाया जाना है तो हमें केन्द्रीय स्तर पर पूर्णतः पुनर्गठन करना चाहिये । उपमंत्रियों की संख्या २१ से घटा कर ६ या ७ कर दी जाये । राष्ट्र के समक्ष आज की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह राष्ट्रीय आवश्यकता है कि पुनर्गठन फौरन किया जाय ।

हमें विभिन्न राज्यों में प्रशासन को भी सुदृढ़ बनाने के लिये कदम उठाने चाहियें। केवल तीन या चार राज्य ही ऐसे हैं जिनकी स्थिति अच्छी है । काश्मीर के बारे में गल्ती यह रही कि हमने उस मंत्रिमंडल को, तब तक, चलते रहने दिया जिसमें कई खराबियां थीं जब कि उसमें सुधार नहीं किये जा सकते थे ।

वरिष्ठ पदाधिकारी जो केन्द्र में निश्चित अवधि के लिये आते हैं, किसी भी स्थिति में दिल्ली नहीं छोड़ना चाहते । सभी राज्यों के मुख्य सचिवों का स्तर केन्द्रीय सरकार के सचिवों के बराबर होना चाहिये । हमें ५० वरिष्ठ व्यक्तियों की एक पदाली बनानी चाहिये और राज्य को अपने मुख्य सचिव इस पदाली से चुनने चाहियें । केन्द्रीय सरकार के जो सचिव राज्यों में जायेंगे, वे वहां के प्रशासन को अधिक अच्छा बना सकेंगे । वे राज्यों की समस्याओं को समझ सकेंगे । जब वे वापस यहां आयेंगे तो वे राज्य की समस्याओं का आसानी से समाधान कर सकेंगे ।

इन्सपेक्टर जनरल पुलिस के बारे में भी ऐसा ही किया जा सकता है । यदि इंसपेक्टर जनरल पुलिस और मुख्य सचिव इन ५० वरिष्ट पदाधिकारियों में से चुने जायें तो इससे स्थिति अच्छी होगी ।

इस समय जिला प्रशासन बड़ा कमजोर है । जिला स्तर पर भी कुछ परिवर्तन किये जायें । जिला मजिस्ट्रेटों को अधिक अधिकार दिये जायें । गृह-कार्य मंत्री के लिये सभी स्थानों पर जाना और वहां विधि तथा व्यवस्था कायम करना संभव नहीं है । एक ओर तो पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ किया जाये और दूसरी ओर पुलिस सुपरिंटेंडेंट और जिला मजिस्ट्रेट में निकट सम्पर्क स्थापित किया जाये । विधि तथा व्यवस्था के लिये उन्हें जिम्मेवार बनाया जाये । पुलिस सुपरिंटेंडेंट और जिला मजिस्ट्रेट को यह समझ लेना चाहिये कि यदि उनके लिये जिले में कोई घटना हो और वे उसकी प्रत्याशा न कर सकें और आवश्यक कार्यवाही न करें तो उन्हें निलम्बित कर दिया जायेगा। उन्हें स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये कि वे ऐसा करने में असफल क्यों रहे हैं । उन्हें राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार से बात करके अपने जिले में शांति बनाये रखने के लिये जो आवश्यक है, उसकी मांग करनी चाहिये । उन्हें सब कुछ दिया जाये । लेकिन उन्हें

यह भी बता दिया जाये कि विधि तथा व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेवारी उनकी है और यह बनाये रखी जाये ।

राज्य लोक सेवा आयोगों का स्तर बहुत गिर गया है । इनमें लोगों का विश्वास नहीं रहा है । किसी मंत्री के पिट्ठुओं को लोक सेवा आयोग के सदस्य नियुक्त कर दिये जाते हैं । अतः लोक सेवा आयोग की स्थिति सुधारने के लिये सदस्यों की नियुक्ति उसी प्रकार की जाये जिस प्रकार जजों की नियुक्ति की जाती है ।

प्रशासनिक सुधार के बारे में पूर्ण सहमति होने के बावजूद भी इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये हैं । फ्रांस में इस कार्य के लिये एक पृथक मंत्रालय बनाया गया । इंगलण्ड में उन्होंने एक पुलिस आयोग बनाया, एक प्रसानिक न्यायाधिकरण समिति बनायी और एक उच्च शिक्षा आयोग बनाया । कनाडा ने एक विशेष आयोग बनाया लेकिन भारत में जहां हमने पंचायती राज प्रशासन लागू किया है, इस बारे में कुछ अधिक नहीं किया गया है ।

यहां हर चीज मंहगी है । न्याय-निर्णयन में विलम्ब होता है । जन-साधारण के लिये न्याय करवाना असम्भव सा हो रहा है । स्वतंत्रता के १७ वर्ष बाद भी इस दिशा में कोई कार्यकारी कदम नहीं उठाये गये हैं । कोई भी भद्र पुरुष न्यायालय में नहीं जाना चाहता । इस मामले में मंत्री महोदय को मुख्य न्यायाधीश से बातचीत करके स्थिति को सुधारने के लिये शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिये ।

यद्यपि प्रशासनिक सेवाओं के बारे में संसद में काफी पहले प्रस्ताव पारित किये गये थे लेकिन अन्य अखिल-भारत सेवाओं के गठन में बहुत थोड़ी प्रगति हुई है । ये अखिल भारत सेवायें यथाशीघ्र बनायी जायें और संसद को सारी स्थिति से अवगत कराया जाये । औद्योगिक प्रबन्ध, आर्थिक प्रबन्ध और व्यापार प्रबन्ध के बारे में सेवायें बनाने में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ।

संसार बड़ी तेजी से बदल रहा है । विज्ञान बड़ी प्रगति कर रहा है । इस बारे में हमने कुछ भी नहीं किया है । लोकतंत्र को सही रूप से समझने के लिये देश में प्रचलित लोकतन्त्रात्मक और नौकरशाही की शक्तियों में अच्छा ताल-मेल होना चाहिये ।

श्री सुबोध हंसदा (झाडग्राम) : उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की स्थिति सुधारना भारत सरकार की संवैधानिक जिम्मेवारी है । और यदि इन लोगों के कल्याण के लिये कुछ नहीं किया गया है तो इसके लिये भारत सरकार जिम्मेवार है । स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन लोगों के कल्याण के लिये कई उपाय किये गये लेकिन वे संतोषजनक नहीं हैं ।

दूसरी योजना में ४३ बहु-प्रयोजनीय खंड बनाये गये और प्रति खंड कुल २८ लाख रुपये के व्यय में से प्रति खंड १५ लाख रुपये व्यय किये । तीसरी योजना में प्रति खण्ड २२ लाख रुपये में से १२ लाख ही खर्च किये जायेंगे । लेकिन इतने पर भी इनसे आदिम जातीय लोगों को सुविधाऐं संतोषजनक ढंग से नहीं मिल रही हैं । गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा नियुक्त एल्विन समिति ने भी अपने प्रतिवेदन में कहा है कि इन आदिम

जातीय खंडों से गैर-आदिम जातीय लोगों को लाभ हुआ है । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के आयुक्त के वार्षिक प्रतिवेदन में भी यही बात कही गयी है । आदिमजातीय वर्ग का सुधार करने के लिये यह आवश्यक है कि सभी आदिमजातीय विकास खण्डों पर गृह-कार्य मंत्रालय का नियंत्रण हो ।

राज्यों को केन्द्र द्वारा धन का आवंटन आदिम जातीय जनसंख्या के आधार पर किया जाना चाहिये और यह रकम हर राज्य में परामर्शदाता परिषदों को दी जाये । परामर्शदाता परिषदें सभी योजनाओं की जांच करें और इन परिषदों के जरिये ही धन खर्च हो । यदि ऐसा किया जाये तो आदिम जातीय लोगों को अधिकाधिक लाभ पहुंच सकेगा ।

देश में हर जगह आदिम जातीय लोगों के बच्चों के लिये प्राथमिक स्कूल हैं, लेकिन उनको सेकेंडरी शिक्षा या मैट्रिकोत्तर शिक्षा तो नहीं कहा जा सकता । इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के बच्चों के लिये सरकार द्वारा दी गयी सुविधाओं से लाभ उठाना भी बड़ा कठिन काम है । सेकेंडरी स्कूल अधिकांशतः शहरों में होने से इन लोगों को स्कूल जाने के लिये ६ या ७ मील पैदल चलना पड़ता है । गरीब होने के कारण वे छात्रावास व्यय सहन नहीं कर सकते । राज्य सरकार उनको जो अधिछात्रवृत्ति की रकम देती है, उससे उनका १५ दिन का ही खर्च चलता है ।

सरकारी प्रवक्ताओं को अक्सर यह कहते सुना गया है कि इन वर्गों के अर्हता-प्राप्त उम्मीदवार नहीं मिलते । इसके लिये सरकार स्वयं जिम्मेवार है । सरकार को सभी स्कूलों में 'कोचिंग योजना' लागू करनी चाहिये और इसका सारा खर्च सरकार को उठाना चाहिये ।

बच्चों को छात्रवृत्ति की रकम बड़ी देर से दी जाती है और इससे इसका उद्देश्य ही पूरा नहीं हो पाता । इसका कारण यह है कि राज्य सरकारों को समय पर केन्द्र सरकार से फार्म नहीं मिलते । हर वर्ष इन फार्मों का प्रारूप बदल दिया जाता है । अतः इनको छापने आदि में काफी समय लगता ही है । राज्यों को समय पर फार्म दिये जायें ताकि विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति समय पर मिल सके ।

सभा में कई बार यह कहा गया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की सूची में संशोधन किया जाये और एक विधेयक पेश किया जाये ताकि कुछ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को मान्यता के बारे में एक राज्य से दूसरे राज्य में होने वाली अनियमितता को दूर किया जा सके । पता नहीं सरकार इस बारे में क्यों उदासीन है ।

केन्द्रीय परामर्शदाता परिषद् की बैठक १९६३ में हुई थी और कुछ समस्याओं पर विचार किया गया लेकिन सरकार ने अभी तक उन पर कोई कार्यवाही नहीं की । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की समस्याओं पर विचार करने के लिये जोनल परिषदें बनायी जायें क्योंकि केन्द्रीय परिषद् में अखिल-भारत समस्याओं पर विचार किया जाता है और इसके सभी क्षत्रों की सभी समस्याओं पर विचार नहीं किया जा सकता ।

श्री इलियापेरुमाल (तिरुकोइलूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुशल प्रशासन के लिये गृह-कार्य मंत्री को बधाई देता हूं ।

इस देश में शिक्षित समुदाय, व्यापारी लोग और राजनीतिज्ञ शासन करते हैं लेकिन इन तीनों में कोई भी समन्वय नहीं है । प्रत्येक अपने को बड़ा समझता है । यदि ये तीनों सरकार की नीतियों का समर्थन करना नहीं चाहते अथवा ये संसद द्वारा बनाये गये नियमों और विनियमों का पालन नहीं करना चाहते अथवा वे संविधान का समर्थन नहीं करना चाहते, तो संसद् का और विधान सभाओं का विघटन कर दिया जाये और राष्ट्रपति को सरकार का काम अपने हाथ में ले लेना चाहिये ।

डाकियों, क्लर्कों, अध्यापकों, सिपाहियों आदि के वेतन बहुत कम हैं । इतने कम वेतन पर गुजारा करना बहुत मुश्किल है । इंस्पैक्टरों को बड़ा कम वेतन मिलता है । बाज दफा उनको गुजारा करने के लिये कहीं से कुछ लेना पड़ता है और इस प्रकार भ्रष्टाचार-उन्मूलन नहीं हो सकता । इन सभी समस्याओं की जांच करने के लिये एक नया वेतन आयोग नियुक्त किया जाना चाहिये । वेतन-स्तर एक स्थान के जीवन-निर्वाह व्यय के आधार पर निर्धारित किये जायें । राज्य और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन में असमानता को दूर करने पर विचार किया जाये । विशेषतः पुलिस विभाग में कर्मचारी खुश नहीं है । अधिकांश राज्यों में पुलिस अफसरों को मकान नहीं मिलते । पुलिस अच्छा काम कर रही है लेकिन जब वे ही लोग दूसरों के मकान में रहते हैं तो वे कानून कैसे बनाये रख सकते हैं । इस समस्या पर विचार किया जाये ।

हिन्दी को सभी ने माना है । दक्षिण के लोगों ने भी इसे माना है । हमारे संविधान के अनुसार १५ वर्षों तक सरकारी कामकाज में हिन्दी और अंग्रेजी—दोनों भाषाओं का प्रयोग होता रहेगा । पता नहीं फिर भी लोग क्यों इस बारे में हो-हल्ला मचा रहे हैं । यह ठीक नहीं है ।

देश में पांच क्षेत्रीय परिषदें बनाई जायें और १ आयुक्त रखा जाये और १४ राज्यपालों, २ उप-राज्यपालों और ४ आयुक्तों को समाप्त किया जाये । इस प्रकार करोड़ों रुपये की बचत हो सकती है और देश में भावात्मक एकता पैदा हो सकती है । इससे देश की भाषा समस्या भी हल हो जायेगी ।

मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि यह अछूत शब्द कहां से आया । संविधान के अनुसार अस्पृश्यता दूर कर दी गई है लेकिन आज भी अधिकतर स्थानों पर हरिजनों को सार्वजनिक कुओं से पानी नहीं लेने दिया जाता । उन्हें साइकलों पर सवार नहीं होने दिया जाता, उन्हें बैलगाड़ियों में नहीं बैठने दिया जाता और उन्हें गलियों में बारात तक नहीं निकालने दी जाती । यह एक साम्प्रदायिक समस्या नहीं है बल्कि राष्ट्रीय समस्या है और इसे राष्ट्रीय समस्या मान कर हल किया जाये । अनुसूचित जातियों के लिये कई पद रक्षित किये जाते हैं—समाचार पत्रों में बड़े प्रचार किये जाते हैं लेकिन उसकी क्रियान्वित नहीं हो पाती । उन पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के व्यक्तियों को नहीं चुना जाता । इसके क्या कारण हैं ? गृह-कार्य मंत्री को इस बारे में कार्यवाही करनी चाहिये और उनको कुछ पद दिलाने चाहियें ।

जनगणना के आंकड़े ठीक नहीं हैं । ऐसी बात नहीं है कि हरिजन अशिक्षित हैं और वे जनगणना का महत्व नहीं समझते बल्कि असलियत यह है कि जनगणना करने वाले व्यक्ति ठीक प्रकार आंकड़े

नहीं लिखते। वे हरिजनों तक पहुंचते ही नहीं और ग्राम पदाधिकारी अथवा किसी अन्य से पूछ कर आंकड़े लिख लेते हैं।

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : अखिल भारत सेवाओं में भर्ती बड़ा महत्वपूर्ण मामला है और गृह-कार्य मंत्रालय को इस पर बड़ा ध्यान देना चाहिए। तीन और अखिल भारत सेवाओं की स्थापना का मैं स्वागत करता हूं। दकियानूसी, प्रादेशिक भावनाओं, प्रान्तीयवाद और जातीयवाद जहां तक हो इनसे दूर रखा जाये। राज्यों में ये प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय में एक श्रेणी को इंजीनियरों की तो पदोन्नति होती है और दूसरी श्रेणी के इंजीनियर इस लाभ से वंचित हैं। वास्तव में होना ऐसा चाहिये कि जो लोग योग्य हैं उन्हें पदोन्नत किया जाये।

भारतीय नागरिकता अधिनियम और विदेशी नियंत्रण अधिनियम का कड़ाई से पालन किया जाये आज अनेक कठिनाइयां इस कारण उत्पन्न हो रही हैं कि इनका प्रशासन ढीला है। यदि विदेशों से बड़ी संख्या में लोग आ जाते हैं तो यह राष्ट्रीय संकट बन जाता है। आसाम को इसी संकट का सामना करना पड़ रहा है जहां कि पाकिस्तान से अनेक व्यक्ति घुस आये हैं। यदि हम इस प्रकार लोगों को आने देंगे तो इससे हमारी एकता पर असर पड़ेगा।

भारत में ईसाई मिशनरियों की संख्या स्वतंत्रता के बाद काफी बढ़ गई है। वे लोग जनता को ईसाई धर्म के पक्ष में तैयार करते हैं और इस पर बड़ी संख्या में धर्म-परिवर्तन हुए हैं। धर्म और विश्वास के साथ यदि वफादारी भी बदल जाये तो उससे संकट उत्पन्न हो जाता है। हमारी एकता को भंग करने वाले तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाये और उन्हें कुचल दिया जाये।

इस समय देश संकट में से गुजर रहा है। सरकार प्रतिरक्षा के लिए दो तरह से धन लेती है—एक तो करों द्वारा और दूसरे ऋण लेकर और कुछ मदों पर अपना व्यय कम करके। लेकिन बजट-पत्र देख कर पता लगता है कि कई महत्वपूर्ण बातों की उपेक्षा की गई है। सैनिक प्रशिक्षण के लिए अच्छी से अच्छी संस्थायें बनाई जायें लेकिन मितव्ययता के नाम पर इनको समाप्त न किया जाये। राष्ट्रीय राइफल्स संस्था को अनुदान देने के लिये इस वर्ष कोई उपबन्ध नहीं किया गया है। इसको वर्ष १९६२-६३ में २,१९१ रुपये का अनुदान दिया गया और वर्ष १९६३-६४ में कुछ भी नहीं, १९६४-६५ में भी इसके लिये कोई उपबन्ध नहीं है। पता नहीं सरकार यह क्यों समझती है कि इस बारे में धन देने की कोई जरूरत नहीं है।

होम गार्ड संस्था और लोक सहायता सेना संस्था को, जो लोगों को सैनिक रूप से तैयार करती रही है, बन्द कर दिया गया है। यदि इनके स्थान पर कोई अन्य अच्छी संस्था बनाई जानी है तो यह कदम ठीक है लेकिन ऐसा कुछ किये बिना इनको समाप्त करना अच्छा नहीं है। सरकार को सैनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिये और देश की स्थिति सुधारने के लिये उनकी सेवाओं से लाभ उठाना चाहिये। छंटनी करने या मितव्ययता करने का प्रश्न ही काफी नहीं है बल्कि हमें यह याद रखना चाहिये कि हम बजट एक निश्चित अवधि के लिये और एक विशेष प्रयोजन के लिये बना रहे हैं।

विभिन्न क्षेत्रों में विदेशों से भारतीय विशेषज्ञों के लिये प्राप्त प्रार्थनाओं पर विचार करने के लिये विदेशी व्यक्ति नियोजन अनुभाग बड़ी महत्वपूर्ण संस्था है। केवल उन्हीं लोगों को विदेश भेजा जाये जो भारत का नाम उज्जवल करें और अन्य देशों में भारत की स्थिति मजबूत करें और अन्य

लोगों को कुछ सिखायें। इस बात को हर विश्वविद्यालय में बड़े व्यापक ढंग से विज्ञापित किया जाये ताकि विद्यार्थी लोग यह समझ लें कि उनके लिये ये भी अवसर हैं और यदि वे किसी क्षेत्र में विशेषज्ञ बन जायें तो विदेश जा सकते हैं।

जम्मू तथा काश्मीर में शेख अब्दुल्ला को रिहा किये जाने से स्थिति ऐसी पैदा हो गई है कि भारत सरकार को अगला कदम उठाने के लिये बड़ी समझदारी और सूझबूझ से काम लेना पड़ेगा। काश्मीर भारत का अंग है और हम इसे किसी कीमत पर भी नहीं छोड़ेंगे। काश्मीर के बारे में विचार करते समय हमें कुछ दृढ़ निच्चय करने चाहियें और यह नहीं देखना चाहिये कि इससे कोई खुश होता है या नहीं। भारत और पाकिस्तान के बीच यह अन्तर है कि यद्यपि हमने पूर्वी बंगाल और पश्चिम पंजाब का पाकिस्तान बनने दिया लेकिन हमने कभी द्वि-राष्ट्र सिद्धान्त को नहीं माना। काश्मीर के बारे में हमें इस आधार पर विचार करना चाहिये कि काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और किसी भी परिस्थिति में इसको भारत से अलग नहीं किया जा सकता। यदि सभी वर्गों के नेता सहयोग करने को तैयार हों तो एक राष्ट्रीय परिषद् बनाई जाये जहां इन कार्यवाहियों का पूरी तरह समर्थन किया जा सके।

श्री अन्सार हरवानी (बिसौल) : उपाध्यक्ष महोदय, साम्प्रदायिक दंगों और भ्रष्टाचार को समाप्त करने में गृह-कार्य मंत्री जी को बधाई देता हूं।

पाकिस्तान हर समय संसार के सामने यह प्रचार करता है कि भारतीय मुसलमानों की उपेक्षा की जा रही है, उनका दमन किया जा रहा है और उनको समान अधिकार नहीं दिये जा रहे हैं। भारत के संविधान में अन्य भारतीयों के समान मुसलमानों को समान अधिकार दिये गये हैं। यह यथार्थ है। आज संसार का एक बड़ा मुसलमान भारत गणराज्य का उपराष्ट्रपति है। आज एक महान् मुस्लिम नागरिक और काननूनवेत्ता इस देश का शिक्षा मंत्री है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मुसलमान हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश मुसलामान हैं, राजदूत मुसलमान हैं, उच्च पदों पर मुसलमान आसीन हैं। वे इन स्थिति में मुसलमान होने के कारण नहीं बल्कि भारतीय होने के कारण हैं। पाकिस्तान में अभी तक राष्ट्रीयता नहीं आई है।

हमारे देशवासियों को पाकिस्तान की कार्यवाहियों से भड़क नहीं उठना चाहिये। खुलना और ढाका में दंगे हुए। इस कार्यवाही के प्रति प्रत्येक भारतीय और संसार के प्रत्येक नागरिक का माथा शर्म से झुक जाता है। हम भी यही महसूस करते हैं। लेकिन यदि वहां पांच हिन्दू मारे जाते हैं तो यहां एक मुसलमान को मारने का कोई औचित्य नहीं है। मुझे विश्वास है कि जब तक देश की बागडोर प्रधान मंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू और गृह-मंत्री श्री गुलजारीलाल नन्दा के हाथ में है, इस प्रकार की बात नहीं होगी।

जब तक पंडित नेहरू और श्री नन्दा इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं तब तक भारत के मुसलमान सुरक्षित हैं। मैं इस बात की घोषणा करना चाहता हूं कि भारत के मुसलमान भारत के प्रति श्रद्धा रखते हैं और यदि कभी पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ तो हम इस देश के लिये अपना जीवन न्योछावर कर देंगे। हमारे गृह-मंत्री एक तो साम्प्रदायिक शांति बनाये रखने के लिये प्रयत्नशील हैं और दूसरे भ्रष्टाचार दूर करने में। भ्रष्टाचार तभी दूर होगा जब बड़े बड़े समाज-विरोधी, तत्वों को दण्डित किया जायगा। भ्रष्टाचार रोकने के लिए यह आवश्यक है कि सेवानिवृत्ति वरिष्ठ पदाधिकारियों को गैरसरकारी निकायों में काम न करने दिया जाय और उनके लिये यह असम्भव हो कि वह कार्यालयों में अन्य पदाधिकारियों से सम्पर्क बना सकें।

गृह-कार्य मंत्रालय की मांगों के संबंध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
45	1	Shri Ram Sewak Yadav	Failure in decentralisation of power.	The amount be reduced to Re. 1/-
45	2	Do.	Failure to discontinue the use of English for the administrative purposes.	Do.
45	3	Do.	Failure to implement the recommendations of the Backward Classes Commission.	Do.
४५	४	श्री ह० च० सौय	राजनीतिज्ञों तथा मंत्रियों को विशेष सतर्कता आयोग के क्षेत्राधिकार में लाने में असफलता ।	१०० रुपये
४५	८	श्री शिवमूर्ति स्वामी	वर्ष १९६२ से केन्द्रीय सचिवालय सेवा के प्रथम श्रेणी के पदाधिकारियों की वार्षिक सूची का न जारी किया जाना ।	१०० रुपये
४५	९	श्री शिवमूर्ति स्वामी	केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम, १९६२ के नियम १२(४) के अन्तर्गत विनियमों को न जारी किया जाना।	१०० रुपये
४५	१०	श्री शिवमूर्ति स्वामी	केन्द्रीय सचिवालय सेवा के प्रथम श्रेणी के कनिष्ठ पदाधिकारियों की अन्य मंत्रालयों के पदाली-पूर्व पदों में नियुक्तियों के अनुमोदन के सिलसिले में सी० ए० डी० आर० ए० प्राधिकार द्वारा प्रभावपूर्ण नियंत्रण रखने में असफलता।	१०० रुपये
४५	११	श्री शिवमूर्ति स्वामी	केन्द्रीय सचिवालय सेवा के पदाधिकारियों के हितों की रक्षा करने में असफलता ।	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
45	13	Shri Ram Sewak Yadav	Failure to tackle the worsening law and order situation	Rs. 100/-
45	14	Do.	Failure to check corruption .	Rs. 100/-
४९	२३	श्री शिवमूर्ति स्वामी	संघ राज्य क्षेत्रों में पुलिस कांस्टेबलों को अधिक वेतन देने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
४९	२४	श्री शिवमूर्ति स्वामी	संघ राज्य क्षेत्रों में उच्च-अर्हता प्राप्त कांस्टेबलों को भर्ती करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
४९	२५	श्री शिवमूर्ति स्वामी	संघ राज्य क्षेत्रों में सभी कांस्टेबलों, इंस्पैक्टरों आदि के लिये शीघ्र क्वार्टर व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
४९	२६	श्री शिवमूर्ति स्वामी	संघ राज्य क्षेत्रों में सब-इन्स्पैक्टर के पद के लिये स्नातकों को भर्ती करने को आवश्यकता ।	१०० रुपये
५६	२९	श्री ह० चं० सौय	अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के कल्याण के लिये नियत वार्षिक निधियों को व्ययगत न होने देने में असफलता ।	१०० रुपये
५६	३०	श्री ह० चं० सौय	अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के कल्याण की ओर ध्यान देने में असफलता ।	१०० रुपये
५६	३१	श्री ह० चं० सौय	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण की अवहेलना ।	१०० रुपये
५६	३२	श्री ह० चं० सौय	ढेबर आयोग प्रतिवेदन की सिफारिशों को कार्यान्वित करने में असफलता ।	१०० रुपये
५६	३३	श्री ह० चं० सौय	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सरकारी उपक्रमों में पद रक्षित न किया जाना ।	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
५६	३४	श्री ह० चं० सौय .	अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों के लिये तीसरी योजना के मध्यकालीन मूल्यांकन में वर्णित सिफारिशों को कार्यान्वित करने में असफलता ।	१०० रुपये
५६	३५	श्री ह० चं० सौय .	अनुसूचित आदिम जातियों के बच्चों के लिये उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा का प्रबन्ध न करना ।	१०० रुपये
५६	३६	श्री ह० चं० सौय .	बिहार, उड़ीसा आदि राज्यों को प्राथमिक शिक्षा के लिये आदिवासी भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें तैयार करने के लिये मन्त्रणा न दिया जाना।	१०० रुपये
५६	३७	श्री ह० चं० सौय	बिहार की अनुसूचित आदिम जातियों के बच्चों के लिये उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा देने की मांग पर विचार न किया जाना ।	१०० रुपये
४५	४३	श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	देश के प्रशासन में अकुशलता एवं भ्रष्टाचार ।	राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय ।
४५	४४	श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	पाकिस्तानी तथा अन्य देशों के जासूसों को खोज निकालने में गुप्तचर विभाग की असफलता तथा समाज-विरोधी तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही न कर सकना ।	राशि घटा कर १ रु० कर दी जाय
४५	४५	श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	जम्मू तथा काश्मीर को पूर्णतया भारत के साथ मिलाने में असफलता ।	राशि घटा कर १ रु० कर दी जाय ।
४५	४६	श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	असैनिक झगड़ों पर नियन्त्रण पाने में असैनिक प्रशासन की असफलता ।	राशि घटा कर १ रु० कर दी जाय
४५	४८	श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	सराजुद्दीन एण्ड कम्पनी के मामले की जांच करने के लिये एक जांच आयोग स्थापित करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
४५	४६	श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	पूर्वी पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिये सुदृढ़ नीति का अभाव ।	१०० रुपये
४६	५०	श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	मन्त्रिमण्डल के मन्त्रियों की संख्या कम करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
४८	५१	श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	न्याय प्रशासन का काम गृह-कार्य मन्त्रालय से विधि मन्त्रालय को सौंपने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
४५	६६	डा० मा० श्री अणे	स्वास्थ्य विभागों में इंजीनियरों के लिये एक अखिल भारत सेवा की आवश्यकता ।	१०० रुपये
५६	७०	डा० मा० श्री अणे	भारतीय नागरिकता अधिनियम का प्रशासन ।	१०० रुपये
५६	७१	डा० मा० श्री अणे	आय व्ययक में दान के लिये चन्दों सम्बन्धी उपबन्ध का न होना ।	१०० रुपये
५६	७२	डा० मा० श्री अणे	विदेशियों के निर्वासन के लिये नीति की आवश्यकता ।	१०० रुपये
५६	७३	डा० मा० श्री अणे	नेशनल राईफल एसोसिएशन के लिये अनुदानों का अभाव ।	१०० रुपये
५६	७४	डा० मा० श्री अणे	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी सिखाने के लिये दृढ़ नीति की आवश्यकता ।	१०० रुपये
४५	१०४	श्री बड़े . .	कलकत्ता, उड़ीसा तथा बिहार में भारतीय जनसंघ के कर्मचारियों को निरुद्ध करने में भारतीय प्रतिरक्षा नियमों का दुरुपयोग ।	१०० रुपये
४५	१०६	श्री सेझियान .	सहकारी भाषा सम्बन्धी नीति ।	१०० रुपये
४५	१०७	श्री सेझियान .	संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में भाषा का माध्यम ।	राशि घटा कर १ रु० कर दी जाय

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
४५	११२	श्री सेझियान .	अस्पृश्यता निवारण के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने की आवश्यकता।	१०० रुपये
४५	११३	श्री सेझियान .	अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों के कल्याण के लिये एक अलग विभाग बनाने की आवश्यकता।	१०० रुपये
४५	११४	श्री सेझियान .	पिछड़े वर्गों की आर्थिक स्थिति में सुधार के प्रयोजनार्थ उचित कार्यवाही न किया जाना।	१०० रुपये
४५	११५	श्री सेझियान .	प्रधान मन्त्री द्वारा अहिन्दी भाषा भाषियों को सरकारी भाषा संबंधी दिये गये आश्वासन को कार्यान्वित करने की आवश्यकता।	१०० रुपये
४५	११६	श्री सेझियान .	सरकारी सेवाओं में हिन्दी भाषा भाषी लोगों के भय को दूर करने की आवश्यकता।	१०० रुपये
४५	११७	श्री सेझियान .	भारत के वासियों के मूल अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता।	१०० रुपये
४५	११८	श्री सेझियान .	आपातकाल को समाप्त करने की आवश्यकता।	१०० रुपये
४५	११९	श्री सेझियान .	प्रशासन से पक्षपात, भ्रष्टाचार आदि को दूर करने में असफलता।	१०० रुपये
४५	१२०	श्री सेझियान	विदेशी जासूसों के विरुद्ध अधिक प्रशासनिक सतर्कता बर्तने की आवश्यकता।	१०० रुपये
४५	१२१	श्री सेझियान .	श्रीलंका तथा बर्मा से आने वाले भारतीयों के पुनर्वास के लिये अलग मन्त्रालय की आवश्यकता।	१०० रुपये
४७	१२२	श्री सेझियान	खंडीय परिषदों को अधिक शक्तियां प्रदान करने की आवश्यकता।	१०० रुपये
४७	१२३	श्री सेझियान	खंडीय परिषदों में संसद् सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने की आवश्यकता।	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
४८	१२४	श्री सेझियान	न्याय प्राप्त करने में होने वाले व्यय में कमी करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
४८	१२५	श्री सेझियान	न्यायालय प्रक्रिया के साधारणीकरण की आवश्यकता ।	१०० रुपये
४८	१२६	श्री सेझियान	दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं भारतीय दण्ड संहिता के पुनः सहिताबद्ध करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
४८	१२७	श्री सेझियान	न्यायपालिका को कार्यपालिका से पूर्णतः अलग करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
४८	१२८	श्री सेझियान	मामलों के शीघ्र निबटाये जाने के लिये अधिक सुविधायें देने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
४९	१२९	श्री सेझियान	जेल पुस्तिका के पुनरीक्षण की आवश्यकता ।	१०० रुपये
५०	१३०	श्री सेझियान	जनगणना प्रतिवेदनों के अविलम्ब सारणीकरण की आवश्यकता ।	१०० रुपये
५४	१३१	श्री सेझियान	द्वीपों की प्रशासनिक व्यवस्था में जनता को प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
५४	१३२	श्री सेझियान	द्वीपों की वन सम्पत्ति के विनाश को रोकने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
५४	१३३	श्री सेझियान	द्वीपों में भारतीय वन अधिनियम को लागू करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
५४	१३४	श्री सेझियान	नारियल तथा सुपारी की उपज के लिये सहकारी समितियां संगठित करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
५४	१३५	श्री सेझियान	द्वीपों में श्रमिकों की स्थिति में सुधार की आवश्यकता ।	१०० रुपये
५४	१३६	श्री सेझियान	द्वीपों में चिकित्सा सुविधाओं के बढ़ाये जाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
५४	१३७	श्री सेझियान	द्वीपों में परिवहन तथा संचार सुविधाओं के सुधार की आवश्यकता ।	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
५४	१३८	श्री सेझियान .	द्वीपों में शिक्षा स्तर में सुधार की आवश्यकता ।	१०० रुपये
५४	१३९	श्री सेझियान .	द्वीपों में लोगों की मातृ भाषा में प्राथमिक एवं आरम्भिक शिक्षा प्रदान करने के लिये व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
४५	३८	श्री शिंकरे .	विधायकों तथा मन्त्रियों को सतर्कता आयोग की सीमा में लाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
४५	३९	श्री शिंकरे .	साम्प्रदायिक एवं राजनीतिक दंगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने के सिलसिले में उचित असैनिक गुप्तचर बनाये रखने में असफलता ।	१०० रुपये
४५	४०	श्री शिंकरे .	विधि एवं व्यवस्था सुनिश्चित करने में असफलता ।	१०० रुपये
४५	४१	श्री शिंकरे . .	प्रशासनिक कार्यों में लालफीताशाही समाप्त करने में असफलता ।	१०० रुपये
४५	४२	श्री शिंकरे	भ्रष्टाचार एवं समाज-विरोधी तत्वों को रोकने में असफलता ।	१०० रुपये

उपाध्यक्ष महोदय : यह कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत है ।

Shri Shashi Ranjan (Puri) : While supporting the demands of the Home Ministry I congratulate the hon. Home Minister for appreciable work done by him. The work that the Home Minister has to handle is of extensive nature that it requires a lot of vigilance and particularly in these times when Currents of various thoughts are surveying the Country.

His efforts to put an end to corruption and his declaration that corruption would be eradicated within two years deserve appreciation. For the removal of Corruption from the administration the Central Vigilance Commsission was constituted. The Minister alone cannot put down corruption. The Corrupt officers are not the relatives of the Minister. Unless every person gives a helping hand we cannot succeed in putting down corruption.

Under the Ministry of Home Affairs Department of Administrative Reforms and Organisation and Methods Division have been established. My suggestion is that under the Department of Administrative Reforms separate time should be allotted for debate on the Report of Organisation and Methods Division and afterwards House should take necessary decisions.

The Home Minister wants to establish good relations between the employers and the Employees here on the basis of the Whiteley Council. I hope that it will lead to happy results.

Unfortunately the theft of the sacred hair from Hazaratbal shrine led to a calculated and preplanned exodus of minorities from East Pakistan. It had its reactions in Calcutta also. Other Thanks are due to the Home Minister that he tackled the situation in a tactfull manner. Afterwards some incidents took place in Bihar. But the Home Minister dealt with them successfully. If there are appropriate resources, it is easy to meet the foreigners at the frontiers, but it there are hostile elements in the country, it is difficult to deal with them within the frame work of the Constitution.

Now I would like to draw the attention of the Home Minister towards some important points. We have not yet succeeded in the removal of untouchability. Some Countructive steps are needed to be taken in this direction.

So far as rise in prices in concerned I would like to suggest that some Committees should be appointed at different levels in the Districts whose function would be to promote relations between the public and the officers and bring down prices in the way.

There is dearth of highly qualified scientists, engineers and doctors in the country. But inspite of this shortage, they are required to do the file work in the department under various ministries. It is like round peg in square holes. We are not exploiting their talents to the maximum. It should not be so.

I would like to request to the hon. Home Minister that while making appointments on the high posts due consideration should be given to the morality of the person concerned. It is but essential that the persons on high posts should be strong moralists. Simply passing the I.A.S. Examination has no meaning as only physically fit intellectually strong and intuitionally developed persons can give lead to the country.

Kashmir was discussed during the debate on External Affars Ministry Kashmir is an indivisible part of this country. I fail to understand why this matter was brought in the debate on External Affairs Ministry. It is just proper that it should be discussed in the debate on the budget demands of Ministry of Home Affairs. I would like to know from the Home Minister the time by which the nomenclature in respect of Kashmir Prime Minister will be changed to Chief Minister and that of Sadar-e-Riyasat to Governor. Further, I would like the Home Minister to be vigilent enough regarding the ideas expressed by Sheikh Abdullah. So that some untoward reaction may not take place in the people of other states.

Further, I would like to suggest that the cases which go to the courts or Police authorities should not be unnecessarily delayed but should be expedited so that people may have confidence in the Government.

There are water tight compartments between officers and public . They are unable to understand each other. The result is that we are not able to find solution to our difficulties. For this I would like to suggest that periodically camps and seminars should be arranged so that officers and public come near each other and sentiments of euqality may develop.

Now I would like to say a few words about the infiltrants. Near about 15 lakh infiltrants have crossed in the three states of Bihar, Assam and Bengal.

They are having secret alignment with the Communists which is a potential danger to the country. This is our personal matter and we should not talk with Pakistan on this matter. These talks lead us nowhere.

श्री व० क० रामस्वामी (नामक्कल) : गृह-कार्य मंत्रालय की मांगों का समर्थन करते हुए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। संविधान में यह बात रखी गई है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्ति अन्य शक्तियों से घटिया नहीं हैं। आज स्वतन्त्रता को प्राप्त किये १७ वर्ष बीत चुके हैं, परन्तु फिर भी इन व्यक्तियों की दशा बड़ी दयनीय है। मैं मानता हूं कि सरकार ने कुछ हद तक उनकी सहायता की है, परन्तु उनकी दरिद्रता और पिछड़ेपन को देखते हुए यह कुछ भी नहीं है। हमें उन्हें आर्थिक रूप से उठाना चाहिये। मेरा एक सुझाव है कि उन्हें पड़ती भूमि दी जाय और अपेक्षित सहायता दी जाये। इससे खाद्यान्न के उत्पादन में भी वृद्धि होगी।

उनके लिये जो रक्षित स्थान होते हैं उन पर भी उन्हें नहीं लिया जाता है और यह बहाना लगा दिया जाता है कि उपयुक्त अभ्यर्थी उपबन्ध नहीं है। यही बात विभागीय पदोन्नतियों पर भी लागू होती है। पंचायत प्रशासन, सहकारी समितियों और सरकारी क्षेत्रों में भी नियुक्ति के लिये इनका ख्याल नहीं रखा जाता है। इस दिशा में उपयुक्त कार्यवाही की जानी चाहिये। केवल अस्पृष्यता दूर करने पर पैसा खर्च करने से कुछ न बनेगा।

[डा० सरोजिनी महिषी पीठासीन हुई]

[DR. SAROJINI MAHISHI *in the Chair*]

इन व्यक्तियों के पास रहने के लिये मकान नहीं हैं। सरकार की इनके लिये मकानों की व्यवस्था करनी चाहिये। सरकार द्वारा दी जाने वाली निधियां राज्यों को समय पर पहुंचनी चाहिये।

देश भर में पुलिस वालों की वर्दियां एक समान होनी चाहिये। इससे उनमें अनुशासन को बढ़ावा मिलेगा। देश भर में पुलिस के सिपाहियों का वेतन बढ़ाया जाना चाहिये।

हमने मद्यनिषेध का कानून तो पास कर दिया है लेकिन इसे शक्ति से लागू नहीं किया गया है। इस कानून के उलंघन में गरीब आदमी फंस जाते हैं और अमीर लोग बच निकलते हैं। २८ जनवरी, १९६४ को मैंने अपने स्थान पर केन्द्रीय सरकार के एक बड़े प्राधिकार को खूब शराब पिये हुए सड़क के किनारे पर पड़े देखा। मेरे सूचना देने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। उसे एक डाक्टरी प्रमाणपत्र दिया गया और मुकदमे में रिहा कर दिया गया। एक मास बाद वह फिर अपने कार्यालय में शराब पीये हुए पाया गया। उसे पुनः गिरफ्तार किया गया, परन्तु मुझे बताया जाता है कि इस बार भी उसे रिहा कर दिया जायेगा। मैं जानता हूं कि पुलिस स्वयं इस अपराध से बची हुई नहीं है।

भ्रष्टाचार सर्वव्यापी है। इसको दूर करने के लिए मेरा सुझाव है कि जिला स्तर पर उचित कार्यवाही करने के लिए जनता के प्रतिनिधियों की एक सलाहकार समिति बनाई जानी चाहिये।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि मद्रास राज्य में मेरा जिला सैलम सब से बड़ा और सबसे अधिक पिछड़ा हुआ जिला है। वहां पर बेरोजगारी की समस्या बड़ी तीव्र है। प्रस्तावित इस्पात संयंत्र को सैलम में ही बिना विलम्ब के स्थापित करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki) : My first submission is that next year when there is debate on the Home Affairs Ministry, Goa, Daman, Diu and Pondicherry which are parts of our country should be brought under this Ministry and not under the External Affairs Ministry. Secondly, the Judiciary should be separated from the Home Affairs Ministry and brought under Ministry of Law.

It is the responsibility of the Home Ministry to cease out the communal tensions and internal strife so that the country may progress. If it cannot maintain law and order, we can straightway say that it has failed in its objectives.

Disputes among various communities are prevalent every where in the country. In Muzaffarpur district in Bihar state there were disputes of Rajputs and Ahirs. In Patna also there were disputes between Brahmins and Rajputs. I fear that if timely action is not taken by the Ministry in this regard it shall take the shape of a serious problem.

It is an old principle to terrorise and keep peace. If we see its results we shall find that so far as peace is concerned there is progressive increase in the incidents of thefts, dacoity, loot etc. Today the peace is in the hands of goondas, big guns and rich people. If the interest of any one of the three is at clash, then the peace is in danger. Unless we destroy this triangle nothing can be done to foster peace. The Minister has paid little attention to the betterment of the backward classes. The former Minister had appointed a Bac k-ward classes commission. That Commssion submitted a report. That report was placed on the table of the House and am very sorry to say that not to speak of the implementation of its recommendations, even there has been no debate on it in the House so far.

The people of backward classes should be encouraged to take part in the administration of the Country. For this decentralisation of power is necessitated. Today the administration is such that the public cannot take any direct part in the administration except in Panchayats in the villages. But those Panchayats cannot even remove a watchman. So far as district Councils are concerned there are indirect elections there. What I want to stress is that we should find some means by which 44 crore people of this Country may be associated the administration of the Country.

Today the administration is in the hands of a few people who belong to upper strata of society. For example Nanavati was acquitted because he was a senior naval officer. Today the Government and administration both are corrupt.

The Ministry has submitted a report in which mention has been made of the administrative arrangements in Centrally administered units. It is the duty of the Ministry of Home Affars to give information to the House regarding the total murders committed, the number of persons arrested and the number of persons acquitted. But this report contains nothing of this sort. In my constituency two M.L.As. were murdered.

In Kanpur five socialists have been murdered. Shri Chander Shekhar Tewari was murdered during the election. The mercy petitions of the culprits are accepted by the Governor. This is the way in which administration is running there. My only submission is that greater attention should be given to these things.

To day the administration is standing on a false prestige. The real thieves and dacoits are not searched. Shri Mani Ram Bagri is under prosecution for more than two years because he staged a *dharna* before the Prime Minister's House. His object was that the poor should be provided with accommodation. I spoke of it to the Minister also ; but we were told that it was a question of prestige.

Until and unless English is replaced by Hindi, public cannot participate in the administration. The time has come when the English must go.

Today the evil of corruption is at large. We hear of corruption at the level of Ministers and M.L.As. It is of primary importance to put down corruption. The only way to deal with this evils to curb it on the high levels.

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (बुलन्दशहर) : सभापति महोदया, मैं गृह-कार्य मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। हमारे जैसे पिछड़े देश में विभिन्न स्तरों पर सरकारी कार्यालयों का बड़ा महत्व है। हमारी पंचवर्षीय योजनाओं और विकास परियोजनाओं की सफलता पूर्ण रूप से हमारे प्रशासन के ठीक तरह से कार्य करने पर निर्भर है। हमारा प्रशासन अब भी पुराने तरीके पर चल रहा है। भ्रष्टाचार के अतिरिक्त हमारे प्रशासन में ढीलापन बहुत अधिक है। कर्मचारी अधिक संख्या में भरती किये हुए हैं, परन्तु काम फिर भी अच्छा नहीं होता है।

आजकल हमारे कार्यालयों में जो काम होता है मैं उसके सम्बन्ध में एक पत्रिका से २.४ पंक्तियां सुना देता हूं : पहला कार्य क्रियान्विति का है। दूसरा कार्य समन्वय का है। तीसरा कार्य नीति निर्माण का है। चौथा कार्य एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में पत्रों को भेजने का है और अन्तिम कार्य इधर उधर टेलीफोन करने का है। यह एक बहुत खेद की बात है। इस प्रकार हम अपने उद्देश्यों में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। सारे प्रशासन में रद्दो बदल करने की आवश्यकता है। मेरी राय में हमें सन्थानम समिति के सारी सिफारिशों को शीघ्र क्रियान्वित करना चाहिये।

इस सम्बन्ध में मेरा पहला सुझाव यह है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा से मिलती जुलती अखिल भारतीय सेवाएं होनी चाहिये। राष्ट्रीय एकता के हित में किसी भी प्राधिकारी को अपने राज्य में नियुक्त नहीं करना चाहिये। आजकल यह होता है कि ५० प्रतिशत भारतीय प्रशासनिक सेवा के व्यक्तियों को उनके राज्यों में ही भेजा जाता है। हमें इस प्रणाली को समाप्त करना चाहिये।

अखिल भारतीय सेवाओं से पहला लाभ तो यह होगा कि हमें उच्च कोटि के व्यक्ति मिल सकेंगे। हमारा लाभ यह होगा कि इन प्राधिकारियों पर स्थानीय नेताओं का बुरा असर नहीं पड़ेगा। तीसरा लाभ यह होगा कि उनके प्रति जनता का विश्वास बढ़ेगा क्योंकि वे सभी मामलों में निष्पक्षता बर्तेंगे। चौथे इस से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलेगा।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि उच्चतर श्रेणियों के लिये पदोन्नतियां केवल योग्यता के आधार पर होनी चाहिये। यह खेद की बात है कि हमारे प्रशासन में उच्चस्तर पर पदोन्नतियां अब भी राजनीतिक बातों को ध्यान में रख कर की जाती हैं न कि योग्यता के आधार पर। हाल ही में सरकार के एक वरिष्ठ सचिव की एक मत्रालय से, जब कि वह ६ मास बाद सेवानिवृत्त होने वाले थे, दूसरे मंत्रालय में बदली कर दी गई। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों किया गया। इसके दो ही कारण हो सकते हैं। या तो हम उपयुक्त व्यक्ति नहीं चुनते या फिर उनके प्रति मंत्री का व्यवहार ठीक नहीं होता। दोनों बातें खराब हैं और इनका सरकारी कर्मचारियों पर बुरा असर पड़ता है।

मेरा तीसरा सुझाव यह है। पहले केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में यह प्रक्रिया थी कि यदि कोई प्राधिकारी एक मास या इस से अधिक के अवकाश पर जाता था तो उसके प्रत्यक्ष नीचे के प्राधिकारी को उसके स्थान पर काम करने का अवसर दिया जाता था। अब उस नियम में परिवर्तन कर दिया गया है। और नया नियम यह है कि अब इसकी अवधि एक मास से बढ़ा कर दो मास कर दी गई है। शायद ऐसा बचत के ख्याल से किया गया है। परन्तु ऐसा करना लाभदायक सिद्ध नहीं हुआ है क्योंकि पहले वाले तरीके में स्थान लेने वाले अधिकारी को दक्ष बनाने का अवसर मिलता था। मैं निवेदन करुगा कि हमें पहले वाला तरीका अपनाना चाहिये।

सन्थानम समिति ने यह सिफारिश की थी कि किसी भी सेवानिवृत्त कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के दो वर्ष पश्चात् तक किसी गैर सरकारी फर्म में नौकरी करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। मैं मानता हूं कि ऐसा करना लोकतन्त्र के सिद्धान्त के विरुद्ध है और ऐसा किसी भी देश में नहीं है। परन्तु देश में नैतिक गिरावट को ध्यान में रखते हुए इस सिफारिश को क्रियान्वित करना ठीक ही है। मेरी राय में ऐसा करना चाहिये कि सेवानिवृत्त प्राधिकारियों के आवेदन-पत्रों पर सरकार को विचार करना चाहिये। और फिर नौकरी करने की अनुमति देनी चाहिये। यदि कोई प्राधिकारी बुरा है तो उसको अनुमति नहीं देनी चाहिये।

व्यापार क्षेत्र में अच्छे प्रबन्धकों की भारी कमी है, और यह देश के हित में होगा यदि इन योग्य आदमियों को वहां काम पर लगाया जाये। दूसरे जिस व्यक्ति ने लगातार ३०–३५ वर्ष काम किया हो उसके लिये बेकार बैठना बड़ा कठिन बन जाता है। तीसरे बिना किसी तुक के उसकी स्वतंत्रता पर रोक लगाना उचित नहीं है। चौथे यह भी हो सकता है कि उस समय उसे पैसों की बड़ी आवश्यकता हो।

मैं माननीय मंत्री से सीमित भारतीय प्रशासनिक सेवा के बारे में यह जानना चाहता हूं कि इस संबंध में वेतन आयोग की सिफारिश को क्रियान्विति में कितना समय लगेगा।

अन्त में मेरा यह कहना है कि इस समय हमारे सामने बड़ी बड़ी समस्याएं हैं और मैं आशा करता हूं कि श्री नन्दा को उनमें सफलता मिलेगी और वह डट कर उनका मुकाबला करेंगे।

सभापति महोदय : श्री अब्दुल गनी गोनी.....अनुपस्थित। श्री सिद्धेश्वर प्रसाद।

Shri Shiv Narain (Bansi) : Kindly tell me whether my name is there or not. I want to know if you have got any list or not.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या एक माननीय सदस्य अध्यक्ष को इस तरह से कह सकते हैं ?

श्री श्याम लाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर) : मैं बिल्कुल सहमत हूं।

Shri Sidheshwar Prasad (Nalanda) : Sir, I support the Demands of the Home Ministry. As Planning Minister Shri Nanda set before the nation the ideals of economic growth and now as Home Minister he has exhibited examplary courage and determination in tackling the situation arising out of the theft of the holy relic in Kashmir and grave communal disturbances in East Pakistan and, as their off-shoot, in Calcutta, Jamshedpur and Rourkela. By appointing the vigilance Commission he has given out the promise of going a long way in rooting out corruption.

Our country is passing though a critical ordeal and the next five of six years shall bring still more serious problems to which I would draw the attention of the House and make a passing reference to the question of Hindi. I hope that the welcome decision to make Hindi an optional medium for the All India examinations after September 1965 would be implemented without delay. It is also essential that a standing Committee should be set up to formulate a Hindi policy and implement decisions regarding the official language.

Coming to the Santhanam Committee, its report gives the impression as if corruption has entered into every walk of life and has assumed terrifying proportions. This may inculcate a sense of defeatism in the people The Committee has attributed it to the absence of new values which could replace the tottering edifice of old ones. What I feel is that all those countries who have developed by virtue of an industrial revolution have initially passed through a state of uncertainty and imbalance and Sorocin's "Power and Morality" gives a vivid account of it. The same conditions once prevailed in England and America as is borne out in a book titled "Patronage in British Government". All that is needed to wipe out corruption in a democratic country is an atmosphere wherein people may have faith in democratic ideals and principles and it is not impossible to create such an atmosphere.

It is essential to bring about drastic changes in our administrative set up and with that end in view a high-powered commission should be constituted to see how far our administrative set-up has been conformity with the targets of Plans and ideal of socialistic society. The administration has got to be streamlined if we have to achieve the goal of a welfare State.

Now I wish to draw the attention of the hon. Home Minister to another very important issue. Our relations with Pakistan and China are strained and they cannot improve so long as these two countries know that there are anti-national elements and fifth columinists in India who would support them in the hour of need. We have, therefore to win the confidence of the people and create an atmosphere wherein everybody may be loyal to his motherland. If that is done, no one can divert our attention from our economic growth or split the fabric of our national unity and communal harmony. It should also be remembered that patriotism and nationalism are not born out of fear or

force. They come natural to a man. We should go to the root of the problem and find out a permanent solution.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।]

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

When we are talking of having more and more All India Services, I may draw the attention of the hon. Minister to the urgency of constituting an All-India Education Service because that is the only effective measure to usher in national unity, to broaden the outlook of the people and urge them to think not in terms of any one religion or language or caste or region but in terms of India as a whole. That would enable us to rise alone petty considerations and outdated rigidities. I hope in the hon. Home Minister would be able to enthuse the people with the spirit of nationalism.

Shri Balmiki (Khurja) : Sir, I thank you for giving me time to speak on the Demands of the Home Ministry and I congratulate the hon. Home Minister for his commendable efforts to establish communal harmoney. The events following partition were taken by our leaders to be a temporary phase but they have been disillusioned. The minorities in Pakistan have been subjected to inhuman and heart-rending atrocities and their repercussions here are inevitable. Our duty is two-fold. We should see to it that the minorities in Paksitan are safe and those who come to India should be promptly rehabilited. It is also the responsibility of our Govt. to give full protection to the minorities here.

Anti-national elements and Communal institutions should be suppressed with a strong hand. The only way to meet the Chinese threat is to cultivate internal peace and communal unity and harmoney.

It is highly essential to root out corruption which has crept in everywhere and to have a neat and clean administration. It is also vital that the recommendations of Shri Santhanam should be properly implemented. A democratic Govt. must have an honest administrative set-up which can serve the country well in emergency. Every corrupt person, even if he is a M.L.A., M.P., or a Minister, should be brought to book by the Government.

Kashmir is an integral part of India and every eflort should be made to defend it. I have to say nothing against the release of Sheikh Abdullah but it is imperative for the country that he is not allowed to make such statements as he is making these days.

Efforts to remove untouchability have not been made in right earnestness, especially by the State Governments. It is wrong to say that this problem has been solved. Whatever national programme is chalked out, we untouchables should find it in the same place as is given to the refugees. It is undesirable that no action is taken on their complaints at the State level and by the Police.

Two things should be done urgently for the Harijans. Arrangements should be made for giving them land and for their economic upliftment. Whatever is shown on paper is not actually accomplished. Land should be given to them for cultivation and housing either free or at a nominal cost. The benefits of Harijan colonies and housing schemes for Harijans should be given to all sections to Harijans and not to any particular section. It is gratifying that Panjab Government has paid attention towards this but others have shown slackness.

[Shri Balmiki]

The economic upliftment of Harijans, specially of sweepers and scavengers, merits, special consideration. Cottage industries, financial aid and other incentives should be provided for them.

Recommendations of the Malkani Committee with regard to upliftment of these classes should be implemented and states should be asked to implement them properly.

The quota of reservation for scheduled tribes has not been filled up at all levels. Quota of promotion is not also filled up. Such facilities have been given to Class III and IV employees and Class I & Class II people have been ignored altogether. Rather the facilities previously available have been denied. It seems that the Home Ministry is bent upon ignoring the decisions of the supreme Court. Unless we give treatment of equality to Scheduled Castes, democracy will not be strengthened. The Ministry should pay attention towards this.

The prohibition policy has helped poor people and should be vigourously followed.

श्री रामचन्द्र ऊलाका (कोरापूत): मंत्रालय ने उत्तम कार्य किया है। आदिम जाति लोगों की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय है। वे जंगलों और बनों में रहते हैं। सरकार को उनकी स्थिति को सुधारने की ओर ध्यान देना चाहिये ताकि वे समाज के बराबर ऊंचे उठ सकें।

आदिम जाति लोगों का स्थान बदल कर खेती करने की आदत के कारण प्रति एकड़ उपज बहुत कम होती है ।

आदिम जाति लोगों के लाभार्थ भारी राशियां खर्च की जाती हैं, परन्तु उनका लाभ उन लोगों को न हो कर अन्य लोगों को पहुंचता है। उदाहरण आदिम जाति होस्टलों में एक भी छात उन जातियों का नहीं, बल्कि अन्य जातियों के छात्र उनमें रहते हैं। अतः सरकार को धन व्यर्थ नहीं खर्चना चाहिये जिससे आदिम जाति लोगों को लाभ न पहुंचता हो। ऐसी योजनाएं बनाई जाएं जिन से निर्बल वर्गों या आदिम जाति के लोगों और अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लोगों को लाभ पहुंचे। सरकार को चाहिये कि वह कुछ राशि केवल आदिम जातियों और अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ नियत करे ।

उड़ीसा में कोरापूत जिले में आदिम जाति लोग आर्थिक एवं अन्य दृष्टियों में पिछड़े हुए हैं। उनको सामन्य जनता के स्तर तक ऊंचा उठाने की जरुरत है।

कोरपूत में केवल तीन स्नातक और चार या पांच मैट्रिक हैं जो अनुसूचित जातियों के हैं। लोग भूमि हीन हैं। अन्य लोगों का आप बहुत ही कम है। दिन भर मेहनत करके एक रुपया कमा कर के वे जीवन निर्वाह नहीं कर सकते। उनको भूखे रहना पड़ता है और परिवारों की हालत कमजोर है। वे लोग पेड़ों के नीचे या पहाड़ियों पर रहते हैं और छोटी झोंपडी भी बना नहीं सकते। उनको हमेशा आग का भय लगा रहता है। मैदानों में रहने वाले आदिम जातियों की हालत भी ऐसी है। वे अर्धनग्न रहते हैं ।

कल्याण योजनाएं पंचायत समितियों के हाथों में हैं और वे आदिम लोगों के लिये कुछ नहीं करती। ग्रामीण क्षेत्रों की सर्वथा अपेक्षा की जाती है, क्योंकि विकास कार्यक्रम गांवों में जाते ही नहीं। पंचायतों में सामान्य जनता के प्रतिनिधि अधिक होने के कारण यह स्थिति है। अतः पंचायतों में हरिजनों और आदिम जाति के लोगों को अधिक प्रतिनिधित्व देश की आवश्यकता है।

आदिम जाति के लोगों को बसाने के लिए उनके मूल स्थानों पर मकान बनाने की सुविधायें दी जाएं और उनको कुछ भूमि भी दी जानी चाहिये। मेरे राज्य में हरिजन आदिम जाति के छात्र अपने अध्ययन को चला नहीं सकते। अतः आवश्यकता इस बात की है कि मैट्रिक से पहले की शिक्षा के लिये छात्रों को मिलने वाली छात्रवृति की राशि बढ़ाई जाए और इस लक्ष्य के लिये सरकार को अधिक राशि का आवंटन कर सके ताकि हरिजन छात्रों में शिक्षा का प्रसार बढ़े। सरकार को आदिम जाति लोगों को उद्योगों संबंधी प्रशिक्षण देना चाहिये और इन जातियों के लिये छोटे पैमाने के तथा कुटीर उद्योग स्थापित किये जाएं।

भ्रष्टाचार के कारण अनुशासन हीनता बढ़ती है और हमें अनुशासनहीनता तथा भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये कड़ी कायवाही करनी चाहिये। मैं मंत्रालय को और राज्य में ६२ आदिम जातीय विकास खण्ड खोलने के लिये धन्यवाद देता हूं। राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों को आदिम जाति खण्डों में बदलने की आवश्यकता है।

बेकार स्नातकों का सर्वेक्षण किया जाए और उनको रोजगार दिलाया जाए तथा सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लोगों को अधिक संख्या में लेना चाहिये।

सरकार ने बहुत सी बहुप्रयोजनीय तथा वन सहकारी संस्थाएं खोली हैं। इन संस्थाओं द्वारा आदिम जाति लोगों से वन उत्पाद के मामले में धोखा किया जाता है। अतः सरकार उन आदिम जाति लोगों को संरक्षण दे और उनको अपनी वन उपज को उचित दामों पर बाजार में बेचने की सुविधाएं दी जायें।

मेरे राज्य में सड़कों का अभाव है और यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा काम हुआ है, परन्तु स्थिति में सुधार नहीं हुआ। अतः ग्रामीण क्षेत्रों और नगरीय क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण कार्य को तेज किय जाए।

अखिल भारतीय लेखा परीक्षा और लेखापाल से मान्यता हटा ली गई क्योंकि उन्होंने वेतन आयोग को ज्ञापन भेजा था। अब सरकार की नीति कर्मचारियों के लिये सलाहकार व्यवस्था करने की है। अतः उस सब को पुनः मान्यता दी जाए और जिन कर्मचारियों ने १९६० की हड़ताल में भाग लिया था, उनको तुरन्त काम पर लगाया जाए।

इन शब्दों के साथ मैं इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : I congratulate the Home Minister for protecting people belonging to minority communities during recent communal disturbances which started here as reaction of attrocties committed by Pakistan. It must be made known to Pakistan in clear terms that our desire to maintain peace and tranquility should not be regarded as our weakness. Govt. is also expected to remain alert from the Pakistani spies working within the country. The heinous and criminal acts committed by Pakistan bloodshed and lifting of children and women, should be condemned in strong terms. Even if any Hindi betrays and does spying for Pakistan or other enemies, he should also be dealt with severely. Pakistan Govt. has become a stooge in the hands of America and China.

Sheikh Abdullah has given very objectionable statements after getting released from the detention. His speeches have been provocative and against all realities. It must be made clear to him that constitutional and political deve-

[Shri S.MBanerjee]

lopments taken place during these long years cannot be done away with. He must be told that Kashmir is an integral part of India and whosoever opposes it, he will have to bear its consequences. The decision taken with regard to integration of Kashmir with India cannot be cancelled. I would request the Home Minister to expedite the process of full integration of Kashmir with India. It is the decision and determination of Indian public that not a single inch from our sacred land will be allowed to be taken over by our enemies. The public of India is prepared to teach a lesson to Sheikh if he goes against their wishes.

During these years our Govt. should have established a stable Govt. in Kashmir which could enjoy confidence of the people. Kashmiri's are fed of corruption which is rampant there. Sheikh should be told that he will not be allowed to strengthen hands of Pakistan. Indian public is alert and prepared to face any danger, even to fight against any power trying to undo the Kashmir settlement.

During disturbances in Calcutta, police resorted to firing. But the demand by all leftists parties that there should be enquiry into the killing of a student named Bhudev. It is regretted that the enquiry has not been conducted as yet. I would appeal that this matter should be enquired into at the earliest so that the misgivings of the people could be removed.

Now I would say that many people have been detained by the Govt. under Defence of India Rules, under emergency provisions. But it is a sad commentry on the part of the Govt. that black marketeers, profiteers and similar other anti-social elements have been let loose. This is not fair. I would appeal that the emergency should be lifted and persons detained should be realeased. Recently in Bhopal many people including small children are detained. It appears as if there was no provision to deal with crimes, in Indian Penal Code or Criminal Procedure Code, that the Defence of India Rules, have been exercised. Home Minister should pay attention towards it.

It is welcome that there should not be strikes in the country if we have to bring socialism, increase produce. I welcome the idea of formaton of Whitley Councils. But the condition imposed, *i.e.*, snatching of the right of workers to resort to strikes is not proper. The right to strike is a sacred right of workers and they should not be deprived of that. It is like Sikh's right of keeping a kirpan. Workers would strike only when their sincere efforts for settlement of disputes fail. I would therefore appeal that Whitley Councils should be established soon and the condition imposed should be lifted.

It is not correct to say that the provision of Whitely Council does not apply to accounts & Audit people. Their association should be recognised.

The system of promotions in the Secretariat is not satisfactory. Promotions should be based on seniority. About 1500 Assistants did not get any promotion during two decades. I would suggest that a Committee should be ap-, pointed to look into the grievances of L.D.Cs. U.D.Cs., and Assistants. Matters relating to their promotions, seniority etc. should be decided by the Committee. The Committee should lay down rules for seniority & promotions etc.

Regarding confidential reports strange things are entered in the confidential reports which mar the careers of employees. Minister should pay attention towards it.

Govt. should firmly stand on their policies, and root out communal disturbances and must not surrender on Kashmir issue.

Shri Basant (Thana) . There are about 5 lakhs of Adivasis in my district. Something is done for their betterment. But more is required to be done to solve their problems. Ashram type schools should be started there. There economic condition is very bad, and they live in forests. Whatever benefit is earned from forests should be given to them for constructing houses. Everything should be done to improve their economic condition.

The report of Kalelkar Commission has been received in respect of Adivasis. Those recommendations should be borne in mind and all possible facilities should be provided for Agri and Kunbi communities, which are very near to each other.

I had asked about population of multi-lingual people living in Nagar Haveli. But I was told that people speaking of 26 languages live there. But it is certain that eighty percent people in Nagar Haveli are Marathi speaking. Inspite of Gujerati is being imposed on them for official purpose. This is unfair. Govt. should appoint people there who are neither from Maharashtra nor from Gujerat in order to ensure that no discrimination is made on the basis of language. All the documents relating toPeshwas were written in Marathi.

In the areas where Kunbi and Agri Communities are concentrated, tribal blocks should be started so that proper attention may be paid for improving their condition. I have seen that no attention is paid towards non-tribals. I shall urge that proper attention should be paid towards them also. I would appeal to the Hon. minister to give more and more help for improving economic conditions in Nagar Haveli.

श्री सुमत प्रसाद (मुजफ्फर नगर) : प्रजातंत्र की सफलता के लिये कुशल एवं ईमानदार प्रशासन अत्यन्त अनिवार्य होता है। सरकार को भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये कुछ सक्रिय उपाय करने चाहियें। भ्रष्टाचार विरोधी समिति की रिपोर्ट सदस्यों को दी जाए ताकि समिति की सिफारिशों पर सभा चर्चा कर सके। उस समिति ने सभी स्तरों पर, यहां तक कि मंत्रियों और विधायकों के स्तर पर भी भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये कहा है। एक आयोग श्री कैरों के विरुद्ध आरोपों की जांच कर रहा है। एसा करने से उत्तरदायी सरकार की उपयोगिता में विश्वास उत्पन्न हो सकता है ।

कलकत्ता और उड़ीसा में सामुदायिक दंगे हुए। प्रधान मंत्री ने शांति कायम रखने की अपील की है। परन्तु इसकी उत्तेजना पूर्वी पाकिस्तान में हिन्दुओं और ईसाईयों पर किये गये अत्याचारों के कारण हुई। उन्होंने योजना बना कर यह काम किया। हमें असम में अवैध रुप से आये हुए पाकिस्तानियों को देश से निकाल देना चाहिये। विभाजन के समय अल्पसंख्यकों को सुरक्षा का आश्वासन दिया गया । परन्तु नेहरू लियाकत सन्धि की भी अवहेलना पाकिस्तान द्वारा की गई है। सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह पूर्वी पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों की रक्षा करें और जो भारत में आना चाहते हैं उनके सुरक्षित आने का प्रबंध किया जाए। पूर्वी बंगाल के लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में हमारा साथ दिया, अत उनकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिये। पाकिस्तान सब लोगों को

[श्री सुमत प्रसाद]

वहां से निकाल कर इस्लामिक प्रशासन स्थापित कर रहा है। काश्मीर में पश्चिम पाकिस्तान से तो प्राय: सभी अल्पसख्यक निकाले जा चुके हैं। धर्म के आधार पर कोई सुरक्षित नहीं रह सकता।

इसके पश्चात् लोक-सभा १४ अप्रैल, १९६४/२७ चैत्र, १८८६ (शक) को ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock, the 14th April 1964/Chaitra 27, 1886 (Saka).

GMGIPND—LSIII—590 (Ai) LS—29-6-64—600